खण्ड-455, अंक-5
मंगलवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1927
(26 जुलाई, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	ङ - ञ
प्रश्नोत्तर	...	1-23
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का असत्य उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	23-24
आज की कार्य-सूची के मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में तथा उसी प्रश्न के लिखित दिये गये मूल प्रश्न की भाषा में मौलिक अन्तर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	24-25
नियम 301 के अर्न्तगत सूचनाएं	...	25-26
जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी मौजापुर चीनी मिल चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	26
हरदोई के ग्राम सोनहार एवं उसके मजरे में डायरिया के प्रकोप से बचाने हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	26-27
आजमगढ़ शहरी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइन को ठीक करने के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	27
फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत असोधर रोड से कौहन-जरौली स्वीकृत सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	27
अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत रजबहा/नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना	...	27-28
बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	28
लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जी" में पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	28-29
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप कृषक योजनान्तर्गत सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	29
गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम सभा व खोड़ा नगर कालोनी को नगरपालिका परिषद् घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	29
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर एवं हापुड़ की राम गंगा कमाण्ड योजनान्तर्गत रजबहों के निर्माण में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	30
सचिव, माध्यमिक शिक्षा शाखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	30
खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत मैनाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	31

विषय	पृष्ठ-संख्या
वर्ष 2004-2005 में जनपद जौनपुर के सुनिश्चित रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत काम के बदले अनाज के निर्धारित कोटा की कालाबाजारी की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2004-05 में कराये गये विद्युत सुधार कार्य में कथित अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	32
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	32-33
प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर उसके निर्वाचन क्षेत्र में 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाने की मुख्य मंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में जल निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नल लगाने से मना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	33-34
औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश ...	34
सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा/वक्तव्य के समय सम्बन्धित मंत्रीगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	34-36
उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 166 (2) के अनुसार कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	36-37
मत्रि-परिषद् के एक सदस्य द्वारा बागपत में विद्युत समस्या को लेकर सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	37-38
प्रदेश के आसन्न पंचायत चुनाओं में निष्पक्षता बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	38
विशेषाधिकार की सूचना को उठाने का प्रयास ...	39
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	39-40
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	40
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निर्धारित चर्चा को नेता सदन की मौजूदगी में कराये जाने का अनुरोध ...	40-42
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ...	42-46
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निर्धारित चर्चा हेतु पूरे एक दिन का समय निर्धारित किए जाने की मांग ...	46-48
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	48-58
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (जारी) ...	58-59
विधान सभा मण्डप में सदस्य, विधान परिषद् के बैठने पर आपत्ति ...	59-65
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित) ...	65-70
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित) ...	70-73
प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री हुकुम सिंह तथा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी आदि सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घन्टे की जारी चर्चा का स्थगन ...	73

विषय		पृष्ठ-संख्या
बांदा जिले के केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री बाबूलाल कुशवाहा आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा (जारी)	...	74
बाढ़ पर चर्चा हेतु 20 मिनट और समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	74
बांदा जिले के केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री बाबूलाल कुशवाहा आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा	...	74-80
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	81-82
जनपद आजमगढ़ के ग्राम राजेपुर स्थित गाटा संख्या 132 की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	...	82
प्रदेश में लगभग 3 लाख अस्तित्व खो चुके तालाबों को भू-जल संकट से बचाने हेतु एवं पुन: उनको अस्तित्व में लाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	...	82-83
प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	83-87
जनपद गाजियाबाद के गढ़-मुक्तेश्वर के अन्तर्गत अरहेडिया, धुनाकोली को जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	87-88
प्रदेश में वैट प्राविधान लागू न होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में दवाओं पर अधिक टैक्स लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	88-89
जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में अवैध रूप से बालू के खनन के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की हो रही क्षति के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य	...	89-90
जनपद शाहजहाँपुर के थाना रौजा के अन्तर्गत श्री गौतम के घर पर पड़ी भीषण डकैती के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	90-91
प्रदेश में कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराये जाने की कोई योजना बनाये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा तथा श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा	...	91-99
नत्थी	...	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य – 326

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू,, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पांण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बारावंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद

इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूँ
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
काशीराम, श्री — रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
कैलाश, श्री — गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
कौशल किशोर, श्री — खीरी
कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री — इलाहाबाद
गंगा बख्श सिंह, डा0 — उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
घूरा राम, श्री — बलिया
चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
चिरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री — गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
दयाराम, श्री — कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन

दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	संत कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनंगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर

महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूँ
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूल चन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज

रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाजअहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला रा[illegible] श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्री राम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर

संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊसुरेश
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सलिल विश्नोई , श्री	कानपुर नगर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सियाराम सागर, डा0	बरेली	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :--श्री अहमद हसन, परिवार कल्याण मंत्री,
श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री एवं
श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में निजी क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बन्द करने की प्रस्तावित नीति

*1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कोचिंग संस्थानों को बन्द करने की कोई नीति प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोचिंग संस्थाओं को विनियमित किये जाने के उद्देश्य से उ0 प्र0 कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 एवं तद्धीन उ0 प्र0 कोचिंग विनियमन नियमावली, 2002 प्रकाशित की गई है जो क्रमश: दिनांक 27-6-02 एवं दिनांक 02-7-2002 से प्रदेश में लागू है। इसके उपबन्धों के परिप्रेक्ष्य में कोचिंग संस्थानों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए हुए उत्तर के संबंध में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मनुष्य जाति की जिन्दगी को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस महत्वपूर्ण पहलू की स्थिति यह है कि आज प्रदेश में कोचिंग सेंटर गली-गली में खुले हैं। यह कोचिंग सेन्टर महानगरों और जिला स्तर के हेड क्वार्टर पर हैं और बिना अनुमति और बिना नियम कानून, बिना लाइसेंस के पूरे कोचिंग का जखीरा खड़ा है, मैं मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर पर कहना चाहता हूँ क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि कितने वैध कोचिंग सेन्टर हैं ? कितने अवैध कोचिंग सेन्टर पर सरकार ने कार्यवाही की है ? अवैध कोचिंग सेन्टर पर आज शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और कोचिंग सेन्टर पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे कितने केन्द्रों पर कार्यवाही हुई है ? कोचिंग सेन्टर पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या मुफ्त में कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

प्रदेश में जो पंजीकृत कोचिंग संस्थायें चल रही हैं उसमें पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं की जो संख्या है उसकी लम्बी लिस्ट है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ--अलीगढ़ में 117, गोरखपुर में 626, कानपुर देहात में 117, बांदा में 36, मिर्जापुर में 72, बरेली में 524, ज्योतिबाफूले नगर में 183, देवरिया में 50, सीतापुर में 40, झांसी में 144, मैनपुरी में 27, मेरठ में 366, आगरा में 300, मथुरा में 95, फिरोजाबाद में 156, एटा में 71, हाथरस में 79, इलाहाबाद में 453, इटावा में 67, औरैया में 44, फर्रुखाबाद में 72, कन्नौज में 44, बदायूँ में 112, सोनभद्र में 30, वाराणसी में 260 गाजियाबाद में 1197, बुलन्दशहर में 505, गौतमबुद्ध नगर में 246, बागपत में 154, मुजफ्फरनगर में 722, और सहारनपुर में 1006 है। प्रदेश के विभिन्न जिलों और महानगरों में जो कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही हैं, उसमें गोरखपुर में 29 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया और इनमें से 15 के

खिलाफ नोटिस जारी की गयी। इलाहाबाद में कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया जिसमें 37 को नोटिस जारी की गयी है और 24 के खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गयी है। कानपुर देहात में 57 कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया, इनमें 25 बन्द मिली हैं, बरेली में 19 कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया, इसमें से 2 कोचिंग संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। बांदा में 36 कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार देवरिया में वर्ष 2002 में 8 कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। झांसी में 66 का निरीक्षण किया गया, मैनपुरी में 15 का निरीक्षण किया गया और इस तरह से समय-समय पर शिकायतें मिलने पर इन कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है और इनमें जो अवैध पाई जाती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। नोटिस जारी की जाती है और एफ0आई0आर0 भी करायी जाती है और जिनमें अनियमितताएं पायी हैं उनके बन्द करने की कार्यवाही भी की है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं बता पाए, मैंने कहा था कि क्या इन कोचिंग सेण्टर में आपके द्वारा कुछ शुल्क तय है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों के लिए इन कोचिंग सेण्टरों में कुछ विशेष सुविधा आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित ये कोचिंग सेण्टर हैं और ये अपने संसाधनों से चलाते हैं और उनकी अपनी फीस होती है। जहाँ तक सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या माइनारिटीज के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा कोचिंग संचालित की जाती हैं, उनमें इन सब की व्यवस्था है और निजी क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए जो 31 परसेण्ट हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसके लिए कुछ विशेष सुविधा कर रखा है और उसके पहले मैंने कहा था कि क्या कुछ कोचिंग सेण्टरों को छूट है कि वह एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये वसूल करते हैं, क्या आपने ऐसी छूट उन्हें दे रखी है कि यह करोड़पतियों के गले का हार बन कर रह जाये। आपने यदि कोई व्यवस्था नहीं की है तो क्या यह आश्वासन देगें कि आगे हम व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह हमने बता दिया है कि जो कोचिंग संस्थाएं चल रही है, यह निजी क्षेत्र में हैं और उनमें एक नामिनल फीस होती है और वह ली जानी चाहिए और ली भी जाती है, यदि कहीं पर अधिक ली जा रही है और उसकी शिकायत आती है तो कोचिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद में 37 जो कोचिंग सेण्टर हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की नोटिस जारी की गयी है और 24 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज

करायी गयी है, उनमें क्या अनियमितताएं पायी गयी हैं और यह भी बतायें कि इन कोचिंग सेण्टर में माइनारिटीज और एस0सी0 के जो छात्र कोचिंग प्राप्त करते हैं, उनको शासन स्तर से जो सुविधा अनुमन्य की जाती है, मेरी जानकारी में है कि अनेकों स्थानों पर ऐसे छात्रों को वह पंजीकृत तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे पैसा वह कोचिंग सेण्टर ले लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स है उनका पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। तीसरा प्रश्न यह है कि चूंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों में जो सरकारी शिक्षक हैं वह इन कोचिंग सेंटरों में न पढ़ायें परन्तु प्रतिबंध होने के बावजूद प्रदेश में कई स्थानों पर यह शिक्षक कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं और खुलेआम दुकानें लगी हैं। तो सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

मान्यवर, इलाहाबाद में 37 कोचिंग संस्थानों पर नोटिस जारी किये हैं और 24 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है और उनमें अनियमितताएं थीं। कहीं पर पंजीकरण नहीं था, कहीं पर पंजीकरण था तो खत्म हो गया था, रिन्यूवल नहीं कराया था और जहाँ तक सरकारी अध्यापकों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की बात है अगर यह पाया जाता ह कि कोई अध्यापक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाता है तो उस कोचिंग संस्थान के विरुद्ध 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा उस शिक्षक के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना कोचिंग अधिनियम में निर्धारित है। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमे दे दें सरकार उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, जो कोचिंग संस्थान माइनारिटीज के नाम पर, एस0सी0, बी0सी0 के नाम पर सरकार से अनाप-शनाप पैसा प्राप्त कर लेते हैं उनके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

अगर कोई कोचिंग संस्थान माइनारिटीज के नाम पर सरकार से पैसा ले रहे हैं तथा वहाँ पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शामिल कर लें ताकि उनमें असंतुलन पैदा न हो। गरीबी-गरीब होता है और ऐसा असंतुलन प्रदेश में पैदा हो गया है। एक तरफ तो एक अमीर का लड़का अच्छे कोचिंग में पढ़ रहा है, इंटरनेट में पढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अत: आप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों के लिए कुछ व्यवस्था करायें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

मान्यवर, माइनारिटीज के लिए, एस0सी0, बैकवर्ड्स क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए व्यवस्था है। जब आपकी सरकार रहती है तो आपको तो यह सब याद नहीं रहता है जब आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको यह सब याद आ रहा है। हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों के लिए व्यवस्थाएँ की हैं, गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है, फीस माफी की व्यवस्था की है। लेकिन आपने जो कहा है उस पर हम विचार करेंगे कि क्या व्यवस्था की जा सकती है ?

प्रदेश में माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्य योजना

*2--डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु शासन ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)--

जी हाँ।

माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा कार्यवाही की जा रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालयों के अन्दर पद रिक्त हैं और यह कितने वर्षों से रिक्त हैं ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, प्रवक्ता की कुल रिक्तियां 1681 हैं जिसमें 1359 विज्ञापित हो गये हैं, 322 का अधियाचन भेजा जा चुका है। सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड में 4123 रिक्तियां हैं, जिनमें से 3029 विज्ञापित हो गयी हैं और 1094 का अधियाचन प्राप्त हो गये हैं। इन 3029 विज्ञापित रिक्तियों की लिखित परीक्षा हो गयी है और उनके रिजल्ट भी घोषित हो चुके है। प्रशिक्षित स्नातक में 5718 अध्यापकों का चयन किया जा चुका है और प्रवक्ता संवर्ग में 2605 प्रवक्ताओं का चयन किया जा चुका है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज में जब तक प्राचार्य नियुक्त नहीं होता है तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव वातावरण नहीं बनता। कई जगह यह देखा गया है कि एक्टिंग प्रिंसिपल ही रहता है। कितने ही प्रदेश के अन्दर इण्टरमीडिएट कालेज हैं जहां पर नियमित प्राचार्य नहीं हैं और एक्टिंग प्रिंसिपल काम कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड चयन तो कर लेते हैं, एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों का लेकिन बगैर पैसा लेकर ज्वाइन नहीं कराया जाता है। तो सरकार इन लोगों के खिलाफ, जो ज्वाइन नहीं कराते हैं क्या कठोर कार्यवाही करेगी ? मैनेजमेंट बोर्ड को इस प्रकार की कार्यवाही के लिए भंग करेगी ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, जहां तक ज्वाइन नहीं कराने की बात है तो प्रबन्धतंत्र के खिलाफ कार्यवाही का प्राविधान है और किया भी गया है। यह सही है कि अनेकों इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि चयन बोर्ड नियुक्ति पत्र देकर भेजता है लेकिन प्रबन्धतंत्र के लोग, अगर कार्यवाहक प्रधानाचार्य उनकी गुड बुक में है, तो वह ज्वाइन नहीं कराते हैं। प्रिंसिपल की जहां तक बात है तो यह प्रकरण

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और नियुक्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कार्यवाहक प्राचार्यों ने स्टे ले रखा है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय मंत्री ने कहा कि 4123 पद के अगेन्स्ट 3029 पद विज्ञापित हैं। श्रीमान् 2323 विषय विशेषज्ञ भी पढ़ा रहे है और हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि इन्हें रेग्यूलर कर दिया जाय। तो क्या इनको रेग्यूलर किया जायेगा ? इन 2323 को रेग्यूलर करने के लिए जगह छोड़ रखी है ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर आप प्रश्न कर रहे हैं। फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन हाईकोर्ट के निर्णय का आप हवाला दे रहे हैं एक अन्य केस के हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह फुल बेन्च या लारजर बेन्च को जाना चाहिए। यह उसमें जा रहा है और इसका निस्तारण होगा।

श्री कैलाश चौरसिया--

जो भी अध्यापकों की रिक्तियां हो रही हैं, मरने के बाद या पद खाली होने के बाद जो पद सृजित हुए हैं वह 86-87 की छात्र संख्या के आधार पर हैं, आज छात्र संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या माननीय मंत्री जी आज की छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों के लिए पद सृजन करने की व्यवस्था करेंगें ?

श्री मानपाल सिंह--

श्रीमन्, यह सतत् प्रक्रिया है, जिन पदों का अधियाचन आ जाता है, उन पदों का विज्ञापन होता है, फिर परीक्षा होती है। तो इस तरह से इसमें समय लगता है, कोई एक दिन की तो यह प्रक्रिया है नहीं।

श्री कैलाश चौरसिया--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जो अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति हो रही है, अधियाचन हो रहा है, वह 1986-87 की जो छात्र संख्या है, उसी के आधार पर हो रहा है। मान्यवर, आज 1986-87 से दस गुना ज्यादा छात्र संख्या बढ़ गई है, उसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान छात्र संख्या को देखते हुए अध्यापकों के पद सृजित करने पर विचार करेगी ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, जहां पर आवश्यकता होगी, तो इस पर विचार करेगी।

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय उपा यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब आवश्यकता होगी और वित्तीय संसाधन को देखते हुए, इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता का दायित्व हम सबका है। अगर 1986-87 से पदों का सृजन नहीं हुआ है तो वास्तव में कालेजों में कैसी शिक्षण व्यवस्था होगी, इसकी हम और आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा क्योंकि यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है, कि क्या सरकार इसमें 1987 से 2005 तक नहीं तो 1997 के समय तक ही जो हमारी छात्र संख्या है उसके

अनुरूप शिक्षकों के पदों का सृजन करने का कार्य करेगी ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाहक प्रधानाचार्यों ने स्टे ले रखा है, तो उसको वैकेण्ट कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? तीसरी चीज, जो स्ववित्त पोषित कालेज चल रहे हैं, वहां पर छात्रों से ज्यादा फीस ली जा रही है तो क्या सरकार उसको सही रूप प्रदान करने पर विचार करेगी ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, आपका कहना है कि 1987 के बाद 1997 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के पद सृजन करने पर विचार होना चाहिए, इस सम्बन्ध में श्रीमन् वित्त विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके इस पर विचार कर लिया जायेगा। मान्यवर, आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके जमाने में भी यह रिक्तियां रही हैं, लेकिन आप अपने जमाने में इसे नहीं कर पाये थे। हमको थोड़े ही दिन हुए हैं, हम इसको देख रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

आपने कहा था कि कार्यवाहक प्रधानाचार्यों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है, तो स्टे उन लोगों ने कब लिया और इसको वैकेण्ट कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से तो तारीख नहीं बता सकता हूँ, रही बात पैरवी की तो इस पर सरकार पैरवी कर रही है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर यह तिथि नहीं बता सकते हैं तो इतना ही बता दें कि किन कारणों से प्रधानाचार्यों ने स्टे लिया है ?

श्री मानपाल सिंह--

मान्यवर, मेरे पास इसकी पूरी जानकारी इस समय यहां पर उपलब्ध नहीं है, चूंकि यह मामला परिषद् में आया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में थी, जो मैंने आपको दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

प्रदेश में प्राइमरी व बेसिक जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की माँग

*3--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी व बेसिक जूनियर हाई स्कूलों में मानक से कितने अध्यापक कम हैं ? क्या सरकार इन रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)--

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 275498 अध्यापकों के पद सृजित हैं जिनमें 183528 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 91970 पद शिक्षकों के रिक्त हैं।

जूनियर हाई स्कूलों में 63445 अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं जिनमें से 55200 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 8245 पद शिक्षकों के रिक्त हैं जिन्हें पदोन्नति से भरने की कार्यवाही गतिमान है।

जी हाँ।

वर्तमान शिक्षा सत्र में 91970 रिक्त पदों को विशिष्ट बी0टी0सी0, नियमित बी0टी0सी0 तथा उर्दू शिक्षकों की भर्ती द्वारा भरने की कार्यवाही गतिमान है। जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह जो पद सृजित हैं 275498 यह कब की छात्र संख्या पर यह पद सृजित हुए थे और उस समय छात्र संख्या क्या थी और अब क्या है ? दूसरे पिछले सत्र में भी यह सवाल आया था जिसमें कहा गया था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। यह गतिमान शब्द कब हट जायेगा और यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ? तीसरे, क्या इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बी0एड0 और एल0टी0 के ट्रेन्ड लोगों की भर्ती पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, इस वक्त प्राइमरी सेक्शन में 170000 बच्चे हैं अभी कुछ बच्चे और बढ़ जायेंगे। गत वर्ष हमने 100000 शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती किए थे इस वर्ष भी हम लगभग 100000 के करीब ही शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती करने का इरादा रखते हैं। जब हमने कार्यभार ग्रहण किया था उस समय शिक्षक और छात्र का अनुपात 1 : 72 का था और अब यह 1 : 52 का हो गया है और जब 100000 शिक्षामित्र शिक्षक हम भर्ती कर लेंगे तो ऐसी उम्मीद है कि यह अनुपात 1 : 41 का हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, क्या जो बी0एड0 और एल0टी0 में प्रशिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको भी क्या इस नियुक्ति में स्थान देने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, बी0एड0 पास 46189 लोग हमने रखे हैं उनका प्रशिक्षण हो गया है अब हम उन्हें स्कूलों में भेजने वाले हैं।

जो नई दिल्ली में एन0सी0टी0 नामक संस्था है उसकी प्रशिक्षण के संबंध में कुछ शर्तें हैं। बहुत दिनों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी, इसके अलावा जो हमारे डायट्स के सेन्टर हैं जहां पर प्रशिक्षण हो सकता है वह सीमित है और 70 जिलों में 56 जगहों पर ही यह प्रशिक्षण की सुविधा थी जिसमें हम 100 लोगों को प्रशिक्षित कर सकते थे बी0टी0सी0 के लोगों को। अब हमने 70 में से 70 जिलों में ही डायट्स में ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। इसमें जो पुराने डायट्स हैं उसमें 200 लोगों के लिए और जो नए हैं उनमें 100 लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस तरह से एक साल के अन्दर 10-12 हजार बी0टी0सी0 के लोग ट्रेंड हो जायेंगे। बी0एड0 पास लोगों को भी हमने ट्रेंड करा दिया है और 46 हजार लोग इसमें शामिल हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की कमी न रहे और चूंकि नियमित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में लम्बा समय लग सकता है इसलिए शिक्षामित्र शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि इतनी बड़ी संख्या में एक लाख गत वर्ष रखे गये और एक लाख इस वर्ष रखने का इरादा है। मान्यवर, इसकी प्रक्रिया गतिमान है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

मान्यवर, जो प्रशिक्षित लोग शिक्षामित्र के रूप में चयनित हुए हैं और प्राइमरी स्कूलों में अभी कार्यरत हैं उनको जूनियर हाई स्कूलों में एडजेस्ट करने पर विचार करेंगे। क्योंकि प्राइमरी शिक्षा में जो ट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं वह उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो क्या उन प्रशिक्षित शिक्षामित्र शिक्षकों के माध्यम से या अन्या शिक्षामित्रों को चयनित करके जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह जो शिक्षामित्र शिक्षक हैं यह पहली और दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। इनकी एक क्वालीफिकेशन है, इण्टरमीडिएट पास होना चाहिए और मेरिट के हिसाब से रखा जाता है। यहां यदि कोई चपरासी के पद पर हाईस्कूल की पात्रता मांगी जाय और एम0ए0 पास रख लिया तो उससे अफसर का काम थोड़े ही लिया जायेगा। मान्यवर, जूनियर हाईस्कूलों के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की व्यवस्था कर रहे हैं और वह गतिमान है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक कठिनाई शिक्षामित्र में आ रही है। कठिनाई यह है कि उसमें गाँव प्रधान का प्रस्ताव होना चाहिए तब नियुक्ति हो पायेगी। गाँव में आपस में रंजिश, पार्टीबाजी हो जाती है तो जैसा माननीय मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ता के आधार पर देखकर उसको रखा जायेगा क्या इस प्रक्रिया को बदलने पर विचार करेंगे या चयन समिति बनाकर यह व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि राजनीतिकरण से एक अव्यवस्था पैदा होती जा रही है योग्य आदमी पीछे हटते जा रहे हैं और अयोग्य आदमी आगे आता जा रहा है और शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है क्या इस पर कुछ करने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जो प्रधान जीत जाते हैं तो जो वोटर्स हैं उनके ही वोटर्स में वह प्रस्ताव भेजते हैं। हमने नयी व्यवस्था कर दी है कि यदि प्रस्ताव आने के बाद में किसी व्यक्ति के किसी बच्चे को, लड़के-लड़की के ज्यादा नम्बर हैं तो जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उस अधिकारी से या जिलाधिकारी से शिकायत करें तो उसका प्रार्थना-पत्र सम्मिलित करवा लिया जायेगा। हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट को जोड़कर चुनाव होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिस प्रकार बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति वर्षानुक्रम में की जाती है तो क्या उसी प्रकार बी0एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों को भी विशिष्ट बी0टी0सी0 अथवा शिक्षा मित्र में नियुक्ति पर विचार करेंगे ? बी0टी0सी0 जो पहले प्रशिक्षित होते हैं उनकी नियुक्ति के बाद ही दूसरे वर्ष के प्रशिक्षित

बी0टी0सी0 ट्रेंड की नियुक्ति की जाती है क्या इसी प्रकार बी0एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों की भी नियुक्ति पिछले वर्ष की नियुक्ति के बाद अगले वर्ष के प्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति विशिष्ट बी0टी0सी0 अथवा शिक्षा मित्र में की जायेगी ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय हुकुम सिंह जी के प्रश्न पर अपना जवाब दिया और मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न उनका यह था कि इस समय जो चयन जिस तरह होता है प्रधान की संस्तुति पर उसकी शिकायत आने पर आप विचार करेंगे या नहीं ? इनका मूल प्रश्न यह है कि आगे की मूल व्यवस्था में कोई ऐसा परिवर्तन करेंगे कि मेरिट के आधार पर चयन हो जाय, राजनीति अपना असर न दिखा पाये ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया है कि गाँव में शिक्षा समिति होती है अकेला आदमी प्रधान नहीं होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है, अन्य सदस्य भी होते हैं उसमें अकेले ऐसा नहीं है कि प्रधान की राय कायम हो जाय उसके बावजूद भी यदि प्रधान पार्टीबाजी के आधार पर किसी लड़के-लड़की का नाम नहीं भेजता है तो जिलाधिकारी से या बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें उसकी शिकायत को वह इन्टरटेन करेंगे और उसके प्रस्ताव को शामिल करा देंगे और हाई स्कूल इण्टरमीडिएट के नम्बर के आधार पर उसका चुनाव हो जायेगा यह व्यवस्था इसलिए की गयी कि अगर प्रधान न भेजे तो उसके अन्तर्गत हो जायेगा। यह एक पारदर्शी व्यवस्था है इस तरह से मेरिट के आधार पर उसका चुनाव हो जायेगा।

सिंचाई विकास एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित करने का निर्णय

*4--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई विकास एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

जी हाँ।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं उनके अनुकूलतम उपयोग हेतु कार्य प्रणाली को विकासित किये जाने एवं प्रदेश के कृषकों को उसके लिए प्रशिक्षित करने, बाढ़ नियंत्रण कर बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के उपाय किये जाने के उद्देश्य से निम्न विन्दुओं पर समय-समय पर सरकार को संस्तुतियाँ देने हेतु प्रश्नगत आयोग का गठन किया गया है :-

1--उपलब्ध जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।

2--गिरते भू-गर्भ जल स्तर को रोकना उवं उसमें बढ़ोत्तरी।

3--सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता।

4--सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु नवीन नहरों, बाढ़ नियंत्रण कार्यों तथा नलकूपों के निर्माण।

5--सिंचाई विभाग में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से अतिरिक्त आय के स्रोतों का विस्तार एवं विकास।

6--कृषि उपजों के आवागमन, पर्यटन एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से आन्तरिक जल परिवहन का विकास।

7--नदियों को जोड़ना।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होनें जो कुछ अपने उत्तर में बताया है, बिन्दु 1 से लगायत 7 तक, तो उन बिन्दुओं के संबंध में अब तक शासन को कौन-कौन सी संस्तुतियाँ प्राप्त हुयी हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम दिखाई दिया है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि अब तक आयोग की दो बैठकें हो चुकी हैं और उनकी संस्तुतियाँ परीक्षण कराकर सरकार को भेजी जा रही हैं, जैसे ही यह प्राप्त होगीं, वैसे ही उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि परीक्षण कराकर सरकार को भेजी जा रही हैं। सरकार में मंत्री तो आप ही हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

आयोग ने दो बैठक की हैं, जब आयोग सरकार को संस्तुति भेजेगा, तभी तो सरकार विचार करेगी।

श्री हुकुम सिंह--

प्रश्न यह है कि आयोग की संस्तुति प्राप्त हुयी कि नहीं, पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह जो बताया है कि उनको यह जिम्मेदारियाँ दी हैं तो यह सारे काम पहले सिंचाई विभाग कर रहा था, यही काम उनको दे दिया तो यह काहे को बैठे हैं ? यह सब पहले सिंचाई विभाग का दायित्व था, अब आपने आयोग का गठन कर दिया तो फिर सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्री की आवश्यकता नहीं है। यह जब आयोग देख रहा है तो आप काहे को बैठे हैं ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, यह पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग गठित नहीं किया है। इससे पहले भी दो बार जनवरी 1972 में श्री चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में और दूसरी बार जनवरी, 1983 में श्री मोहन सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में सिंचाई आयोग गठित हुआ था, यह कोई नई व्यवस्था सरकार ने नहीं किया हे। सिंचाई विभाग का काम केवल किसान के खेत में पानी देना ही नहीं रह गया है। हमें उद्योग को भी पानी देना होता है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके अलावा प्रदेश में एक समस्या और उत्पन्न हुयी है कि तमाम जगहों पर वाटरलेविल नीचे चला गया है और डार्क क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसी जगहों पर सिंचाई विभाग ट्यूबवेल लगा रहा है, निजी भी लग रहे हैं, तो इन सब चीजों का तालमेल बिठाने के लिये, उसका अध्ययन करने के लिये साथ

ही बेहतर व्यवस्था कैसे हो और जो भू-गर्भ जल स्तर नीचे चला गया है, इन सबके लिये आयोग का गठन किया गया है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न और यह है कि आपने दो आयोगों का उल्लेख कर दिया। इन दो आयोगों को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया था, अगर आपके पास जानकारी हो तो कृपया अवगत करा दें कि इन्हें क्या-क्या बिन्दु संदर्भित किये गये थे, किस प्रश्न को लेकर इनका गठन हुआ था। आपने यह भी कहा कि सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है, सिंचाई के लिये पानी देना, उद्योग को पानी देना, अब आप किसको पानी दे रहे हैं ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आयोग इसलिये बनाया गया जिससे एक तालमेल बना रहे, गिरते हुये भू-गर्भ जलस्तर को ठीक किया जा सके। नदियों से जितने पानी का दोहन हो सकता था, वह हो चुका है, अब नहरों के पानी का जो रिसाव हो रहा है, जो बरबादी हो रही है, पानी को जो टेल तक पहुंचाना है, इस सबके लिये आयोग का गठन किया गया है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो देखेंगे कि क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है। पहले तो आयोग गठित हुए थे, उनकी सिफारिशें आई और लागू हुई हैं। अब भी आयोग गठित हुआ है, इसकी सिफारिशें आयेंगी और उस पर सरकार विचार करेगी और जो जनता के हित में होगा उन्हें लागू किया जाएगा।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, क्या आयोग ने बाढ़ नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कोई संस्तुति सरकार को दी है ? और जो जल स्तर नीचे जा रहा है, क्या इसे रोकने के लिए आयोग ने कोई संस्तुति सरकार को दी है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने एक नीति बना दी है और पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में एक नीति सरकार ने बनायी है, जिससे कि 2025 में पूरे प्रदेश को बाढ़ से मुक्ति दिलायी जा सकेगी और गिरते जल स्तर के बारे में आयोग की संस्तुति के बारे में बताना है कि आयोग के सचिव नहीं थे, अब उनकी नियुक्ति हो गयी है और पहली अगस्त को आयोग की बैठक है। उनसे कहा गया है कि वे अपने सुझाव दें, जिस पर विचार करके कार्यवाही की जा सके।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आयोग का गठन आपने कर दिया है, क्या उसके कुछ बिन्दु भी आपने तय कर दिये हैं ? आपका कहना है कि इस सम्बन्ध में आयोग की दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं, इसलिए मेरी जिज्ञासा है कि किन बिन्दुओं पर अभी तक आयोग ने अपनी संस्तुति सरकार को दे दी है ? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आयोग को संस्तुति देने की जो जिम्मेदारी दी गयी है तो क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम भी दिया गया है या अनिश्चितकाल तक अपनी संस्तुति देने में आयोग समर्थ रहेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, आयोग की दो बैठकें हो गयी हैं, तीसरी बैठक 01 अगस्त, 2005 को होनी है, अभी आयोग ने कोई संस्तुति नहीं दी है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु टाट पट्टी एवं कुर्सी मेज उपलब्ध कराने की माँग

*5--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु टाट पट्टी एवं कुर्सी मेज उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हाँ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामग्री क्रय हेतु नवीन, स्थापित प्राथमिक विद्यालयों को रु0 10,000/- तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 50,000/- की धनराशि एकमुश्त दी जाती है जिससे विद्यालय में अन्य सामग्री के साथ बच्चों के बैठने हेतु टाट पट्टी तथा अध्यापकों के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रु0 2000/- की धनराशि विद्यालय विकास अनुदान मद में उपलब्ध करायी जाती है जिसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार बच्चों के बैठने हेतु टाट पट्टी, चटाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर जनपदों को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

(इस समय 11 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि मेरा प्रश्न था कि प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बैठने हेतु टाट-पट्टी एवं कुर्सी मेज उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान आवश्यक है। आपने कहा कि जो नवीन विद्यालय खोले जा रहे हैं उनमें व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, जो पुराने विद्यालय चल रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि आज भी ग्रामीण विद्यालयों में टाट-पट्टी की उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या पूर्व में इसके लिए कोई नियमावली बनी थी, यदि नहीं, तो क्या वर्तमान में इसकी अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई नियम बनाने पर विचार करेगी ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि 10 हजार रुपए प्राइमरी विद्यालयों को, 50 हजार रुपए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिये जाते हैं, वह फर्नीचरऔर टाट-पट्टी के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त यदि बीच में कोई टूट-फूट होती है तो इसके लिए 2 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिये जाते हैं।

लेकिन फिर भी हर एक विद्यालय में टाट-पट्टी हैं और यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा विद्यालय हो तो उसे आप बता दीजिए, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्यामपट्ट की आवश्यकता टाट-पट्टी व मेज से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। आज तमाम विद्यालयों में श्यामपट्ट नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी सभी विद्यालयों में श्यामपट्ट की व्यवस्था पूर्ण करा देंगें ?

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, सभी विद्यालयों में श्यामपट्ट है। यदि कहीं लकड़ी का श्यामपट्ट टूट-फूट गया है तो वहां नया बनावा देंगे। आपके पास कोई सूचना हो तो दे दीजिए। आज हम अपनी तरफ से यह आदेश दे देते हैं और सूचना मंगवा लेते हैं, सभी जगह श्यामपट्ट का इंतजाम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न समाप्त हुये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में नवीन प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के खोले जाने का मानक

1--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवीन प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के खोले जाने की नीति क्या है ? क्या जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वीकृत नये प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों का स्थल चयन कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु 300 की आबादी एवं 1.5 किमी0 असेवित क्षेत्र तथा नवीन जूनियर हाई स्कूल खोले जाने हेतु 800 की आबादी एवं 03 किमी0 असेवित क्षेत्र का मानक है।

जी हाँ। वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 25 नवीन जूनियर हाई स्कूल का तथा वर्ष 2004-05 में स्वीकृत 15 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 14 जूनियर हाई स्कूल का स्थल चयन किया जा चुका है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर आवरा ड्रेन की सफाई कराने की योजना

2--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया की आवरा ड्रेन की सफाई कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी सफाई कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ।

आवरा ड्रेन की सफाई/पुनर्स्थापना हेतु योजना तत्काल बनाकर मुख्य अभियन्ता समिति व उ0 प्र0 बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर खण्ड को रोस्टर के अनुरूप पानी की आपूर्ति की मांग

3--श्री हुकुम सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, मई व जून, 2005 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई करने के लिये पूर्वी यमुना नहर खण्ड को रोस्टर के अनुसार 1400 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए जबकि इस नहर को एक बूंद भी पानी नहीं मिला है, जिससे किसानों की फसल बरबाद हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा रोस्टर के अनुरूप पानी की आपूर्ति न किये जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

पूर्वी यमुना नहर को रोस्टर के अनुसार माह अप्रैल, मई एवं जून 2005 में औसतन क्रमश: 656, 702 एवं 848 क्यूसेक जल प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष औसतन माह अप्रैल में 769 क्यूसेक माह मई में 709 क्यूसेक व माह जून में 1184 क्यूसेक जल पूर्वी यमुना नहर में प्राप्त हुआ है, जो रोस्टर में प्रस्तावित जल के सापेक्ष अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज, अतरसण्ड, ब्लाक मगरौरा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की माँग

4--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, अतरसण्ड, ब्लाक मंगरौरा, प्रतापगढ़ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को खोलने हेतु क्या सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में असेवित क्षेत्र में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति के कारण।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों को एक समान वेतनमान निर्धारित करने पर विचार

5--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमान राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित है ? यदि हां, तो वह वेतनमान क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके लिए एक समान वेतनमान निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं को शासन द्वारा अनुदान/वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। ऐसे महाविद्यालयों के शिक्षकों को देय वेतन शिक्षण शुल्क की मात्रा पर निर्भर करता है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय इलाहाबाद में नियुक्ति/नियोजन अनुभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की माँग

6--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय इलाहाबाद में नियुक्ति/नियोजन अनुभाग में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जो विगत 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय इलाहाबाद में नियुक्ति अनुभाग में 09 तथा नियोजन अनुभाग में 03 तृतीय श्रेणी कर्मचारी 05 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज महमूदाबाद में कार्यरत प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र

7--श्री रामहेत भारती--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज महमूदाबाद में कार्यरत प्रधानाचार्या द्वारा अपने अधीनस्थ शिक्षकों, छात्राओं तथा अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा प्रत्येक माह छात्राओं से धार्मिक कार्यों के लिये चन्दा मांगने के सम्बन्ध में संसद सदस्य श्री अशोक कुमार रावत का शिकायती-पत्र दिनांक 12-9-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उस पत्र पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर को जाँच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

8--श्री कौशल किशोर--

[माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मृतक आश्रित पुनीत अग्रवाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

9--श्री कुतुबुद्दीन अंसारी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक आश्रित पुनीत अग्रवाल की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-1-05 जिलाविद्यालय निरीक्षक, बिजनौर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

मृतक आश्रित श्री पुनीत कुमार की नियुक्ति स्नातक वेतनक्रम में कला अध्यापक के पद पर कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धीरेन्द्र बहादुर वर्मा पुत्र स्व0 श्री चन्द्रमा प्रसाद वर्मा ग्राम पाल्हापुर, पो0 बसारा, जिला सीतापुर की मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

10--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर ने रजिस्ट्री नं0 4068 दिनांक 18-2-2005 को पत्रांक सं0 12038, 2004-05 द्वारा श्री धीरेन्द्र बहादुर वर्मा, पुत्र स्व0 श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा, ग्राम पाल्हापुर, पो0 बसारा, जिला सीतापुर की मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद को अनुमोदन हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हाँ।

प्रकरण कालबाधित होने के कारण मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

बरेली के कस्तूरबा नगर निगम इण्टरमीडिएट कालेज में तदर्थ कार्यरत शिक्षिकाओं को विनियमित करने की माँग

11--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली में कस्तूरबा नगर निगम इण्टरमीडिएट कालेज में एल0टी0 वेतनमान में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-ई-एम-91/15-7-1(02)/97, दिनांक 6 जून, 1997 के अन्तर्गत चयन समिति गठित करके शिक्षिकाओं की नियुक्ति तदर्थ रूप से 1 जुलाई, 1998 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षिकाओं को विनियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नियमित चयन की कार्यवाही किये जाने के कारण।

जनपद गोण्डा के मनकापुर अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई की उच्च स्तरीय जांच

12--श्री राम विशुन आजाद--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक कम्प्यूटर सं0-सी-10090027 पर पत्र सं0-सी0-

एम0/वि0को0/एम/90027/2003 दिनांक 15-11-2004 प्रमुख सचिव, सिंचाई को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

उक्त में उल्लिखित शिकायतों पर जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु आवंटित धन

13--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा उससे क्या कार्य कराये गये ? वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में उक्त मद हेतु कितना धन आवंटित किया गया है तथा उससे क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु कुल रु0 4.00 करोड़ (रुपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी जिससे राजकीय महाविद्यालयों के अधूरे भवन एवं छात्राओं के लिये कामन-हाल का निर्माण कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजकीय महाविद्यालयों के विकास एवं निर्माण कार्यों के लिये कुल 29.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है जिससे राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना नये भवनों का निर्माण एवं राजकीय महाविद्यालयों के बाउन्ड्रीवाल, विद्युतीकरण आदि के कार्य कराये जायेंगे।

राजकीय नलकूपों पर आपरेटर की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग

14--श्री राम विशुन आजाद--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय नलकूपों पर आपरेटर तैनात न रहने से सिंचाई कार्यों में बाधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी राजकीय नलकूपों पर आपरेटर की तैनाती सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हां।

जी हां।

पर्याप्त संख्या में नलकूप चालकों की विभाग में उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेदकर नगर में इण्टर कक्षाओं में उर्दू विषय की मान्यता सम्बन्धी पत्र

15--श्री विनोद कुमार यादव "कक्का"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेदकरनगर का पत्र संख्या-520-21, दिनांक 5-5-2005 जो राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अकबरपुर, जनपद-

अम्बेदकरनगर में इण्टर कक्षाओं में उर्दू विषय की मान्यता देने के सम्बन्ध में है भेजा गया, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र निदेशक, शिक्षा माध्यमिक, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी शहर में सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित लोग व केन्द्रों के संचालन पर व्यय

16--श्री प्रदीप जैन "आदित्य"--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर में वित्तीय वर्ष 2004-05 में सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कितने लोगों को शिक्षित किया गया एवं इन केन्द्रों के संचालन में कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री किरनपाल सिंह--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में झांसी शहर मे सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कुल 55,434 लोगों को शिक्षित किया गया तथा इन केन्द्रों के संचालन में कुल रु0 3,31,007.00 की धनराशि व्यय की गयी।

जनपद-सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन नलकूप

17--श्री परमजीत--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 में उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा कुल कितने नलकूपों का निर्माण कराया गया ? वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में कुल कितने नलकूपों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-सहारनपुर व मुजफ्फरनगर मे कुल कितने नलकूप निर्माणाधीन है एवं कितने निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश में कुल 104 नलकूपों का निर्माण कार्य कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में सिंचाई विभाग द्वारा कुल 338 नलकूपों का निर्माण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद सहारनपुर में 5 नलकूप व जनपद मुजफ्फरनगर में 14 नलकूप निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त जनपद सहारनपुर में 10 नलकूप व मुजफ्फरनगर में 11 नवीन नलकूपों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद गोन्डा के विकास खण्ड मनकापुर व छपियां में लगे राजकीय नलकूप

18--श्री राम विशुन आजाद--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत वि0खं0 मनकापुर एवं वि0 ख0 छपिया में लगे राजकीय नलकूप चालू हालत में है ? यदि

हां, तो प्रति नलकूपों से गत रबी एवं खरीफ की फसल में कितने-कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर एवं विकास खण्ड छपिया में क्रमश: 53 एवं 20 राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं।

नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था तथा सिंचाई व राजस्व प्राप्ति के अभिलेखन कार्य का दायित्व अभी तक ग्राम पंचायतों में निहित था। गत रबी व खरीफ की सींच व राजस्व के आंकड़े प्रयास करने पर भी ग्राम पंचायतों से उपलब्ध नहीं हो सके।

सिंचाई खण्ड, प्रथम इलाहाबाद के अन्तर्गत मड़ियाहूँ ब्रान्च के दोनों बैंकों के पुनरुद्धार के कार्य हेतु भुगतान

19--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा मड़ियाहूँ ब्रान्च के कि0मी0 14.00 से 17.300 तक दोनों बैंकों के पुनरुद्धार के कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या-37/ए0ई0-11/2000-2001 ई0 द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान माप पुस्तिका नं0-226 (एल) पेज नं0 58 पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ। सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद के अन्तर्गत द्वितीय उपखण्ड में मड़ियाहूँ शाखा के कि0मी0 14.00 से 17.300 तक दोनों बैंक के पुनरोद्धार के कार्य हेतु सहायक अभियन्ता द्वितीय व श्री महबूबउद्दीन ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध संख्या-37/स0अ0-2/2000-01 का अनुबन्ध किया गया था। द्वितीय एवं अन्तिम बीजक माप पुस्तिका संख्या-226 (एल) पृष्ठ संख्या-58 पर अंकित है जिसका अभी भुगतान नहीं हो सका है।

जी नहीं।

शारदा सहायक, परियोजना के वित्तीय वर्ष 2000-2001 में बन्द घोषित हो जाने एवं तत्समय धन उपलब्ध न होने के कारण अनुबन्धगत धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के सुलेमपुर कोठी की बाउन्ड्री वाल के निर्माण कराए गये कार्यों का भुगतान

20--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा सुलेमपुर कोठी की बाउन्ड्री वाल के कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या-35/ए0ई-11/2000-2001 किया गया था ? क्या कराये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ। सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के उपखण्ड द्वितीय द्वारा सलेमपुर कोठी बाउन्ड्री वाल हेतु श्री महबूबउद्दीन ठेकेदार के नाम अनुबन्ध संख्या-35/सं0प्र0-2/2000-2001 का गठन किया गया था।

जी नहीं।

शारदा सहायक परियोजना, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में बन्द हो जाने एवं तत्समय धन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुबन्धगत धनराशि के भुगतान हेतु बजट प्राविधान उपलब्ध है। धनावंटन की कार्यवाही पूर्ण कर चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।

सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा मदारी माइनर के निर्माण हेतु धनावंटन की कार्यवाही

21--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा मदारी माइनर के कि0मी0 3.00 पर डी0आर0वी0 निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या 32/ए0ई0-11/2000-2001 ई0 के भुगतान हेतु माप पुस्तिका नं0 226 (एल) पेज नं0 49 पर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ। सिंचाई खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद के उपखण्ड वित्तीय द्वारा मदारी माइनर के कि0मी0 3.00 पर डी0आर0वी0 के निर्माण हेतु श्री महबूबउद्दीन ठेकेदार के नाम अनुबन्ध संख्या-32/स0अ0-21/2000-2001 का गठन किया गया था। माप पुस्तिका संख्या-226 (एल) के पृष्ठ-49 पर अन्तिम भुगतान का बीजक अंकित है। जिसके भुगतान हेतु धनावंटन की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है।

शारदा सहायक परियोजना के वित्तीय वर्ष 2000-2001 मे बन्द घोषित हो जाने एवं तत्समय धन उपलब्ध न होने के कारण अनुबन्धगत धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुबन्धगत धनराशि के भुगतान हेतु बजट प्राविधान उपलब्ध है। धनावंटन की कार्यवाही पूर्ण कर चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।

सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा मदारी माइनर के निर्माण के भुगतान की जानकारी

22--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद के उपखण्ड-द्वितीय द्वारा मदारी माइनर के कि0मी0 0.500 पर डी0आर0वी0 निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या 27/ए0ई0-11/2000-2001 ई0 के भुगतान हेतु माप पुस्तिका नं0 227 (एल) पेज नं0 74 पर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हाँ। मदारी माइनर के कि0मी0 0.500 पर डी0 आर0 वी0 के निर्माण हेतु श्री महबूबउद्दीन ठेकेदार के नाम अनुबन्ध संख्या-27/सं0अ0-2/2000-01 का गठन किया गया था। तृतीय एवं अंतिम भुगतान माप पुस्तिका सं0-227 (एल) के पृष्ठ 74 पर अंकित किया गया है। इसका अभी भुगतान नहीं हो पाया है।

शारदा नहर परियोजना के वित्तीय वर्ष 2000-01 से बन्द घोषित हो जाने एवं तत्समय धन उपलब्ध न होने के कारण अनुबन्धगत धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुबन्धगत धनराशि के भुगतान हेतु बजट प्राविधान उपलब्ध है। धनावंटन की कार्यवाही पूर्ण कर चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड में कार्यरत शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत पर जाँच की माँग

23--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अतरसण्ड में कार्यरत शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत पर उनके आदेश सं0-2696/वी0आई0पी0/2005, दिनांक 5-5-05 बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हाँ।

सम्बन्धित शिक्षक का स्थानान्तरण किया गया था, जो वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी यमुना नहर में कम पानी आपूर्ति होने के कारण बागपत व गाजियाबाद के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होने के संबंध में पत्र

24--डा0 अजय कुमार --

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्यमंत्री को मेरठ मण्डल की समीक्षा बैठक दिनांक 4-11-2004 के दौरान, पूर्वी यमुना नहर में कम पानी आपूर्ति होने के कारण जनपद सहारनपुर मु0 नगर, बागपत व गाजियाबाद के कृषकों को सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार जलापूर्ति न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिया गया था तथा मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उक्त जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र से पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हां। मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 4-11-2004 का उत्तर मा0 मुख्य मंत्री जी के अद्धशासकीय पत्र संख्या पी/05/सी0एम0-1/2005, दिनांक 5-1-2005 (जिसकी छाया प्रति *संलग्न है) द्वारा मा0 प्रश्नकर्त्ता सदस्य को भेज दिया गया है।

---

*दर्शाए गए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 100 पर।

पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि की माँग

25--डा0 अजय कुमार--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी यमुना नहर लगभग दो सौ वर्ष पुरानी हो जाने के कारण पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु रु0 1442.35 लाख रुपये की परियोजना बनाकर वित्त पोषण हेतु भारत सरकार से धनराशि की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक प्रगति क्या है ? क्या उक्त धनराशि प्रदेश सरकार को आवंटित होकर प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जी हां। प्रश्नगत नहर प्रणाली की क्षमता पुर्नस्थापना की रुपये 1442.43 लाख की परियोजना ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिये वर्ष 2004-05 में भारत सरकार को प्रस्तावित की गयी थी परन्तु भारत सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिये उक्त परियोजना अस्वीकृत कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के गंगा देवी इन्टर कालेज की सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्रीमती निर्मल मिश्र के पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान किये जाने की मांग

26--श्री बैजनाथ दूबे--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती निर्मल मिश्र, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, गंगादेवी इण्टर कालेज, हरदोई ने अपनी पेंशन संशोधित कराने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को दिनांक 24-3-2004 को प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी ने दिनांक 24-3-04 को उपशिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को अन्तिम वेतन परिलब्धियों के आधार पर पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का असत्य उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या-3 मेरे द्वारा पूछा गया है। उसका उत्तर मेरे पास आया है जो पूरी तरह से असत्य है। संगत नियमों में तो मैं इसे उठाऊँगा ही लेकिन दो बातें कहना चाहता हूँ कि पूर्वी यमुना नहर जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। उस क्षेत्र से संबंधित है एक कैबिनेट मंत्री (पशुधन मंत्री) वीरेन्द्र सिंह जी हैं नहीं, दो और माननीय सदस्य उससे संबंधित है वह यहाँ बैठे हुये हैं उनके क्षेत्र से भी संबंधित है। अप्रैल, मई व जून, 2005 में एक बूँद पानी यमुना नहर में नहीं आया। लेकिन आपने उत्तर में बता दिया कि जितना रोस्टर में अनुमन्य है उससे भी अधिक पानी आया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वीरेन्द्र सिंह जी हैं नहीं, माननीय सदस्य नकुड़ और छपरौली तथा मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तीनों महीने एक बूँद पानी नहीं आया लेकिन उत्तर दे दिया कि रोस्टर में प्रस्तावित जल के सापेक्ष अधिक जल दिया गया। मेरा आग्रह है कि कम से कम किसानों के हित में ऐसी भयावह जनसमस्या को लेते हुए हम बार-बार प्रश्न करते रहे, अगर ऐसी उपेक्षा होगी और इस प्रकार के उत्तर देंगे तो यहाँ बैठना निरर्थक हो जायेगा। कहा जा रहा है कि मानक से ज्यादा पानी आया जबकि एक बूँद पानी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

अगर प्रश्न का उत्तर सुसंगत नहीं है या असत्य लगता है तो नियमावली में प्राविधान है। आप उन नियमों के अन्तर्गत इसकी सूचना दें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक कठिनाई है, हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण के लिए मैं क्या दस्तावेज लाऊँगा। यमुना नहर तो मुझसे बात नहीं कर सकती। इनके सामने अपनी कठिनाई है, यह सहयोगी दल हैं।

श्री अध्यक्ष--

सिंचाई मंत्री जी, इसको आप गंभीरता से दिखवा लें। माननीय हुकुम सिंह जी का कहना है कि पानी नहीं आया। नियमावली के अन्तर्गत प्राविधान है आप कह रहे हैं साक्ष्य दे पाना मुश्किल होगा। आप इसे गम्भीरता से दिखवा लें कि पानी गया या नहीं गया।

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

माननीय अध्यक्ष जी, इसको दिखवा लेंगें। गलत उत्तर दिया गया होगा तो उसे दण्डित भी करेंगे। पानी देना हमारी सरकार का पहला काम है।

आज की कार्य-सूची के मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में तथा उसी प्रश्न के लिखित दिये गये मूल प्रश्न की भाषा में मौलिक अन्तर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-13 में जो प्रश्न मैंने लगाया था और जो प्रश्न आज की कार्यसूची में छपा है दोनों की भाषा में अन्तर है। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसकी भाषा यह है कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करें कि गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 में महाविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित थी, तथा उसे किस निमित्त व्यय किया गया ? शासन ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में उक्त मद हेतु कितना धन आवंटित किया है तथा किस कार्य हेतु व्यय प्रस्तावित है ? जो प्रश्न कार्यसूची में छपा है उसके पहले भाग में त्रुटि है। जानबूझ करके मेरे प्रश्न के साथ छेड़छाड़ की गयी है। राजकीय महाविद्यालयों को छोड़ दिया गया है। गत वर्ष राजकीय महाविद्यालयों के लिए 71 करोड़ रुपया कुल आवंटित किया गया था जिसमें से एक महाविद्यालय को 69 करोड़ दे दिया गया था । जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न मा0 उपाध्यक्ष जी, देखते हैं आप लिखकर दे दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

पिछली बार भी उठाया था और लिखकर दिया था लेकिन पता नहीं कहाँ अन्तर्धान हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आप सुसंगत नियमों में इसको दे दीजिए हम इसको दिखवा लेंगे। इसमें बहस से कुछ तथ्य निकलने वाला नहीं है। आप इसको लिख कर दीजिए हम इसको दिखवा लेंगे। वैसे प्रश्न विभाग माननीय उपाध्यक्ष जी का है। आपने उठा दिया है, आप लिखकर दे दें हम दिखवा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरी सूचना इतनी महत्वपूर्ण है कि इस सरकार के वजूद पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है। मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे औचित्य के प्रश्न तक पहुँचने दीजिए।

(नियम-301 की सूचनाएँ पुकारे जाने पर)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अगर पानी नहीं पहुँचा है तो मैं आज ही आदेश देता हूँ। इसको मैं दिखवाता हूँ पानी पहुँचा दिया जायेगा मानक से ज्यादा।

श्री हुकुम सिंह--

ठीक, है आप इतने गम्भीर न हों।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह किसानों का सवाल है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26 जुलाई, 2005 को नियम-301के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना माननीय बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बन्द पड़ी मैजापुर चीनी मिल चलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय अमर सिंह परमार की हरदोई के ग्राम सोनहार एवं उसके मजरे में डायरिया के प्रकोप से बचाने हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय रामहेत भारती की है जो अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना माननीय दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ शहरी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइन को ठीक करने के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री काशी राम की है जो अनुपस्थित हैं। छठी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत असोथर रोड से कौहन-जरौली स्वीकृत सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मुकुल उपाध्याय की अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत रजबहा/नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की

बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में साम्प्रदायिक सदभाव बहाल करने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री पूणर्मासी देहाती की लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी में पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु के फल स्वरूप कृषक योजनान्तर्गत सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारवहीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की है जो कि अनुपस्थित हैं। बारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी की गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम सभा व खोड़ा नगर कालोनी को नगरपालिका परिषद् करने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर एवं हापुड़ की रामगंगा कमाण्ड योजनान्तर्गत राजबहों के निर्माण में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री भगेलू राम की सचिव, माध्यमिक शिक्षा शाखा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राजेश कुमार की खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत मैलानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। प्रतीक्षा सूची में श्री जगदीश नारायण राय एवं डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा की सूचनाएं थी इनको स्वीकार किया जाता है। माननीय श्री राम विशुन आजाद, श्री कौशल किशोर, चौ0 महेन्द्र सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सतीश महाना, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री घूराराम, डा0 पी0के0 राय, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री कालीचरण राजभर, श्री रामकरन आर्य, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 विनोद तिवारी की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं वह पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी मैजापुर चीनी मिल चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे--

[मान्यवर, मैं मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद गोण्डा में एक ही चीनी मिल थी जिस पर करोड़ों रुपये किसानों का गन्ना मूल्य बकाया होने के कारण मिल सरकार के पक्ष में कुर्क है। परन्तु गन्ना मिल बन्द होने के कारण किसानों को दूसरे जनपद बलरामपुर बहराइच अपना गन्ना बेचने जाना पड़ता है जिसके कारण किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस मिल पर बैंक का भी बकाया है परन्तु बैंक द्वारा भी बार-बार मिल चलाने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि मिल सरकार के पक्ष में कुर्क है तो इस मिल की नीलामी करके नीलामी से प्राप्त धनराशि गन्ना किसानों के बीच में बांटकर भुगतान किया जा सकता है और यदि मिल नीलाम हो जायेगी तो क्रेता द्वारा मिल चला दी जायेगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए मैजापुर चीनी मिल चलाने के लिए सरकार से चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

हरदोई के ग्राम सोनहार एवं उसके मजरे में डायरिया के प्रकोप से बचाने हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर सिंह परमार--

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम सोनहार एवं उसके मजरे जो दलित बाहुल्य हैं, विगत 15 दिनों से डायरिया के प्रकोप से ग्रसित है। जिसमें राम नरेश पुत्र रमेश, रिन्की

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुत्र शर्मा एवं एक अन्य की मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को बार-बार सूचना देने के उपरान्त भी चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। डायरिया का प्रकोप आसपास के अन्य गांवों में फैलता जा रहा है जिससे वहां की जनता में रोष व्याप्त है।

अत: मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

आजमगढ़ शहरी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइन के अधूरें कार्यों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले शहर क्षेत्र में पड़ी पुरानी सीवर लाइन की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस सीवर लाइन को ठीक करवाने में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो चुका है परन्तु अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। मा0 नगर विकास मंत्री जी, जब आजमगढ़ अपने एक कार्यक्रम में भाग लेने आये थे तब उन्होंने इस अधूरे कार्य की मात्र 3 महीने में पूरा करवाने की बात कही थी, काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आजमगढ़ मण्डल होने के कारण इसके अन्तर्गत आने वाले जनपदों को शासकीय कार्य यहां से सम्पादित होता है जिससे काफी लोगों का यहां पर आवागमन बना रहता है। सीवर लाइन पूरी न होने से शहर की गन्दगी बाहर नहीं निकल पाती है और सड़कों पर गन्दा पानी बहता रहता है। क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को देखते हुए शहर की सीवर लाइन को पूर्ण कराना अति आवश्यक है।

अत: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ़ शहर में जनहित में सीवर लाइन को तत्काल पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत असोधर रोड से कौहन-जरौली स्वीकृत सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 266 किशुनपुर (फतेहुपर) के अन्तर्गत वर्ष 2003 में असोधर रोड से कौहन-जरौली वाया कंसापुर सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हो चुका है तथा विभाग को रु0 1000 का स्वीकृत टोकेन भी भेजा जा चुका हे किन्तु निर्माण हेतु स्वीकृति के उपरान्त भी क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ जिससे यमुना तटवर्ती गॉव के लोगों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी हो रही है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत रजबहा/नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुकुल उपाध्याय--

[मान्यवर, अतिलोक महत्व की सुचना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र इगलास के अलीगढ़ अन्तर्गत कई राजवाह एवं माइनरों में बरसात का समय होने के बावजूद पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं। मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसान अपनी धान की बोवाई के लिए परेशान हैं जब कि प्रदेश एवं देश के अन्य जनपदों में पानी की भरमार है एवं बाढ़ जेसी स्थिति बनी हुई है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काडली (मुरसान) राजवाह, हरौता माइनर, साथनी (सोनई) राजवाह, किनमासा माइनर मॉट ब्रॉच नहर सहित क्षेत्र में कई राजवाह एवं नहरों में पानी नहीं आ रहा है यदि पानी आ भी रहा है तो वह टेल तक नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि राजवाह अथवा नहर की नाम मात्र के लिए सिल्ट निकाली गई है। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि उक्त राजवाह/नहरों में पानी की व्यवस्था कराने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में सुविधा मिल सके साथ ही साथ जिन राजवाह/नहरों की सफाई पूर्णरूपेण नहीं हो पाई है, जिनमें पानी टेल तक नही पहुँच पाया है उनमें सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें साथ ही साथ शिथिल अधिकारियों/कर्मचारियों के दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में सम्प्रदायिक संदभाव बहाल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[मान्यवर, बलिया जनपद नगर पंचायत सिकन्दरपुर में नगर पंचायत के अध्यक्ष के पति श्री प्रयाग चौहान, के द्वारा दिनांक 23-7-05 को प्रात: एक पूजा स्थल डोमनपुरा पर मांस का लोथड़ा पैकेट में बन्द करके टांग दिया गया। प्रात: जब लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया तब तक प्रयाग चौहान आकर धूम-घूम कर साम्प्रदायिक वातावरण बनाने लगा एवं एक समुदाय के लोगों को भद्दी-भद्दी गालिया देने लगा शोर सुनकर भारी संख्या में हिन्दू , मुस्लिम जमा हुए और इस काण्ड की भर्त्सना करने लगे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर आकर मांस के लोथड़े को हटवा दिया एवं दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया इस पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्त्ता उत्तेजित होकर प्रशासन एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को गालियां दे रहे हैं। जनता में भय का वातावरण है। भाजपा सिकन्दरपुर के अमन चैन को नष्ट करना चाहती है पुलिस प्रशासन ने अब तक गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल न भेजकर मामलों को दबा रही है।

अत: इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर 'जी' में पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जल संस्थान विभाग को फरवरी/मार्च 2005 में 6 लाख रुपये दे दिये गये कि पानी पाइप लाइन डाली जाये और सेक्टर जी0 में आवास संटया एस0एस0 800 से एस0 850 तक के लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 6 लाख रुपया एल0डी0ए0 द्वारा हस्तान्तरित किया गया है जो प्रथम सत्र 2005 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित संख्या 92 को देखें स्पष्ट हो जायेगा कि पैसा जल संस्थान को दिया गया है। विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के प्रथम सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर देखें जिसमें कहा गया है कि जल संस्थान पानी की लाइने नहीं डाला है जिसके कारण सड़क व नाली नहीं बन पा रही है। चूंकि संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी घूम-घूम कर धन वसूली कर रहे हैं और धन की मांग मुहल्ले वासियों से कर

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे हैं कि सेक्टर जी में तभी कार्य होगा जब प्रत्येक आवास से धन चन्दा रुप में दिया जाय। इस तरह की वसूली हो रही है और पानी पाइप न डालने से लोगों में रोष व्याप्त है। 6 लाख रुपया जो दिया गया उसका भी बंदरबाट किया गया है एस0 एस0 के आवासों के साथ अन्याय हो रहा है तत्काल पानी पाइप डालना चाहिए जिससे एल0डी0ए0 विभाग द्वारा अपना विकास कार्य सड़क नाली आदि बनवा कर कालोनी वासियों को सुविधा दे सकें। जल संस्थान का कोई अधिकारी वहां जाता नहीं है महाप्रबन्धक से कहा गया लिखा गया परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है लोगों में रोष व्याप्त है यह लोक महत्व का विषय है अविलम्बनीय है। अत: इस लोक महत्व से विषय पर सदन को ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल जल पाईप लाईन डालने एवं कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप कृषक योजनान्तर्गत सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम सभा व विकास खण्ड में कई व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गयी जो कृषक योजना के अन्तर्गत आते हैं उनके पास मात्र दो या तीन बिस्से जमीन हैं इनके बच्चे को कमाने खाने हेतु और कोई जरिया नहीं है।

1--सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदय प्रताप सिंह, ग्राम खजुरा मो0 मेंहनगर, आजमगढ़, 2--भूलन पुत्र श्री बंशी ग्राम मुडहर पो0 ठेकमा ब्लाक खेटमा, आजमगढ़, 3--सिकन्दर पुत्र श्री पूजन राम, ग्राम बीबीपुर, ब्लाक तरवां, आजमगढ़, 4--राजेन्द्र राम पुत्र श्री फेरनराम/बालादेवी पत्नी राजेन्द्र, ग्राम तम्बरपुर वि0 खं0 लालगंज, आजमगढ़, 5--महेन्द्र सिंह पुत्र कामता सिंह, ग्राम-खुटिया खुटहन, वि खं0 तरवां, आजमगढ़, 6--चन्द्रशेखर ग्राम पकडिया, वि0 खं0 मेहनगर, थाना जहानागंज, आजमगढ़।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रार्थीगणों को एक-एक लाख रुपया कृषक योजना के अन्तर्गत दिये जाने की मांग करती हूं।]

गाजियाबाद की खोड़ा ग्राम सभा खोड़ा नगर कालोनी को नगरपालिका परिषद् घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--

[मान्यवर, खोड़ा ग्राम सभा व खोड़ा कालोनी की आबादी लगभग तीन लाख है तथा मतदाता की संख्या भी एक लाख से अधिक है ऐसी स्थिति में यहां रहने वाले लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं है। कृपया मेरा आपसे आग्रह है कि सड़कें, नाली, खड़ंजा, पीने के पानी समस्त सुविधा प्रदान कराने व नगर पालिका परिषद् घोषित कराने हेतु लोकहित में सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर एवं हापुड़ की रामगंगा कमाण्ड योजनान्तर्गत राजबहों के निर्माण में धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान--

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में रामगंगा कमाण्ड योजना के तहत राजबहों की पानी की नालियों के निर्माण में उपयोग की गई अति घटिया सामग्री से एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जो अत्यन्त संवेदनशील है तथा जनता की बेहद महत्वपूर्ण मांग है कि इसकी निर्माण में अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हो ताकि करोड़ों रुपये का जनपद में हुए घोटाले का पर्दाफाश हो यह प्रश्न गुणवत्ता व घोटाले से जुड़ा है। महत्वपूर्ण है लोकमहत्व व अविलम्बनीय है। अत: मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही करने की अपेक्षा करता हूं।]

सचिव, माध्यमिक शिक्षा शाखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगेलू राम--

[मान्यवर, सचिव माध्यमिक शिक्षा शाखा, उ0 प्र0 सचिवालय में विगत 6 वर्षों से कार्यरत संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी जिनका स्थानान्तरण सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सतर्कता विभाग में किया गया था तथा जिन्हें आदेशों का अनुपालन न करने के कारण स्वत: कार्यमुक्त के आदेश जारी किये गये थे, आज भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है, तथा अपना स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग में कराने हेतु राजनैतिक प्रभाव डाल कर शिक्षा विभाग में ही टिके हुए हैं।

उक्त संयुक्त सचिव द्वारा माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अनुभाग- 1, 7, व 8 का कार्य देखा जा रहा है। इन अनुभागों में उसके द्वारा ऊंची जाति के सहायक समीक्षा अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों की तैनाती शिक्षा अनुभाग-, के अनुभाग अधिकारी दागी कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में स्पष्ट प्रविष्टि कि इनकी तैनाती संवेदनशील अनुभागों में न की जाये, धन लेकर शिक्षा अनुभाग-13 के अन्य संवेदनशील अनुभाग में कर रहे हैं। यह एक संगठित के रूप में अवैध धन की कमाई में लिप्त है। अनु0 जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को एक साजिश के तहत कभी तैनाती इन अनुभागों में नहीं की जाती है।

संयुक्त सचिव द्वारा जनवरी 05 से विद्यालयों को वर्ष 2007 से मान्यता देने के पत्रावली पर स्पष्ट निर्णय के बाद भी वर्ष 2006 से मान्यता हजारों रुपये घूस लेकर दे रहे हैं इस हेतु पत्रावलियों में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद भी व्यापक स्तर पर हेराफेरी की जा रही है।

संयुक्त सचिव द्वारा रु0 30 लाख का निर्मित भवन कल्याणपुर लखनऊ में खरीदा गया है अनुभाग अधिकारी शिक्षा 7 व 8 द्वारा दो मंजिला भवन व दो-दो प्लाट लखनऊ में खरीदे गये हैं प्रतिदिन लाखों रुपये अवैध सचिवालय के अन्दर इन तीन अनुभागों में अवैध रूप से कमाया जा रहा है भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है।

अतएव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित प्रकरण पर हम शासन का ध्यान अविलम्ब आकृष्ट कर चर्चा की मांग करते हैं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत मैलानी प्राथमिक केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार--

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के मेरी विधान सभा-53 पैला के अन्तर्गत नगर पंचायत मैलानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शासनादेश वित्तीय आ0 शा0 सं0-ई-3-1654/दस-2002, दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा एक मुश्त धन आवंटन हेतु हुआ था तथा इसके साथ ही साथ अनुसचिव चिकित्सा स्वास्थ्य उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्माण इकाई सी0एण्ड0 डी0 एस0 लखीमपुर को पत्रांक एम0एम0 187/(1) पांच-2003 दिनांक 3 अगस्त, 2003 द्वारा नामित भी किया गया था मा0 प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में दर्ज 2005-06 में जिला योजना में भी पुन: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु धन आवंटन का प्राविधान किया है। परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और ज्ञात हुआ कि निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य हेतु धन भी आवंटित कर दिया गया है।

अत: मा0 मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र मैलानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी का निर्माण कार्य कराने की कृपा करें ताकि लम्बित परियोजना का कार्य हो सके।]

वर्ष 2004-05 में जनपद जौनपुर के सुनिश्चित रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत काम के बदले अनाज के निर्धारित कोटा की काला बाजारी की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश नारायण राय--

[मान्यवर, विगत वर्ष 2004-05 में जनपद जौनपुर के सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक ग्राम सभाओं को काम के बदले अनाज का निर्धारित कोटा आवंटित हुआ तथा इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों को भी आवंटित हुआ था। आवंटन पत्र जारी हुए परन्तु सभी ग्राम सभाओं एवं क्षेत्र पंचायतों को न देकर मात्र तीन विकास खण्डों बक्सा, सिकरारा, बदलापुर में ही अधिकांश खाद्यान्न भेजकर उसकी काला बाजारी में देखा गया है। उदाहरण के तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड धर्मापुर की ग्राम सभाओं के लिए 1696.98 तथा क्षेत्र पंचायत के लिए 2888.85 का आवंटन हुआ। विकास खण्ड-मुफ्तीगंज में ग्राम सभाओं को 4537.00 तथा क्षेत्र पंचायत को 3315.64 आवंटन हुआ। विकास खण्ड-सरकोनी की ग्राम सभाओं को 2793.16 तथा क्षेत्र पंचायत को 2734.15 एवं विकास खण्ड-जलालपुर को 2321.67 व ग्राम पंचायत को 3810.81 आंटित हुआ।

उपरोक्त आवंटन जारी हुए। गोदाम से निर्गत भी हुआ पर ग्राम सभाओं में न पहुंचकर कुछ विकास खण्डों में ज्यादा देकर शेष काला बाजारी में चला गया जिससे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। सूखा की स्थिति है। मजदूरों को पैसा आज तक न मिलने से भुखमरी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए मजदूरों की मजदूरी भुगतान की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जालौन के कालपी योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में कराये गये विद्युत सुधार कार्य में कथित अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा--

[मान्यवर, कालपी जनपद जालौन में विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में विद्युत् सुधार कार्य कराये गये हैं जिसमें लाइन विस्तार तथा सात ओ0सी0बी0 मशीनें लगवाई जानी थी तथा 11 के0वी0 लाइन के नीचे गार्डिंग वायर लगाये जाने थे। उपरोक्त कार्य विद्युत् विभाग के सेकेण्डरी वर्क्स विभाग द्वारा कराये गये हैं तथा खरीद लखनऊ मुख्यालय की प्रोक्यूरेंट विभाग द्वारा की गयी थी। इसमें गार्डिंग वायर अब तक नहीं लगाये गये, प्रयुक्त करे गये इन्सुलेटर जो फायोनियर नामक कम्पनी से खरीदे गये हैं, में रांगा कम है इस कारण शाट होने से 11 के0वी0 तार प्रतिदिन टूट कर गिर रहे हैं तथा सात की जगह मात्र दो ओ0सी0बी0 मशीनें लगायी गयी जो कि लगाये जाने के 6 माह के अन्दर गारण्टी अवधि में ही जल गयी जिससे भीषण गर्मी में क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत् वितरण खण्ड ने विश्वबैंक योजना के अधीमानक कार्य तथा मशीनों की सप्लाई की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। सभी ओ0सी0बी0 मशीनें इन्सुलेटर आदि कमीशन खोरी का शिकार हो गये और क्षेत्रीय नागरिक खामियाजा भुगत रहे हैं।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26-7-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा/वक्तव्य के समय संबंधित मंत्रीगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में है इस सूचना में किसी दिन अथवा घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है।

दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश सं0-166(2) के अनुसार कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की सरकारी गजट दिनांक 15 सितम्बर, 1997 तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2003 के बावजूद प्रदेश में भर/राजभर, जो पिछड़ी जाति में सम्मिलित है, को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 150 हैण्ड पम्प व 5 कि0मी0 सड़क देने की मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा का पालन न किये जाने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री सतीश महाना की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 200 हैण्ड पम्प, 5 कि0मी0 सड़क व 25 लाख रुपए के बिजली के कार्य कराये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन न किये जाने के संबंध में है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छठी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 गांव समग्र विकास गांव के रूप में चिन्हित कर विकास कराने की घोषणा के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त न किये जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा की विधायक निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के कार्यों में अत्यधिक विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की प्रदेश में आसन्न पंचायत चुनावों में निष्पक्षता बनाये रखने हेतु निर्देश जारी किये जाने के संबंध में है।

नवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रमोद तिवारी की प्रक्रिया नियमावली के नियम-247 के अन्तर्गत सदन की सभी समितियों का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में 100-100 इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाने की माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में जल निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नल लगाने से मना किये जाने के संबंध में है।

और ग्यारहवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की दी को-आपरेटिव टेक्सटाइल, मिल, सहकारी नगर, बुलन्द शहर को पुन: चालू कराये जाने के संबंध में है, इन सूचनाओं में श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रमोद कुमार की सूचना मुझसे संबंधित है इस पर यहां सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रथम तीन सूचनाओं डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री जगदीश नारायण राय व श्री सुखदेव राजभर पर थोड़ा सुनना चाहता हूं। शेष को अस्वीकार किया गया।

प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर उसके निर्वाचन क्षेत्र में 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाने की मुख्य मंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में जल निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नल लगाने से मना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन यह पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के विधायकों का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

इस संबध में नियमावली में तमाम नियम उपलब्ध है जिनके तहत आप लिखकर दे सकते हैं लेकिन यह नियम 300 में नहीं आता है। किसी अन्य सुसंगत नियम में आप इसको दे देते तो सरकार की तरफ से उत्तर आ जाता और बात भी हो जाती नियम 52 में दे देते तो इस पर चर्चा भी करा सकते हैं लेकिन जब नियम 300 में नहीं आता है तो बार-बार लिखकर क्यों दे देते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

इसको आप हमारी जानकारी में ला देते तो हम कार्यवाही करवा देते। नगरीय क्षेत्रों में हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगे हैं, हम इसको दिखवा लेंगे और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे। इसमें सदन का समय लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

यह पूरे नगरीय क्षेत्रों के विधायकों की समस्या है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या अभी गाड़ दें ?

आई है जानकारी सरकार के सामने तो हम इसको दिखवा लेंगे कि क्यों नहीं हुआ ? हम कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे। आपका भी राज-पाट हमने देखा है अच्छी तरह से।

औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा था।

श्री अध्यक्ष--

कितना महत्वपूर्ण था, हमने देखा है।

श्री राम इकबाल सिंह--

30-30 मकान गये हैं। मुख्य मार्ग से जोड़ने की जो सड़क है, उसके लिये शासन से कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

(श्री मुंशी लाल गौतम भी बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल जी, आप लोग विद्वान हैं। आप सुसंगत नियमों में उठाइये। आप नियमावली उठाकर देखिये, आप लोग देखते नहीं हैं। नियमावली में इतने नियम उपलब्ध हैं कि आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। आप उसके अन्तर्गत देते नहीं है। 300 में देते हैं जो कि आती नहीं है। आप नियमावली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर है लेकिन आप उसमें देते नहीं है। यह नई परम्परा मत डालिये। दूसरे नियमों में लाइये। हम खुद उस पर सोचेंगे और निर्णय देंगे। आप लाइये तो सही।

सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा/वक्तव्य के समय संबंधित मंत्रीगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी --

मान्यवर, आपने मेरी सूचना के संबंध में कुछ निर्णय पढ़ा था कि सूचना में किसी दिन और घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, पहले मैं घटना के बारे में कह दूं या नियमों के अन्तर्गत अपनी बात रखूं।

श्री अध्यक्ष--

नियमों के अन्तर्गत अपनी बात रखिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, नियम-300 में दिया है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया है उसकी सूचना आपके पास है और भली-भांति आपके संज्ञान में है। औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में

उठाया जा सकेगा। मान्यवर, मैंने अपना प्रश्न सदन के सामने जो कार्य है उसी के संबंध में उठाया है। आज भी वह घटित होगा इसीलिये मैं उठा रहा हूं। मान्यवर, मैं मूल सूचना पर आ रहा हूं जिस पर मैंने आपका निर्णय चाहा है। मान्यवर, जब कोई भी माननीय सदस्य नियम 56 में अपने क्षेत्र या प्रदेश की किसी विशेष समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्य स्थगन की नोटिस देता है या नियम 51 में अपने क्षेत्र या प्रदेश की समस्या को उठाता है तो उस पर कृपापूर्वक आप वक्तव्य या केवल वक्तव्य स्वीकार कर देते हैं। अब वक्तव्य और केवल वक्तव्य के समय माननीय सदस्यों को अपनी नियम 56 या नियम 51 की सूचना पर दो-दो प्रश्न स्पष्टीकरण के माध्यम से पूछने का अधिकार होता है। मान्यवर, यहां सदन में स्थिति ऐसी होती है कि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी के उपस्थित न होने के कारण माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। स्वाभाविक भी है कि उस संबंधित विभाग की जितनी पूर्ण जानकारी उन्हें होनी चाहिए वह नहीं होती है ऐसे में नियमावली में माननीय सदस्यों को जो स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार है वह पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि उसको पूरा सही जवाब नहीं मिल पाता है। मैंने भी नियम 51 में प्रश्न किये और उसके वक्तव्य के समय मुझे स्पष्टीकरण के समय समुचित उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री जी के उपस्थित न होने के कारण नहीं मिल सका। ऐसे में मुझे लगता है कि इस सदन के बैठने का औचित्य भी अब नहीं रह गया है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को ज्यादा समय दे रहे हैं जबकि अन्य मंत्रीगण के पास अपने विभाग के संबंध में जानकारी देने के लिये यहां बैठने की फुर्सत नहीं है। इस संबंध में पीठ से निर्देश भी दिये गये हैं और इसीलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार भी किया था। मेरा आपसे कृपापूर्वक निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि यदि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री उपस्थित न हों तो उस दिन उसको स्थगित कर दें और दूसरे दिन ले लें। इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा तो विभागीय मंत्री सदन में उपस्थित रहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो औचित्य का प्रश्न किसी भी ऐतबार में नहीं बनता। आप हमको इतना कम सलाहियत क्यों समझ रहे हैं ?

सारी सूचनायें आती हैं उसके साथ सामग्री आती है। हम सदन में पढ़कर आते हैं सब मामलों पर। सारी जानकारी अलग से रहती है, आपसे कम रहती हो यह हो सकता है। आप कोशिश में रहें और जानकारी देने के लिए। कल भी नियम 51 पर प्रश्न पूछे गए, सब पर जवाब दिया गया है हम तैयारी से आते हैं। कोई साथी न आ सके तो भी हम चाहते हैं कि संसदीय कार्य ढंग से चले, संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदारी का एहसास हो। संसदीय कार्य मंत्री को सारी जानकारी लेकर आना चाहिए। यहां जानकारी मिलती है तो सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो तो वह दो दिन बाद आप अलग से पूछ लें आपका तो विशेष ध्यान रखा जाता है आगे भी रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय बाजपेयी जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना .....।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय नेता सदन कह रहे हैं, भलमनसाहत में बाजपेयी जी ने कहा कि सदन में बैठने का औचित्य नहीं है, अधिकार नहीं है तो जिस चीज का औचित्य नहीं है उसको सदन में लाने का अधिकार नहीं रहा। इतने अख्तियारात आपके अन्दर समा गए हैं कौन आए, कौन सदन में रहे, कौन न रहे, क्या नाजायज है, क्या जायज है ?

श्री अध्यक्ष--

पिछले सत्र में भी मैंने इस बारे में कहा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री जी सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं लेकिन यह अच्छी बात होती कि विभागीय मंत्री जी भी अपने विभाग के प्रति नियम 51 के प्रश्न पर सदन में उपस्थित रहते। वैसे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन संविधान के नियमों के तहत होता है और उसके अनुसार संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

पूर्व के निर्णयों में ऐसा हुआ है . . . .।

श्री अध्यक्ष--

सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आपका निर्णय शिरोधार्य है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 166 (2) के अनुसार कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय--

नियम-300 में मेरा औचित्य का प्रश्न सुन लें। श्रीमन् 17 फरवरी, 2005 को मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था मेरा प्रश्न कार्यसूची पर 90 क्रमांक पर लगा था, उसका जो उत्तर दिया गया वह सत्य से परे था। मेरे क्षेत्र का मामला था और अतारांकित प्रश्न का जो जवाब आया उसमें बताया गया कि जिन ग्रामों के संबंध में मेरे द्वारा प्रश्न किया गया है वह ग्राम नहीं है जबकि वह ग्राम मेरे घर के बगल का ग्राम है। मैंने इसको यहां उठाया तो आपने कहा कि नियमों के अन्तर्गत उठाइए। मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के तहत, मैंने नियम 166 (2) में आपके कार्यालय को अपनी सूचना प्रस्तुत की। उसमें साक्ष्य मांगा गया कि मैंने संपूर्ण आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध करा दिये हैं। इसको 301 में भी मेरे द्वारा लगाया गया। उसका उत्तर जानना है। मान्यवर, नियम 166 (2) में कहा गया है कि यदि मंत्री द्वारा सदन में दी गयी सूचना गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना यथासंभव उसी सत्र में और विलम्बतम अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन को भी दे देंगे। प्रथम सत्र समाप्त हुआ द्वितीय सत्र आ गया है 2-4 दिन में सत्र समाप्त भी हो जाएगा अब तक सूचना नहीं मिली इस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

निदेश संख्या 166 (2) में सूचना दी थी उस पर सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया उसकी जानकारी की गई शासन की तरफ से उत्तर नहीं आया है इसलिए इसमें अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा इसका नियम है समय निर्धारण का नियम है तो उस समय के अन्तर्गत उत्तर आना चाहिए। इसमें उत्तर नहीं आ सका है इसलिए प्रश्न विचाराधीन है। यह निस्तारित नहीं हो सका है। उसके फलस्वरूप यह प्रश्न 300 में उठाया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सूचना मांगी जाए, वह समय से आ जाए।

अगली सूचना राजभर जी की है। राजभर जी, यह 300 में कैसे बनता है ?

श्री सुखदेव राजभर--

अध्यक्ष जी, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं, मैंने पंचायतीराज मंत्री जी को एक निवेदन पत्र दिया था, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से एक आदेश आज निर्गत करा दिया है।

श्री अध्यक्ष--

जब हो गया है तो क्यों बोलना चाहते हैं, आदेश जब पहुंच गया है तो आप क्यों बोलेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर--

जिलाधिकारी को निर्देश चला जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह हो गया है।

मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य द्वारा बागपत में विद्युत् समस्या को लेकर सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है, वह संवैधानिक प्रश्न है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं लिखकर नहीं भेज सका।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा होता कि आप लिखकर दे देते।

श्री हुकुम सिंह--

आपने कृपापूर्वक मुझे अनुमति दी है, अभी आपने कहा है कि मंत्रिमण्डल का संयुक्त दायित्व होता है।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप बिना लिखकर दिए उसके औचित्य पर कहेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि आप लिखकर दे दें और जो मुख्य मंत्री जी से संबंधित है, वह भी लिखकर दे दीजिए।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष जी, यह मुझसे, मुख्य मंत्री जी से और आप से भी संबंधित है। संयुक्त दायित्व की जो बात है, कल सरकार के एक सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता जो विधान मण्डल दल के नेता भी हैं और उनकी समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी भी है, जिन्होंने कल बागपत में बिजली के सवाल को लेकर सरकार के खिलाफ धरना भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आपने लिखकर नहीं दिया है।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष जी, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय अखबारों में यह विस्तार से छपा है। हमें चिन्ता की बात होगी कि जब कोई सहयोगी दल का नेता सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेगा और हजारों लोग उसके पीछे होंगे तो यह कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

अब आपने कह दिया।

श्री हुकुम सिंह--

क्या इससे यह समझा जाए कि इस सरकार से समर्थन वापस लेने का एक कदम जारी कर दिया है ?

श्री कांकव हमीद (ग्रामीण, अभियन्त्रण सेवा, पर्यटन मंत्री)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हुकुम सिंह जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां मौजूद थे ? यदि मौजूद नहीं थे तो कही-सुनी बातों पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बैठा जरूर हूं। मैं बैठा और अधिकारी बुलाये, न तो वहां नारे लगे किसी सरकार के खिलाफ। हां, यह जरूर फायदा हुआ जो लोग आपकी पार्टी के वहां ऊधम मचा रहे थे, वहां पर दो दिन से ओजार खराब हो जाने के कारण बिजली नहीं आई थी, आपके जो लोग ऊधम मचा रहे थे, उसको काउण्टर करने के लिए यह था। वहां कोई धरना नहीं है।

प्रदेश के आसन्न पंचायत चुनावों में निष्पक्षता बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मपाल सिंह--

अध्यक्ष जी, पंचायत चुनावों के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपका औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। कल पंचायतों पर काफी चर्चा हो गई है और मंत्री जी का जवाब भी आ गया है। आप लिखकर दे दीजिए।

आपने स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लम्बित है और आप इसे औचित्य के प्रश्न के माध्यम से लाना चाहते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, हमने कहा है कि चुनाव बरसात में हो रहे हैं कुछ क्षेत्र बाढ़ में प्रभावित होंगे। म सदन के संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि आप पंचायत चुनाव बाढ़ के चलते क्यों कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी। पंचायत चुनाव का एक निर्धारित समय होता है। पंचायत चुनाव की एक प्रक्रिया है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, माननीय सदस्य इतने जिम्मेदार हैं। मान्यवर, अगर 31 अगस्त तक चुनाव नहीं होंगे तो संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने चाहा कि कोई ऐसी क्राईसिस न हो। लेकिन फिर भी बाधा डाली गयी। हाई कोर्ट ने भी फैसला किया कि चुनाव होंगे और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव रोकने का सवाल ही नहीं है। अब समय पर चुनाव होगा। कुछ भी हो, 31 अगस्त तक चुनाव होना है। आप आपत्ति कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह सुन लिया है।

विशेषाधिकार की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष--

इसमें कुछ नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं मद संख्या-3 में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि आपकी सूचना भ्रामक है इसलिए तथ्यों पर आधारित सूचना दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों के भिज्ञ हैं, आप लिखित सूचना दीजिएगा तो इसका परीक्षण कराया जाएगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2005 की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 26 जुलाई, 2005 से 4 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1--दिनांक 28 जुलाई, 2005 के उपरान्त विधान सभा की बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2005 को हो।

2--दिनांक 28 जुलाई, 2005 के स्थान पर दिनांक 27 जुलाई, 2005 को असरकारी दिवस (पूरा दिन) रखा जाय।

3--दिनांक 4 अगस्त, 2005 को विधायी कार्य रखा जाय।

4--दिनांक 26 जुलाई, 2005 से 4 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

जुलाई , 2005

26 मंगलवार	(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।
	(2) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।
27 बुधवार	**12.30 बजे अपराह्न**
	1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।
	2--असरकारी दिवस (पूरा दिन)।
28 गुरुवार	1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

29 शुक्रवार 30 शनिवार 31 रविवार **अगस्त, 2005** 1 सोमवार 2 मंगलवार 3 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
4 गुरुवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 5 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था-पर निर्धारित चर्चा को नेता सदन की मौजूदगी में कराये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष--

इसमें कार्य स्थगन है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी है। माननीय मुख्य मंत्री इस समय यहां बैठे हैं, उनका समय बचाने के लिए अगर यह समय ले लें तो बहुत कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि इसी समय ले लिया जाय। अभी दो, तीन विधेयक पारित कराने हैं, उसके बाद 13 नम्बर पर यह आइटम है। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष का कहना है अभी ले लिया जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, अभी काम तो बहुत ज्यादा नहीं है। शिकायत यह रहती है कि सत्र कम चलता है और इस ख्याल से सत्र बढ़ाया गया है। अभी कल भी है और उसके बाद भी है, कल हो जायेगी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय नेता विरोधी दल की राय सही है कि कानून व्यवस्था पर जो भी वह बोले नेता, सदन को उस समय रहना चाहिए। हमारी कुछ मजबूरी है। आप कल के बाद किसी समय कानून व्यवस्था पर बहस करा लें। कल भी हम नहीं रह पायेंगे। कल मुझे बाहर रहना पड़ेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि जब नेता विरोधी दल बोलें तो मैं उपस्थित रहूं। आज भी हो जाता, लेकिन दिक्कत यह है कि आज विधान परिषद् में थोड़ी देर बाद वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान हो रहा है और उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, हो सकता है दो, तीन घंटे लग जायें। इसलिए मैं यहां पर रुक नहीं पाऊंगा। मेरा नेता विरोधी दल से आग्रह है, यदि वह सहमत हो, तो 28 को इस पर चर्चा कर सकते हैं। उस दिन मैं उपस्थित रहूंगा।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं तीन दिन से कन्टीन्यू कह रहा हूं और आज भी नहीं हो रही है। अगर नेता सदन को जाना है तो मुझे सुन लें उसके बाद फिर चले जायें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सुझाव तो नहीं दे सकता लेकिन नेता सदन ने जो प्रस्ताव दिया है कि 28 तारीख को रख लिया जाय, तो अगर चाहें तो उस दिन रख लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। आज कानून व्यवस्था पर चर्चा है उसे आज ही से प्रारम्भ कर दिया जाय। माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेतागण जो बोलना चाहते हैं उन्हें आज न बुलवाकर जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, 28 तारीख को, उस दिन बुलवा लें। जो नये माननीय सदस्य हैं उनसे आज चर्चा प्रारम्भ करा दें इससे उनका अभिकथन आ जायेगा और माननीय मुख्य मंत्री उसका संज्ञान भी ले लेंगे। तो नए माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी।

दिनांक 16-8-05 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय नेता विरोधी दल से बिना छुट्टी मांगे मैं कभी भी नहीं जाता हूं, और कल भी जब छुट्टी की स्वीकृति मिल गई थी तभी मैं बाहर गया था।

श्री लालजी टण्डन--

आप सही कह रहे हैं, मान्यवर, मैंने कल छुट्टी, दी थी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी मैंने फोन किया था, लेकिन आप उपलब्ध नहीं थे, इसलिए आपसे हमारी बात नहीं हो पाई थी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री तो रामपुर में उपलब्ध हो गए थे। तो मान्यवर, जितनी भी लोकतांत्रिक, संसदीय परम्परायें हैं, उन सबका हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर करे कल तक कोई घटना न हो, लेकिन अगर कोई घटना हो भी जाये तो इतने समय में आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें, इसलिए 28 तारीख को ही हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर इसमें किसी तरह की कोई आशंका हो तो हम अगस्त के प्रथम वीक में भी असेम्बली चला सकते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26-07-2005 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग पी0जी0टी0 द्वारा केवल इलाहाबाद में ही परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री अमर सिंह परमार की जनपद आगरा के खैरागढ़ क्षेत्र में खारा पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना (1) डा0 विनोद तिवारी (2) श्री अनीस अहमद, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरण राजभर की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बाढ़ कार्यों के लिए, अवमुक्त धनराशि में किए गए गंभीर घोटाले के संबंध में है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, मान्यवर, 28 तारीख में हम सूबे में नहीं रहेंगे क्योंकि माननीय आडवाणी जी उस दिन रायबरेली आयेंगे और हम सब वहां जायेंगे। हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि उस दिन सदन न हो।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का इंतजार करूंगा, जब वह आकर बोलेंगे तब मैं बोलूंगा।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, यह चर्चा कल ही रख लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, कल तो मैं यहां नहीं रहूंगा।

श्री लालजी टण्डन--

अगर कल आप नहीं रहेंगे तो फिर इसे आज ही रख लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आज रात में ही ? मान्यवर, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

अध्यक्ष जी, कभी इस पर भी विचार कर लें, उस जगह पर कभी हम भी वहां बैठा करते थे, दिल चाहता था कि हमसे भी कोई ऐसा कहे। क्या मामला है ? ऐसी इनमें क्या खूबियां हैं ? पता नहीं क्यों हमारे नेता जी इतना ख्याल रखते हैं नेता विरोधी दल का। आखिर कुछ तो पता चले, हो सकता है कभी हमको भी वहां पर बैठना पड़े।

श्री लालजी टण्डन--

वह खूबियां तो आपमें भी हैं, फर्क इतना है कि जो आप यहां से करते थे, वह हम नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

चौथी सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका परिषद् पिलखुवा में निर्माणाधीन पानी की टंकी में किए गए घोटाले के संबंध में है।

पांचवीं सूचना, श्री रामहेत भारती की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र में दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन कराये जाने के संबंध में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

छठी सूचना, श्री राजेश कुमार, श्री आर0एस0 कुशवाहा की प्रदेश के पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए प्रमाण-पत्र लगाये जाने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अत: अस्वीकृत हुई । 1--श्री राम नरेश यादव की कानून व्यवस्था की चर्चा में आप इस पर बोल लीजिएगा। 2--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय 3--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 4--श्री सलिल विश्नोई 5--श्री राम इकबाल सिंह 6--श्री सतीश महाना 7--श्री मुंशी लाल गौतम 8--श्री बाबू लाल कुशवाहा 9--श्री कपिल देव यादव 10--श्री चन्द्र देव यादव 11--श्री नवाब सिंह नागर 12--चौ0 रिजवान अहमद 13--श्री घूरा राम 14--श्री विद्या सागर गुप्ता 15--मो0 मुजतबा सिद्दीकी 16--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री भगेलू राम, श्री आर0एस0 कुशवाहा, 17--श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती अमिता सिंह 18--श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 19--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

वह नियम-51 में परिवर्तित कर दी गई है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपनी सूचना पर बोलें।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सतीश महाना, श्री मुंशी लाल गौतम व श्री सुखदेव राजभर के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

माननीय मुंशी लाल गौतम जी, अब यह कोई जरूरी है कि रोज आपकी सूचना ली जाए। किसानों के बारे में कल बात हो गयी है कुछ नहीं लिखा जायेगा। महत्वपूर्ण सूचना बाजपेयी जी दे रहे हैं उसको सुने।

श्री मुंशी लाल गौतम--

[X X X]

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, आपने सदन में कहा था कि यह नेता लोग ज्यादा बोलते हैं और उसमें नये सदस्यों को अवसर नहीं मिलता है इसलिए आप नये सदस्यों को मौका देना चाहते हैं। मुंशी लाल गौतम जी नए सदस्य हैं और उनके अन्दर एक अच्छा पार्लियामेन्टरियन बनने की बहुत संभावनाएं हैं वह कोई भी विषय जो उठाते हैं उसमें अव्यवहारिक बात नहीं होती है। आप इनको कृपा पूर्वक अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल जी, आपका विशेष अनुग्रह इन पर है और उसका लाभ यह उठा लेते हैं चाहे इनकी सूचना नियमों के अन्तर्गत रहे या न रहे। आज जितनी भी सूचनाएं है वह नए व पुराने दोनों सदस्यों की है। जो बाजपेयी जी की सूचना है वह जो परीक्षाएं होने जा रही है उसका परीक्षा केन्द्र इलाहाबाद बनाया गया है जबकि यदि अन्य जगह भी यह केन्द्र बन जायेंगे तो अभ्यर्थियों की सुविधा हो जायेगी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं माननीय नेता विरोधी दल जी और यह आप की कृपा का मुंशी लाल गौतम जी लाभ उठा लेते हैं। मैं भी इन्हें कुछ नहीं कह पाता हूं लेकिन आप इन्हें समझाइये कि नियमों के अन्तर्गत ही सूचना दें।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी की एक महत्वपूर्ण सूचना है उसको सुन लेने दें।

आप उनको बोलने दें।

(श्री सतीश महाना, श्री राम इक़बाल सिंह और श्री सुखदेव राजभर के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा।)

श्री सुख देव राजभर--

मान्यवर, एक सूचना मेरी है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

नोट :--[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

महाना जी, आपका नियम 56 में है आज नहीं आया बाद में लिया जायेगा।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

पहले उनको बोल तो लेने दें।

श्री सतीश महाना--

[X X X]

श्री अध्यक्ष--

अभी तो आपकी एक सूचना नियम 56 में आई है इतना आपका छपा, टेलीविजन पर आया।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, अगर आपकी व्यक्तिगत नाराजगी है तो आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी से व्यक्तिगत नाराज नहीं हूं न व्यक्तिगत किसी के प्रति द्वेष है। यह सदन नियमों से चलता है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, सारे नियम मेरे लिये हैं ? सारा सदन नियमों से बंधा हुआ है और यह पीठ भी नियमों से बंधी है। [X X X]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा, न कार्यवाही का अंग माना जायगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इनके सदस्यों के बोलने का इस तरह का अंदाज होगा इस तरह से लांछन लगायेंगे, इतना गुस्सा, इतनी डांटने वाली बात न तो यह सभ्य भाषा है, न सभ्य शब्द है किसी भी माननीय सदस्य को ऐसी भाषा में बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मुझे अपनी बात को कहने का अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अपनी वात को कहने का सदस्यों का सभ्य तरीका होना चाहिए।

श्री सतीश महाना--

हमारे को सलीका आपसे नहीं सीखना।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आपको सलीका नहीं मालूम है तो आपको सलीका सीखना पड़ेगा।

श्री सुख देव राजभर--

मान्यवर, मेरी एक नोटिस है, तात्कालिक घटना पर है।

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों को पढ़े।

श्री सुख देव राजभर--

मान्यवर, तात्कालिक घटना है और उसको 56 में हमने दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आज कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी है इसलिए उस पर कह लेते और यह सारा मामला कानून व्यवस्था से संबंधित था इसलिए उसको नहीं लिया गया। आप बैठें आप तो खुद संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

श्री सुख देव राजभर--

मान्यवर, हम लोग सीखना चाहते हैं, आप संरक्षण दें हम आपसे सीखना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। पुलिस वर्दी में हत्या हो रही है एक स्पेशिफिक घटना के बारे में हम लोग दिये हैं दो मिनट सुन लें, सदन के संज्ञान में आ जाय। दिनदहाड़े 5-5 ए0के0-47 लेकर लोग घुसकर हमला किये। वह हमारी पार्टी का उम्मीदवार रहा था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजभर जी, आप बैठ जायें। आपने जो दिया था, 13वीं या 14वीं नं0 पर कानून व्यवस्था की चर्चा लगी है, आपको उसमें बोलने का अवसर मिलना था, आप उसमें सारी बात कह लेते, इसलिये स्वीकार नहीं किया गया।

श्री सुख देव राजभर--

मान्यवर, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, जिसको गोली मारी गयी, वह हमारी पार्टी का उम्मीदवार था, 3 बजे दिन में गोली मारी गयी, एस0टी0एफ0 का अधिकारी बनकर लोग घुस आये। उसको आपने निरस्त कर दिया, आप दो मिनट सुन लेते।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें। कृपया सदन चलने दें। आप तो बहुत संजीदा विधायक व मंत्री रहे हैं।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निर्धारित चर्चा हेतु पूरे एक दिन का समय निर्धारित किये जाने की मांग

*श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, क्या इस सत्र में कानून व्यवस्था पर चर्चा हो पायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे उम्मीद है।

श्री सलिल विश्नोई--

[x x x]

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आपका लिखा नहीं जा रहा है, आप काहे को बोल रहे हैं ? पहले जो नियम में है, उसको तो सुन लें। आप दूसरे नियम में दे दीजियेगा। आप कृपया बैठ जायें।

श्री उदयभान करवरिया--

पिछली बार भी ऐसा हुआ कि कानून व्यवस्था पर चर्चा न हो, जो बोलना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं दिया जाता है। आप यह सुनिश्चित कर लीजिये कि सारे ही सदस्य बोलना चाहते हैं और आपने केवल एक घन्टे का समय रखा है, इतने में तो नेता विरोधी दल और अन्य पार्टियों के नेतागण ही बोल पायेंगे। बाकी सदस्य कहां अपनी बात कहेंगे ? जिलों में भी हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यह हम सदस्यों की पीड़ा है। हम अपनी बात कैसे कह पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये नेता सदन और नेता विरोधी दल पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे प्रदेश की समस्याओं की उनको जानकारी होती है, आपकी समस्या को वह अपने वक्तव्य में शामिल कर लेंगे।

श्री उदयभान करवरिया--

हम सदस्य भी चुनकर इसलिये आये हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्या कह सकें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

श्रीमन्, अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने जो बात रखी, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि आपने कानून व्यवस्था विषय पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार की है। इसमें हमारा अनुरोध है कि हमारे जो भी माननीय सदस्य हैं, उन सबको अपने क्षेत्र की समस्या कानून व्यवस्था के माध्यम से कहना है, तो इसलिये एक घंटे का समय बहुत कम है। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि इस पर समुचित लोगों की बात आ जाय तो इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करके एक विशेष तिथि तय कर लें और पूरा दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा हो जाय, जिससे सबकी बातें आ जायें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, 28 को मैं नहीं रहूंगा तो 28 को बहस नहीं होगी और जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा, तब तक दूसरा बोल नहीं सकता। आप उसके लिये जो दिन निश्चित करें, उसमें ध्यान रखें, 27 को मुख्य मंत्री को सूट नहीं करता है। आप अगस्त में जो दो दिन करें, उसमें जो एक दिन बढ़ा रहे हैं, उसमें केवल ला एंड आर्डर पर चर्चा हो, तो उसमें सबको बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य --

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल चर्चा को मई के महीने में रखने के लिए कह रहे हैं और मई का महीना तो अब अगले साल ही आयेगा। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसी साल यह चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप लोग कार्य-मंत्रणा करके तय कर लें तो एक दिन क्या तीन दिन चलाइये।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाएं, आपके नेता ने प्रस्ताव कर दिया है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपने मुझे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की गम्भीर समस्या के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार भी इसे ध्यान से सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया सुन लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माप्यवर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग पी0जी0टी0 परीक्षाओं का आयोजन करता है और आज से 13 दिन बाद दिनांक 07 अगस्त, 2005 को यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा के लिए केवल एक केन्द्र इलाहाबाद में बनाया गया है। मान्यवर, आप कल्पना करें कि इससे बेरोजगार नौजवानों पर कितना व्यय-भार पड़ेगा क्योंकि पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान इलाहाबाद जायेंगे। इसके अतिरिक्त मान्यवर, व्यवस्था की दृष्टि से भी यह कितना अव्यवहारिक हो जाएगा। मान्यवर, 09 जून को एक परीक्षा ली गई थी इसी माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग पी0जी0टी0 द्वारा और उसमें मेरठ को भी केन्द्र बनाया गया था लेकिन 07 अगस्त, 2005 को होने वाली परीक्षा में इस केन्द्र को समाप्त करके केवल इलाहाबाद को केन्द्र बनाया गया है। इसमें मेरा निवेदन यह है कि केवल मेरठ ही नहीं बल्कि मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ झांसी, बरेली, वाराणसी और आगरा जैसे आठ जिलों में केन्द्र बनाकर परीक्षाएं आयोजित की जाएं, जिससे कि जो बेरोजगार वहां जाएं, उनको अधिक व्यय-भार न वहन करना पड़े। मान्यवर, उसी दिन 07 अगस्त को मेरठ विश्वविद्यालय ने एम0एड0 की परीक्षा रख दी है और प्रदेश के बी0एड0 उत्तीर्ण छात्र एम0एड0 में प्रवेश लेने के लिए मेरठ आयेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके 07 अगस्त, 2005 को आयोजित होने वाली एम0एड0 की प्रवेश परीक्षा स्थगित करके 10 अगस्त, 2005 या उसके बाद की कोई तिथि इसके लिए तय कर दें और 07 अगस्त, 2005 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग पी0जी0टी0 द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए केवल इलाहाबाद को केन्द्र न बनाकर आठ जिलों में इसके केन्द्र बना दिये जाएं। मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, एम0एड0 की प्रवेश परीक्षा के सिलसिले में आपको मालूम है कि छात्र आन्दोलित हैं और वाइस चांसलर को इस संबंध में पूरा अधिकार है। सरकार ने कुलपति, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं और आवश्यक कार्यवाही हो

जाएगी। पी0जी0टी0 परीक्षा इलाहाबाद में होने के सम्बन्ध में जो आपने सम्भावना व्यक्त की है, जैसा आपका अंदेशा है कानून-व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में, इस बारे में सरकार आपको आश्वस्त करती है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने कानून-व्यवस्था पर कुछ नहीं कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, सारे इन्तजामात कर लिये गये हैं, परीक्षा ठीक से सम्पन्न हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका मुख्य बिन्दु यह था कि परीक्षार्थी पूरे सूबे से इलाहाबाद में आयेंगे। पहले यह परीक्षायें जगह-जगह होती थी, 6-7 केन्द्र बनाये जाते थे और परीक्षार्थी आसानी से जा करके परीक्षा दे लेते थे। अब पूरे सूबे का एक ही केन्द्र बनाया गया है तो दूर से आने वाले परीक्षार्थियों को कठिनाई होती है। अगर ज्यादा परीक्षा केन्द्र बना दिया जाए तो इससे परीक्षार्थियों को सुविधा होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे और बात कर लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसा उनका दर्द नौजवानों के संबंध में है तो कह दें कि इसे करा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

वही बात कह रहा हूं जो हो सकता है। एकदम घोषणा की स्थिति में नहीं हूं। इसे दिखवा लेंगे और जो बेहतर से बेहतर होगा, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस सूचना पर मैंने डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं नियम 56 में इस सूचना को निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री अमर सिंह परमार की है।

श्री अमर सिंह परमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने आगरा जनपद की खारे पानी की समस्या संबंध में मुझे यहां बोलने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी खैरागढ़ विधान सभा में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें खारा पानी, फ्लोराइड युक्त पानी है और पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। दस-दस मील से पानी आ रहा है और एक ड्रम पानी 200-300 रुपये में मिल रहा है। मान्यवर खारे पानी की वजह से कई तरह की बीमारियां गठियां, विकलांगता, डायरिया, पेट की बीमारियां हो रही हैं। इन ग्रामों में सामाजिक समस्या भी पैदा हो रही है। खारा पानी होने की वजह से कोई भी अपनी लड़की की शादी इन गांवों में नहीं करना चाहता। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र खैरागढ़ में 8-10 पानी की टंकियों की मांग करता हूं। जिसमें 2-3 कि0मी0 दूर बोर करके जहां मीठा पानी है। टंकियों में स्टोर कर जनता को गांवों में पानी की सप्लाई की जा सके।

श्री अध्यक्ष--

परमार जी आप बैठें, आपकी सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना नियम 56 में है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठिये। त्रिपाठी जी, आपकी नियम 56 की सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है ओर वक्तव्य के लिए स्वीकृत है। अगली सूचना डा0 विनोद तिवारी जी की है।

*डा0 विनोद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 18 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ से बचाव के लिए 37 स्टड व ठोकरें स्वीकृत हुई थी। उसमें गम्भीर घपला हुआ है। एक भी पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है। मान्यवर, 37 स्टड में से 22 स्टड बरेली डिवीजन हेडवर्क्स को ट्रांसफर कर दिया गया। श्री पी0राम, मुख्य अभियंता, शारदा सहायक हैं उन्होंने ये स्टड ट्रांसफर किये हैं। इसमें करोड़ों रुपये का गोलमाल किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री कठेरिया अधिशासी अभियंता और श्री सचान सहायक अभियंता हैं।

श्री अध्यक्ष--

इंजीनियरों का नाम लेकर कहने से क्या फायदा । आप तिवारी जी यह बतायें कि यह सूचना क्यों महत्वपूर्ण है ? लोकमहत्व और तात्कालिक क्यों है ? बजाय इस पर बोलने के इंजीनियरों के बारे में ज्यादा समय ले रहे हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, बाढ़ का सीजन शुरू हो चुका है। मैंने दो महीने पहले माननीय सिंचाई मंत्री जी से शिकायत की थी। प्रमुख सचिव, सिंचाई को भी लिखा था और आशंका व्यक्त की थी कि जो 18 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुयी है उसमें मानक के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, बरसात का सीजन आ रहा है यह सारा का सारा पैसा बेकार हो जायगा, कार्य करा दिया गया है ऐसा कहा जायगा, लेकिन वास्तव में कार्य नहीं होगा। मैंने यह पत्र 4-6-05 को दिया था लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कल 25-7-05 में अधीक्षण अभियंता सिंचाई को मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुझसे जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि आप एक सप्ताह के अंदर यह बतायें कि आप द्वारा यह शिकायती पत्र दिया गया है या नहीं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मिली जुली साजिश है और सारा पैसा खाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा स्वीकृत है उसका 1/4 पैसा भी नहीं लगाया गया है। मेरे पास एक जी0ओ0 है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टता सबूत पाये जाने पर उस व्यक्ति को कार्यदायी संस्था के पद पर नहीं रखा जायगा। इसमें जो कार्य हो रहा है वह मुख्य अभियंता पी0 राम के अधीन हो रहा है। श्री पी0 राम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इसी तरह से गिरीश चन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। श्री राधे श्याम यादव, सहायक अभियंता भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के पदों पर वह लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप यह कागज मेरे पास भेज दीजिये।

डा0 विनोद तिवारी--

मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन लोगों की नियुक्ति एक साजिश के तहत की गयी है। मान्यवर जब जांच नहीं हुयी तो सारे राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात हो गयी। आप चर्चा की मांग करें।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, जिलाधिकारी पीलीभीत ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी। माननीय नेता विरोधी दल आप माननीय सदस्यों का रिफ्रेशर कोर्स कराइये।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, जो जांच रिपोर्ट आयी है उसमें यह कहा गया है कि इनका निलंबन किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह चर्चा नहीं हो रही है। आपने लोकमहत्व के बिंदुओं पर बोलने के बजाय पूरी चर्चा कर डाली। आप मांग ही नहीं कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिये। आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं अब बैठ जायं।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है इसमें जिलाधिकारी महोदय ने भी दोषी पाया है। यह लोक महत्व का है इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं। सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल जी, आप बैठ जाएं पहले अनीस अहमद जी को बोल लेने दें।

*श्री अहमद खां उर्फ फूल बाबू--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य स्थगन की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे जनपद पीलीभीत में शारदा नदी का बहाव बहुत तेज होता है और जब बरसात का समय आता है तो हजारों एकड़ जमीन उसमें समा जाती है जिसके लिए हर वर्ष वहां पर ठोकरें बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बजट दिया जाता है। वर्ष 2004-05 में 18 करोड़ रुपया इन स्परों को बनाने के लिए शासन ने स्वीकृत किया। वहां मुख्य अभियन्ता ने बरेली के ठेकेदार से मिलकर एक बड़ी रकम 22 स्पर के मद में पीलीभीत से लेकर बरेली ट्रांसफर कर ली और बिना कोई काम किए एक करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दे दिए। कुछ दिनों के बाद शेष 22 स्परों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जब हमने इसकी शिकायत पीलीभीत के तत्कालीन जिलाधिकारी से की तो उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया इसकी जांच के लिए जिसमें उप जिलाधिकारी, पूरनपुर थे दो अधिशासी अभियन्ता एक जल निगम के व एक आर0ई0एस0 के थे। इस कमेटी ने जब मौके पर जाकर देखा तो पाया कि इसके स्पर की चौड़ाई जो 40/40 की होनी चाहिए वह 10/9 मीटर की पायी गई तथा पत्थरों का साइज जो होना चाहिए था वह भी मौके पर नहीं पाया गया पत्थरों का वजन 40-60 कि0ग्रा0 होना चाहिए जो मोके पर 15/20 कि0ग्रा0 पाया गया। इसी प्रकार पत्थरों को पाटने के लिए जो आधार होता है वह 8 गेज का होना चाहिए वह मौके पर !2 से 16 गेज पाया गया।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टीका-टिपपणी करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहे कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू--

यह सरकार का पैसा है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस मामले में जिलाधिकारी महोदय ने जांच की है वह जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव सिंचाई के यहां पड़ी है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां पर जो अधिकारी तैनात है वह चार्ज शीटेड है। जबकि सरकार का 2002 का जी0ओ0 है कि जो भी चार्ज शीटेड अधिकारी हों उनको कार्यदायी संस्थाओं में तैनात न किया जाय। यह विषय लोकमहत्व का है, तात्कालिक है इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री राजेश कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सम्पन्न होने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

पंचायत चुनाव की बात कहां से आ गयी। आप विषय से सम्बन्धित बात रखें। लग रहा है आप कोई पेपर साथ रखे हैं और दूसरे विषय पर बोलने लगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं।

मान्यवर, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और जब चुनाव प्रक्रिया शुरु हो जाती है तो सारे अधिकार निर्वाचन आयोग के पास आ जाते हैं। आपकी यह शिकायत उन तक पहुंचा दी जायेगी और इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी पंचायत चुनाव की सूचना नहीं है। अभी दूसरी सूचना ली जा रही है, उस पर कहिये।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, दोनों पर एक साथ कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है सुन लें। आपकी जो सूचना थी। आपकी सूचना श्री अनीस अंसारी, डा0 विनोद तिवारी, श्री राजेश कुमार जी, श्री काली चरन राजभर जी, इसको देख लेने दीजिये। कभी-कभी कुछ त्रुटि कहीं हो जाय तो उसको सुधारना पड़ेगा। राजेश कुमार जी आपको और यह काली चरन राजभर जी की सूचना है। आप पंचायत चुनाव के बारे में कह रहे थे। मैं इस पर अपना निर्णय दे दूं।

(सिंचाई मंत्री को पुकारे जाने पर)

*सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान) --

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ के संबंध में माननीय सदस्यों को ज्यादा चिन्ता थी।

श्री अध्यक्ष--

आप संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दें नियम 56 वाला डा0 तिवारी की सूचना पर। अच्छा सिंचाई मंत्री, आप तैयार हैं, आप उत्तर दे दें नियम 56 वाले पर।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, डा0 तिवारी ने नियम 56 के माध्यम से आपसे कहा है। तिवारी जी का पत्र हमको 22-6-2005 से 24-6-2005 के बीच प्राप्त हुआ और हमने इस आधार पर जांच करवाई और उसमें ठेकेदार से 8.31 लाख रुपये की कटौती की गई और जो अधिकारी दोषी थे उनको हटाया गया। तिवारी जी ने कहा कि दोबारा जांच करा ली जाय। हमको अन्य जन प्रतिनिधियों से भी शिकायत प्राप्त हुई थी तो शासन ने सभी कार्यों की जांच विशेष टीम बुलाकर जांच कराने के निर्देश दे दिये हैं। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। यह डा0 तिवारी ने उस दिन बाढ़ की चर्चा के समय भी कहा था और मैंने तब जवाब दे दिया था।

डा0 विनोद तिवारी--

मैं यह चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने जो 7 तारीख को जांच रिपोर्ट भेजी है जो एक मैजिस्ट्रेट और दो इन्जीनियरों ने जांच की है, उसमें आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप हमको निर्णय सुनाने दें। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इनका कहना है कि जिलाधिकारी ने जांच कराकर जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव सिंचाई को भेज दी। उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए थी वह क्यों नहीं की गई ? आप तो जांच की बात कह रहे हैं वह तो विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच है। जबँ जांच हो गई और उसकी रिपोर्ट आ गई तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्य द्वारा तिवारी और अनीस अंसारी की सूचना को सुना और उस पर माननीय सिंचाई मंत्री जी का उत्तर भी सुना।

(डा0 विनोद तिवारी के खड़े होकर बोलने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप बार-बार क्यों फिर खड़े होकर कह रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आप वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं। आप बार-बार वही बात करते हैं। आप बैठें। मुझे कहने नहीं देंगे। आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे निर्णय के बाद कुछ कहें आप बीच में खड़े हो जाते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं सन् 1980 से आप चुनकर आए हैं। आप सारी परम्पराओं को जानते हैं मेरे निर्णय को सुन लेते। आप माननीय हुकुम सिंह जी, इनको बैठायें। विनोद तिवारी जी ने पत्र के साथ जांच आख्या भेजी थी इसको सिंचाई मंत्री जी को भिजवा दें। माननीय सिंचाई मंत्री जी, यह जो मामला उठाया गया है, आपने कहा है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं इसकी जांच शीघ्रता से कराकर और जो जांच आख्या इन्होंने प्रस्तुत की है उसको गम्भीरता से देखते हुए त्वरित निस्तारण करें यह नियम 56 में नहीं आता है यह निरस्त हो गया है।

(श्री कपिल देव जी के खड़े होने पर)

अब आप खड़े हो गए। आपका स्वीकार नहीं है। राजेश कुमार जी आप दो मिनट में कहें। पंचायत चुनाव पर काफी चर्चा हो चुकी है। आपने पंचायत चुनाव पर दिया था।

*श्री राजेश कुमार --

मेरी बात साफ है पंचायत चुनाव पर मैंने नहीं दिया है। मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी में जो पंचायत चुनाव में विकास खंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाओं के जो आरक्षित पद हैं उसमें जो महिलायें आती हैं उनका जो माता-पिता का स्थान है वह उनका मूल स्थान है शादी करके वह जनपद लखीमपुर खीरी आ गई है पीलीभीत का मायका है वहां से भी रिपोर्ट नहीं लग पा रही है लखीमपुर खीरी से भी नहीं लग पा रही है ऐसी महिलाओं के जो आरक्षित पद हैं उन पर जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होगा तो चुनाव से वह वंचित हो जाएंगी। इसमें उनको प्रमाण-पत्र दिलवाने का कष्ट करें। इसी के साथ-साथ जो शादी अनुदान का पैसा मिलता है अनुसूचित जाति के लोगों को जो पैसा मिलता है। इसमें भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है वह भी नहीं मिलता है। एक लड़की का लखीमपुर खीरी गोला तहसील में विवाह हुआ उसका प्रमाण-पत्र नहीं मिला। पीलीभीत, सहारनपुर में हुआ उसका नहीं मिला। लखीमपुर खीरी में हुआ उसका नहीं मिला। श्रीमन् पूर्व ए0डी0एम0 के आदेशानुसार माता-पिता से अलग का स्थान है उसमें एक आदेश जारी किया है उससे अनुसूचित जाति की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पिछड़ी जाति की महिलाओं को प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है अपने-अपने जनपद के प्रमाण-पत्र मिलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को कानून के दायरे में न ले करके जनपद लखीमपुर खीरी में ए0डी0एम0 ने विशेष कानून लगाया है। वहां प्रमाण पत्र मिले ऐसी व्यवस्था हो जाए। पूरे लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उस पर व्यवस्था दें ? इस पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य ने उनके यहां महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र जारी न हो पाने का मामला उठाया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस शिकायत को दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, अत: यह अस्वीकार की जाती है।

अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिसौदिया की है।

*श्री नरेन्द्र सिसौदिया--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद्, पिलखुआ में पानी की टंकी का निर्माण एक करोड़ 51 लाख 83 हजार रुपये की लागत से किया गया है ओर इसके निर्माण में भारी घोटाला कर सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया गया है। मान्यवर, नगर पालिका ने बिना तकनीकी जांच कराये इस टंकी को जल निगम से अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है और टंकी के लिए विद्युत कनेक्शन और कर्मचारियों के वेतन पर करीब 37 हजार रुपये प्रति माह का व्यय जून 2005 से चालू हो गया है परन्तु जनता को एक बूंद भी पानी नहीं उपलब्ध हुआ है। मान्यवर, जल-कल अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि टंकी का इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड व स्टार्टर पुराना है, जिस पर पेन्ट कर दिया गया है। मोटर भी पुराना है। मान्यवर, विद्युत कनेक्शन का 19,225 रु0 का बिल मासिक चालू हो गया है तथा तीन कर्मचारियों की नियुक्ति भी यहां पर 6 हजार रुपये मासिक वेतन पर कर दी गयी है जिससे इनके वेतन पर 18 हजार रुपया मासिक खर्च हो रहा है। इस प्रकार करीब 37 हजार रुपये का मासिक व्यय शुरू हो चुका है। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन, नगर पालिका परिषद्, पिलखुआ ने जल निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर बिना जांच व पुष्टि कराये टंकी को सुपुर्दगी में लें लिया, जबकि जल-कल अभियन्ता की रिपोर्ट है कि मौजूदा दशा में इस टंकी से जनता को पानी दिया जाना सम्भव नहीं है।

अत: लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आपकी शिकायत को दिखवा लूंगा और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी, करूंगा। यदि पुरानी चीजें लगायी गयी हैं तो कार्यवाही भी होगी। कभी-कभी ऐसा भी होता कि हैण्डओवर होने में देर हो जाती है और पॉलिस चली जाती है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नरेन्द्र कुमार सिसौदिया जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे दिखवाने को कहा है। यह नियम 56 में नहीं आती, अत: इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री रामहेत भारती की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामहेत भारती--

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 की कार्यस्थगन की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं और माननीय इस सदन में जितने माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं, सभी इस बात से अवगत हैं कि समाज में एक बहुत ही आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं और पिछड़ी जाति के नाम से जानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह संवैधानिक व्यवस्था है और यह प्राविधान है, चाहे छात्रों का मामला हो, अनुसूचित जाति/जनजाति के हों या पिछड़ी जाति के हों यदि वह किसी विद्यालय या कालेज में प्रवेश के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी जाति का प्रमाण-पत्र दिखाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी नौकरियों में अगर उन्हें आवेदन करना हो, तब भी जाति आय और निवास का प्रमाण-पत्र लगाना पड़ता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को यदि अपना इलाज कराना होता है या समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं में उनका लाभ ले के लिए आवेदन करना हो।

मान्यवर, उन्हें जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। यह गरीब तबके के लोग जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं जब यह छात्र और छात्राएं या लाभार्थी अपना जाति और आय, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील जाते हैं तो उनको फार्म के साथ दो-दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा सत्यापित फार्म भरना पड़ता है और साथ में फार्म पर फोटो चस्पा होना चाहिए तब प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं। इसके पहले यह व्यवस्था थी कि लेखपाल रिपोर्ट लगा देता था और कानूनगो सत्यापित करके जाति और निवास प्रमाण-पत्र जारी कर देता था। अब यह व्यवस्था नहीं है। अब तो एक फार्म पर दो-दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित फार्म लगाना पड़ता है यदि तीन प्रमाण-पत्र बनवाने हैं तो तीनों प्रमाण पत्रों पर दो-दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित फार्म लगाना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही गम्भीर विषय है और एक ऐसे समाज से जुड़ा है जो बहुत ही कमजोर है इसलिए यह तात्कालिक है और अविलम्बनीय है। और मान्यवर, पंचायत चुनाव होने वाले हैं इसमें भी वोट डालने के लिए निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस समस्या का जिक्र कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से किया है वह वास्तव में विचारणीय है लेकिन तात्कालिक नहीं है। वह कोई ऐसे आदेश से नहीं उत्पन्न हुई है जो कल हुआ हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त क चाहता हूं कि इसमें सम्बन्धित दोनों विभागों जिसमें जाति प्रमाण पत्र तो समाज कल्याण वि से समबन्धित है और जो लेखपाल, कानूनगो से रिपोर्ट लेकर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इससे सम्बन्धित विभाग दोनों विभागों से बातचीत करेंगे और इसका हल निकालेंगे। मान्यवर, य नियम 56 में नहीं आता अत: अग्राह्य योग्य है।

य, तथा राजस्व मंत्री दोनों को मैंने सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है अ अस्वीकार की जाती है। तात्कालिक इसलिए नहीं है क्योंकि यह कई महीनों से बल्कि कई वर्षों स चला आ रहा है और श्री सुखदेव राजभर जी कानून व्यवस्था पर चर्चा लगी थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए हमने आपकी सूचना अग्राह्य कर दिया है। जब कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी तो आप इस पर चर्चा कर लें। यह सही है कि आपकी सूचना तात्कालिक है लेकिन कानून व्यवस्था पर आज चर्चा लगी थी इसलिए मैंने इसको स्थगित कर दिया।

श्री सुखदेव राजभर--

ठीक है मान्यवर, लेकिन जिस घटना का जिक्र करना चाहता हूं वह कानून व्यवस्था में भी कह लेंगे लेकिन जों तात्कालिक घटना घटी और अपराध का नया तरीका घटित हुआ है और पूरे बनारस में सनसनी मच गयी है इसलिए नियम 56 में दिया था। मान्यवर, घटना यह है कि एक अभिषेक यादव, (गुड्डू यादव) खजरी मोहल्ले में रहते हैं। 19 तारीख को सेन्ट्रो कार में पांच आदमी, जो कि एके-47 और पिस्टल से लैस थे, ड्राइवर के पास भी एके-47 थी, उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी रोकते हैं और गुड्डू यादव के बारे में उनके घर में पूंछते हैं लेकिन वह नहीं मिलते हैं। फिर 20 तारीख को जब गुड्डू यादव कचहरी से लौट रहे थे तो वही सेन्ट्रो गाड़ी में पांच व्यक्ति, जो कि पिस्टल और एके-47 से लैस थे, पुलिस की वर्दी में थे, अर्दली बाजार में गाड़ी को रोक लेते हैं। उनमें से एक उतरकर गुड्डू यादव से कहता है कि चलो तुमको साहब बुला रहे हैं। गुड्डू यादव अपनी गाड़ी से उतरकर सेन्ट्रो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो उनको जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठा दिया जाता है और यह गाड़ी आगरा-जौनपुर की तरफ बढ़ती है। जिस गाड़ी से गुड्डू यादव चल रहे थे वह भी उनके पीछे चलती है। गुड्डू यादव पर दबाव पड़ता है कि अपने मोबाइल से अपने साथियों से कहो कि पीछा करना छोड़ दें नहीं तो उन्हें मार दिया जायेगा। गुड्डू यादव अपने साथियों को मोबाइल करते हैं। वहां से 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक गांव कुटी जो पड़ता है बड़ागांव थाना में है जहां पर धान की रोपाई की जा रही थी, वहां पर उन्हें गोली मार दी जाती है। अगर पुलिस या एसटीएफ के लोग उन्हें गोली मार देते तो हमें कुछ नहीं कहना था लेकिन इनके वेश में इस तरह का काण्ड हुआ तो यह नया घटनाक्रम हो रहा है। जिस रास्ते से वह गुजरते हैं वह इतना खराब रास्ता था कि वहां पर गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती। लेकिन वे लोग वहां से गुजर जाते हैं। घटना के पांच मिनट बाद पुलिस पहुंचती है और उन्हें अस्पताल न ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। गुड्डू यादव हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे इसलिए यह किया गया।

मान्यवर, घटना की सूचना के बाद भी कोई थाना या बार्डर सीज नहीं हुआ। पुलिस की वर्दी में यह घटनाक्रम चला। 2.30 बजे गुड्डू यादव को ले गये और 3.25 मिनट पर उनकी हत्या हो गयी। अगर पुलिस के लोगों ने मारा होता तो हम कुछ न कहते लेकिन पुलिस के वेश में यह घटनाक्रम हुआ है। वह तो पुलिस या एसटीएफ का समझकर विश्वास में गये लेकिन उनकी हत्या हो गयी और कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं इसे इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि क्योंकि आज प्रदेश में एसटीएफ एसओ बनकर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, पुलिस की वर्दी को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और तात्कालिक भी है। मान्यवर, आज वाराणसी के लोग अभिषेक यादव की हत्या से दुखी हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसकी आप जांच करवायें और जिन लोगों ने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसे सुनने के लिए नहीं रखा था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हो सकता है कि इसलिए आपके पास इसकी सूचना भी न आयी हो। इसे मैंने कानून-व्यवस्था के समय के लिए रखा था।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अपराधी व्यक्ति तो मरने वाला था ही, इस सम्बन्ध में कुछ सूचना है, लेकिन वह नाकाफी है, इस पर कुछ कार्यवाही हो भी रही है, हो सकता है वह यहां पर कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जब कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी तो उस समय आप यह चर्चा कर लेना, तब हो सकता है उसमें जवांब भी मिल जाए। आज मैं इसको निरस्त करता हूं।

अब मैं मद संख्या-09 लेता हूं।

(व्यवधान)

(भाजपा के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राम इकेबाल सिंह--

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

हां, आपकी सूचना है, उसकी गम्भीरता को मैं समझ रहा हूं। आपकी सूचना को मैंने नियम 51 में परिवर्तित कर दिया है। अब आज कुछ नहीं, आपको जो कहना होगा, कल कहियेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना है और बहुत महत्वपूर्ण है, यह चकबन्दी का मामला है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनको जेल भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आज किसी का जवाब नहीं आ पायेगा, आप लोग बेकार परेशान न हों, मैं इसकी गम्भीरता को समझता हूं, आप कल इसको कहियेगा। अब मैं मद संख्या 09 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(भाजपा के सदस्य श्री मुंशी लाल गौतम सदन की वेल में आकर बैठ गए और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

गौतम जी, आप अपने स्थान पर जायें। आप रोज यही करते हैं, यह क्या तरीका है ? यह अच्छी बात नहीं है। आप लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे और नियमों से नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप जाकर अपने स्थान पर बैठिये, आप पढ़े-लिखे वकील हैं, आप मेरा निवेदन मानिये, मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, आप माननीय गौतम जी को समझायें, यह अपने स्थान पर जायें तो मैं प्रश्न उपस्थित करूं।

श्री हुकुम सिंह--

मुंशी लाल गौतम जी, आप अपने स्थान पर आ जायें।

(श्री मुंशीलाल गौतम जी अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात इस बिल पर कहूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, इसे पास हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। अभी आप रुक जाइये।

विधान सभा मण्डप में सदस्य विधान परिषद के बैठने पर आपत्ति

श्री अक्षयवर लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के जो सदस्य नहीं थे, एक सरदार जी, वह इस सदन में बैठे थे और वह अभी लॉबी में हैं भी। वह किस अधिकार से यहां पर आकर बैठे थे ? वह अभी हाउस में आकर बैठे थे।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अगर वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, तो यहां पर कैसे आकर बैठ गए ?

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी गए हैं, उन्हें देखने के लिए।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त होकर अपने स्थान पर बैठ जायें, एक सज्जन बात को कहें तो उस पर विचार हो।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह चिन्ता की बात है कि कोई व्यक्ति बेखटक यहां पर आ जायं और आसन पर बैठ जायं और इस तरह से यहां की सुरक्षा की सारी की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय, इससे बड़ी चिन्ता की बात क्या हो सकती है कि वे इस सदन के सदस्य न हों और सदन में प्रवेश कर जायें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैंने जानकारी कर ली है। वे गलती से यहां आ गये, वे एम0एल0सी0 हैं, उन्हें जानकारी नहीं थी, उधर से लाबी में आ गये। अब इतनी तो सहनशीलता होनी चाहिए, यह बड़ी अजीब बात है। इस मामले को लेकर जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, [x x x] तक कह दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह--

यह चिन्ता व्यक्त की गयी है, हमारा उनसे परिचय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को जानकारी दे रहे थे। आपने बिना जाने बोलना शुरू किया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जानकारी दे लेने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इतनी तो सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम गलती से विधान परिषद् में बैठ जायें, या उधर से गुजर जायें, लाबी में चले जायें, उन्हें इतना आवेश में नहीं आना चाहिए था। हमारा एक साथी गलती से आकर बैठ गया। इतनी तो जानकारी ले लेने देते कि वे कौन व्यक्ति हैं। एक शख्स को बिना परिचय की बिना पर [x x x] कह देना गलत बात है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह आरोप भी हम पर ही लगा दिया।

यह संयोग की बात हो सकती थी कि सभी सदस्य उनसे परिचित न हो, अगर परिचय होता तो यह बात न आती।

श्री मोहम्मद आजम खां--

पहले जानकारी ले लेते फिर [x x x] कहते।

श्री सुन्दर सिंह--

यह कहा कि [x x x] आ सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

नहीं कहना चाहिए था, गलती हुई है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, हमारे विधायकगण .....

श्री हुकुम सिंह--

सब आरोप हम ही पर लगेगा। हम उनसे परिचित नहीं हैं, यहां बैठने के लिए वे हकदार नहीं हैं। गलती से बैठ गये। अब प्रकरण समाप्त हो गया।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं भी नहीं पहचानता था। अब इस प्रकरण को समाप्त समझा जाय। मान्यवर, वे लाबी में बैठने के लिए अधिकृत हैं। मैंने उन्हे वहां से भी हटा लिया है। वे एम0एल0सी0 हैं उन्हें वहां लाबी से भी हटाने पर मुझे दु:ख है। एक एम0एल0सी0 के बारे में इतना कहा जाय, वह अपमानित हो जाय, आप इस तरह से क्या राय व्यक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग भी तो वहां लाबी में जाते हैं। अब यह प्रकरण समाप्त हो गया। श्री हुकुम सिंह जी आप अपनी बात कहें, जो [x x x] शब्द होगा, निकाल दिया जायेगा, आप लोग बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि पगड़ी वाले को देखकर, दाढ़ीवाले को देखकर कैसे [x x x] कह दिया बगैर जाने हुए।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह कहा गया था कि इस तरह से [x x x] भी आ सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस पर माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में अगर कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं है अगर आता है तो किसी दूसरे सदस्य को अधिकार है व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपके संज्ञान में लाने की कार्यवाही करें और आपको उसके अनुसार जो नियमावाली में प्राविधान है आप यह निश्चित करें कि वह सदन का सदस्य है या नहीं है, जिसके बारे में कहा गया है और फिर आगे की कार्यवाही हो। लेकिन जिस तरह से अशोभनीय तरीके से खासतौर से मैं इसलिये कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य के बारे में टिप्पणी की गयी, नहीं करते, वह एक दल के नेता हैं विधान परिषद् में राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। विधान सभा में विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य होने के नाते अधिकार है कि हम उसकी लाबी में जा सकते हैं। हम उनकी लाबी में विधान परिषद् की लाबी में जा सकते हैं और विधान परिषद् के सदस्य को अधिकार है कि विधान सभा की लाबी में आ सकते हैं। एक बात यह है कि हमारे यहां विधान सभा में प्रवेश लाबी के अन्दर से नहीं होता है हमारे मंडल से होता है। और विधान परिषद् में लाबी से मंडप में प्रवेश होता है। हमारे यहां बिना मंडल में आये लाबी में नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपत्ति करना अपने आप में गलत बात है इसके अलावा जो टिप्पणी की गयी है पूरी शालीनता के साथ अगर संज्ञान नहीं था आपको खेद व्यक्त करना चाहिए इसमें बेइज्जती नहीं होती, हमें आत्मसम्मान की ओर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई टिप्पणी आई है, मान्यवर, इसमें [x x x] कहने की बात नहीं थी इसमें खेद प्रकट करना चाहिए इससे संसदीय मर्यादाओं का पालन होगा, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। माननीय सदस्य खेद प्रकट करें अन्यथा नहीं करते हैं, जो आप कहें, माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव लायें और कार्यवाही होनी चाहिए। वह निन्दा का प्रस्ताव हो और यह कृत्य निन्दनीय है।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रकरण आपके संज्ञान में लाया गया और इस बात की चिन्ता व्यक्त की गयी कि एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो यहां का सदस्य नहीं है उस पर माननीय सदस्य ने अपनी बात कहनी चाही। अगर में परिचित किसी से नहीं हूं और वह आ करके बैठ जाता है तो चिन्ता होनी स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का आ करके बैठ गया उस समय देखें। हमारी जानकारी नहीं है कि जो यहां पर बैठे थे वह विधान परिषद् के सदस्य थे।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री हुकुम सिंह--

हमें जानकारी नहीं थी, इस बात की, कि वह विधान परिषद् के सदस्य हैं। इसीलिये हमने चिन्ता ज्यादा व्यक्त की। हालांकि विधान परिषद् सदस्य होते हुये भी उनको यहां नहीं बैठना चाहिये था। गलती से बैठ गये, भूल हो गयी। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि वह गलती से बैठ गये। अब इस तरह सदन के माहोल को खराब करने के लिये वह माफी मांगे।

श्री इकबाल महमूद--(राजस्व राज्य मंत्री)--

गौर साहब ने [आतंकवादी] शब्द का इस्तेमाल किया है, आप जैसे सदस्य ने, आप तो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप तो जानते हैं . . . . . .

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने कहा है तो मैं अभी त्याग-पत्र दिये देता हूं। वर्ना यह त्याग-पत्र दे दें।

(तत्पश्चात् डा0 नरेन्द्र कुमार गौर सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, आप लोग अपनी सीटों पर चलकर कहिये। माननीय सदस्यगण आप लोग तो शान्त रहें। आप चलकर बैठें। मेरा निवेदन है कि आप लोग सीटों पर चलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात सदन में रखी है, जब कोई भी माननीय सदस्य सदन में आते हैं, चाहे वह विधान सभा के सदस्य हों या विधान परिषद् के सदस्य हों, हमारे सुरक्षाकर्मी उन्हें पहचानते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य गलतफहमी में आ गये हैं।

आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 58 मिनट तक लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 58 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मैंने [x x x] कहा हो तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा अगर न कहा हो तो राजस्व राज्य मंत्री जी इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष--

अब सदन को व्यवस्थित होने दें। आप लोग कृपया बैठ जायें। हमारे कक्ष में इस सम्बन्ध में बात हो चुकी है। जो माननीय सदस्य यहां थे वह विधान परिषद के सदस्य हैं। और यह खेदजनक स्थिति गलत फहमी में पैदा हो गई। उनको बुलाकर माननीय नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात कह ली अब इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अभी माननीय राजस्व राज्य मंत्री ने यहां पर कहा कि जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने [x x x] कहा अगर मैंने यह कहा हो तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा नहीं तो वह सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दें। नहीं तो वह सदन में खेद व्यक्त करें।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए।)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

आप माननीय सदस्यों के अधिकार को संरक्षण दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

जो भी बात नेता विरोधी दल तय करते हैं लेकिन सदन में आते-आते उनके दल के लोग नकार देते हैं। जब भी नेता विरोधी दल कोई बात कहकर आते हैं उनके दल के लोग यहां उसको खारिज कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको नेता मानेंगे या नहीं यह तय कर लें। गौर साहब आप इस लायक नहीं हैं कि मैं आपसे बात करूं। मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के वेल में बैठने पर)

श्री अम्बिका चौधरी--

यहां पर यह कपड़े उतार दें या कोई नंगा हो जाय यह बेशर्मी की हद है। बेहयायी की पराकाष्ठा है। जब आपके कक्ष में नेता प्रतिपक्ष की बातें हो गयी उसके बाद इस तरह का आचरण करना यह सभ्य बनते हैं, विद्वान बनते हैं लेकिन यह विद्वानों के लक्षण नहीं हैं। यह पढ़े लिखे होने के लक्षण नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

जो अपने नेता की बात न माने वह निकृष्ट है। यह आचरण इस तरह के करेंगे और अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। इस तरह से कोई श्रेष्ठ नहीं हो पायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके कक्ष में सारी बात हो चुकी है। यहां पर गौर साहब को एक पीड़ा थी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

पहले आप अपने सदस्यों को व्यवस्थित कर लें।

(डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर को छोड़कर सभी सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गए)

श्री हुकुम सिंह--

इनकी पीड़ा थी इनका नाम लेकर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री कहकर यह कहा गया कि इन्होंने [x x x] कहा इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा। गौर साहब वरिष्ठ सदस्य हैं यह आज भी प्रोफेसर हैं इनकी भी भावनाएं होंगी। इन्होंने अपनी बात कहते-कहते यह तक कह दिया कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो वह सदन की सदस्यता से त्याग -पत्र दे देंगे। अब आप हमको आचरण सिखायेंगे । हमको बता रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहें हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। गौर साहब हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं यह कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा और उसके बाद भी स्पष्ट रूप से बार-बार कहा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा। मान्यवर, इनके मन को कष्ट हुआ है, इनकी भावनाएं आहत हुई हैं। मान्यवर, हमारा निवेदन है कि आप कार्यवाही दिखवा लें। कार्यवाही देखने के बाद जैसा इन्होंने कहा है तो यह तो अपने वचन पर अडिग हैं लेकिन यदि इन्होंने नहीं कहा है और इनके न कहने के बाद भी जिस तरह से सदस्य इन पर आरोप लगा रहे हैं उन पर भी कार्यवाही की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपके समक्ष बातचीत हुई, खुद हुकुम सिंह जी, नेता विरोधी दल, मैं भी और माननीय मंत्री जी भी वहां थे। जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा कि गौर साहब के मन को कष्ट हुआ और आपको उनके मन के कष्ट का एहसास है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन हम बात कहां से शुरू करते हैं और कहां खत्म होती है यह भी देखना चाहिए। जिस वाकिए के बाद यह वाकिया हुआ जरा

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उस असैल वाकिए को भी तो देखिये। हमारे विधान परिषद् के सदस्य के साथ किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ। (विपक्ष की तरफ से व्यवधान) मैं वह शब्द नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस असल वाकिए को बुनियाद पर इस सदन में इतना हंगामा हो गया, सदन को उठा देना पड़ा। जब वह बात खत्म हो गयी तो उससे जुड़ी बातों को उखाड़ना, इसका क्या औचित्य है ? अभी जब बातें हो रही थी तो मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा यह कहा कि अखबार में नाम छपवाने के लिये भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। क्या अखबार को खबर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी ने एक प्रस्ताव किया है। मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा अगर कोई अनुचित बात होगी तो विचार कर लेंगे। गौर साहब आप चलें अपने स्थान पर।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इस पर ऐतराज नहीं है।

(माननीय सदस्य डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर अपने स्थान पर चले गए)

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

जो प्रकरण था वह खत्म हो गया था। गौर साहब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। कभी कोई हल्की भाषा नहीं बोलते हैं। अगर कोई कहता है कि इन्होंने कहा है तो आप कार्यवाही दिखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा और कोई ऐसी बात होगी तो कार्यवाही से निकलवा दी जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह अधिकार तो आपको हर वक्त है जब चाहे आप किसी भी चीज को कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी आप मद संख्या-9 पर बोल रहे थे।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जब विधेयक रखा गया तो मैं उम्मीद कर रहा था कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जिन परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया। लेकिन इन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसमें जो धारा बढ़ाई है 17 (क) 1 के स्थान पर उसका परीक्षण कर लें, देख लें। यह ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोई व्यक्ति कृषि से सम्बन्धित उद्योग लगायेगा और उस उद्योग की मशीनरी की लागत 10 करोड़ से अधिक होगी उसको सारे के सारे मंडी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। आपके नाम के सामने समाजवादी पार्टी का लेबिल लगा है यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा का कौन उद्योग लगायेगा ? यहां पर छोटे-छोटे किसान के बेटे 5-10 लाख की अचार, मुरब्बे, जूस की फैक्ट्री लगाते हैं। आप 10 करोड़ से अधिक वालों को तो मंडी शुल्क से

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पूरी तरह छूट दे रहे हैं लेकिन इनको तो शुल्क देना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे कुटीर उद्योग धन्धे तो सारे के सारे बन्द हो जायेंगे। कम से कम इस बात का एहसास आपको कर लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपका उद्देश्य यह हो सकता है कि बाहर से उद्योगपति, पूंजीपति यहां आएं और उद्योग लगायें, यह बात स्वागत योग्य है लेकिन जो प्रदेश के गरीब लोग हैं जो किसी तरह से कहीं बैंक से लोन लेकर, यू0पी0एफ0सी0 से पैसा लेकर, पिकप से पैसा लेकर धन की व्यवस्था करके छोटा मोटा उद्योग लगा रहे हैं। एक करोड़, दो करोड़ पांच करोड़ की कोई यूनिट लगाते हैं तो वह कैसे इनके सामने खड़े हो पाएंगे। जो दस करोड़ से ऊपर लगाने वाले लोग हैं उनको तो छूट दे रहे हैं यह भेदभाव है या नहीं है और यह भी कृषि के क्षेत्र में भेदभाव है। अधिकांश इकाईयां कृषि के क्षेत्र में 10 करोड़ से ज्यादा की हैं आप गांव में चले जाएं वहां कोई न कोई व्यक्ति अचार का छोटा सा कारखाना डालकर काम कर रहा है। कोई मुरब्बा डालने का छोटा सा कारखाना लगाए है। उनको मंडी शुल्क देना पड़ रहा है। 10 करोड़ का कारखाना कोई बाहर से लगाने वाला आ गया तो मंडी शुल्क माफ कर देंगे। तीन परसेन्ट माफ कर देंगे। तीन परसेन्ट का फर्क आ गया है इससे यह होगा कि नये प्लान्ट लगा नहीं पाएंगे और मौजूदा जो हैं उनको आप उखाड़कर फेंक रहे हैं, यह सब उखड़ जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है मैंने कोई अनहोनी बात नहीं कह दी। इस पर आप गम्भीरता से विचार कर लें। राजनीतिक कारणों से हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे मन में ज्वलन्त प्रश्न पैदा हुआ यह कृषि उद्योग की बात है हमारे यहां लघु इकाइयां लगी हैं जिन्हें प्रासेसिंग यूनिट भी कहते हैं वह काम कर रही हैं इस विधेयक के आने के बाद यह सारी की सारी चौपट हो जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ेगी।

मान्यवर, बापू का महात्मा गांधी का चौधरी चरण सिंह का चिक्र यह करते हैं यह वोट की गरज से कहते हैं सब कहते हैं कि हमारे यहां घरेलू उद्योगों का विकास हो लोगों को रोजगार मिले लेकिन छोटी इकाईयों से जिनको रोजगार मिलेगा इस विधेयक के आने से उनके रोजगार के रास्ते बन्द हो जाएंगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कुटीर उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं और मंडी शुल्क लगाना चाहते हैं वह मंडी शुल्क देकर आएं और 10 करोड़ की इकाई सीधे-सीधे मुक्ति पा जाएगी। मैं लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर पुन: विचार कर लें, विचार करने के उपरान्त मेरी बात में बल लगता है तो उसको समाप्त कर दें या छूट सबको दे दें तो यह स्वागत योग्य होगा।

*लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मैंने छोटा सा संशोधन रखा है। हुकुम सिंह जी संशोधन तो बहुत पहले पास हो चुका है आपको पता होना चाहिए यह मैंने केवल निर्यात पर छूट की बात कही है जो भी निर्यात कार्य हैं किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, केवल किसानों के फायदे के लिए यह रखा है। हुकुम सिंह जी आपके पास भी मंडी परिषद रहा है। आप सीनियर मंत्री रहे हैं छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं, मैंने कोई उद्योग धन्धे कम करने का संशोधन नहीं रखा है इनको छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए था इन्होंने अपने समय में एक भी छोटे उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया। इन्होंने अचार की बात कही, तो हमने कौन से छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को खत्म करने की बात कही है यह तो निर्यात पर छूट देने की बात है। किसानों को फायदा मिले किसानों के फायदे के साथ-साथ विदेशी पूंजी का अर्जन भी होगा उससे विकास के काम हों, किसानों की हालत ठीक हो, इसके लिए यह संशोधन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है। अगर कोई अचार का सवाल था, कितने अचार के उद्योग धन्धे आपने लगाये, चटनी तो खुद चांटे हैं। मान्यवर, कुछ भी नहीं है, मैंने तो छोटा सा संशोधन रखा है, इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसानों को लाभ होगा और विदेशी पूंजी का अर्जन होगा, इसलिए यह संशोधन लाए हैं तो मान्यवर, मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, मैंने तो निवेश की खुली परिभाषा को रखा है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं बीच में रोक रहा हूं। यह संशोधन 'क' और 'ख' आप देख लें, मैंने कल भी आपसे मार्गदशर्न चाहा था। मान्यवर, 'घ' निर्यात के बारे में है, तथा 'क' और 'ख' उन इकाइयों के बारे में है जो 10 करोड़ से ज्यादा पूंजी लगायेंगी, इसमें निश्चित रूप से जो घरेलू उद्योग हैं, वह चौपट हो जायेंगे और मल्टीनेशनल उद्योग उन पर कब्जा कर लेंगे। आपने हमें दोबारा मौका दिया, यह मैं किसी द्वेषभाव से नहीं, किसी अखबार की पब्लीसिटी के लिए कह रहा हूं बल्कि उस वर्ग के हितों के लिए सुझाव दे रहा हूं और अगर आप ठीक समझें तो इस पर एक बार फिर विचार कर लें, अपने साथियों से राय ले लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जो अभी आदरणीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि इसमें तो बड़े उद्योग धन्धे हैं। इसमें कोई छोटे उद्योग धन्धे छोड़े नहीं जा रहे हैं। आलू का किसान बर्बाद है, क्या आलू का छोटा उद्योग लग जायेगा, आप गन्ना पैदा करते हैं, आपको भी जानकारी होगी तो क्या इसका छोटा उद्योग धन्धा लग जायेगा। ऐसे ही डेरी उद्योग हैं, क्या इसका छोटा उद्योग धन्धा लग जायेगा। ये सब ऐसे उद्योग-धन्धे हैं जो 10 करोड़ से नीचे के नहीं हैं तो मैंने मण्डी शुल्क के 5 साल के लिए ऐसा किया है, जिससे उद्योग-धन्धे लगें और लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए यह व्यवस्था रखी है, इससे किसानों को भी लाभ होगा।

श्री हुकुम सिंह--

तो सबको छूट दे दो।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, इससे किसानों को लाभ होगा। विधायक लोग आते हैं, आज भी इतनी अप्लीकेशन आ गई है। मान्यवर, मुझे तो दोनों देखना है, मण्डी का भी देखना है विकास का काम भी देखना है। मान्यवर, उद्योग धन्धे बढ़ें और किसानों को इसका लाभ मिले इसके लिए यह छोटा सा संशोधन लाया गया है। यह किसानों के हित में है। श्री हुकुम सिंह जी से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसे पारित करवायें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, इसमें संशोधन का प्रश्न नहीं है बल्कि कुछ सुझाव दिये गये हैं कि आप उसे स्वीकार लें। दूसरा पक्ष और है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को छोटे लघु उद्योगों के लिए पैसा लगा हुआ है। अगर उनको राहत नहीं मिलती है और बड़े-बड़े लोगों के लिए राहत मिलती है तो यह छोटे उद्योग नहीं ठहर पायेंगेऔर पैसा डूब जाएगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उद्योगों को लाभ मिल जाएगा लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे उद्योगों को लाभ मिल जाएगा लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। सुझाव इस बात का है कि आप जो सुविधा बड़े लोगों को दे रहे हैं वही सुविधा आप छोटे लोगों को भी दें ताकि वह जिंदा रह जायें। अगर यह आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, पहले तो यह 17-क पास था अब केवल 17-क-2 है इस पर केवल निर्यात रखा गया है। मेरा कहना है कि यह किसानों के हित में है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा।

श्री लालजी टण्डन--

जिससे बड़े लोगों को तो लाभ हो और छोटे लोगों का नुकसान हो ऐसे किसी भी फैसले में हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते इसलिए में और मेरा दल इस मुद्दे पर वाकआउट करते हैं।

(नेता विरोधी दल सहित भाजपा के सभी सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड 2- से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 8 जून, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, उत्तर देश उत्तर प्रदेश 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया , धारा 2 में --

(क) खण्ड (ज-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

" (ज-2) 'निर्यात' का तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का भारत से बाहर निर्यात करने से है ;"

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

" (ण-1) 'प्रसंस्करण' का तात्पर्य चूर्णन, पेराई, छिलका निकालने, भूसी निकालने अर्धक्वथन करने, पालिश करने, ओटाई संपीड़न, संरक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक शोधनों की श्रृंखला या किसी अन्य हस्तचालित, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक शोधन से है जिससे कच्चे कृषि उत्पाद या उसके उत्पादन का शोधन किया जाता है परन्तु उसका तात्पर्य मात्र सफाई करना धुलाई करना, श्रेणीकरण करना, एवं पैकिंग करना और तत्समान अन्य क्रियाकलाप से नहीं है। "

धारा 17-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 17-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अथात् :--

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी --

(क) जहां राज्य सरकार की राय हो कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह आवेदन करने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक

नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत दस करोड़ रुपये से कम नहीं है।

(ख) जहां राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहां वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये मण्डी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय।"

निरसन और अपवाद

4--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2005

2--ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन में वापस आ गये।)

(श्री सुखदेव राजभर जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखदेव राजभर जी आपको कुछ बोलना है।

श्री सुखदेव राजभर--

जी मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने 65 साल की उम्र की सीमा को समाप्त कर दिया। कोई भी व्यक्ति चाहे वह सौ-डेढ़ सौ साल का क्यों न हो वह भी अब अध्यक्ष या सदस्य बन जाएगा। मान्यवर, हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। आयोग का संवैधानिक गठन है। उसमें काम भी हैं, पिछड़े वर्ग को पूरे प्रदेश को देखना है। आप कही भी कामों पर जायें और आयोग निराश होकर बोलने लगे कि मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया, तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने 65 साल से ऊपर की सीमा करी है इस पर आप विचार कर लें। अगर किसी को एडजस्ट ही करना है और आप उसके लिए कर रहे हो, हो सकता है कि उसकी उम्र बढ़ गयी हो और वह इस सीमा में नहीं आ रहा है तो आप उसको कर रहे हों तो ऐसा न करें। इसमें आयु सीमा में वृद्धि न करें। आपने तो उसे असीमित कर दिया। वह डेढ़ सौ साल, सौ साल का भी हो सकता है और वह स्ट्रेचर पर बैठकर आये तो यह नहीं होना चाहिए। यह फंक्शन करने वाला आयोग है और इसके ऊपर वर्क लोड है। सामाजिक कार्यों से लेकर समाज के सुधार के लिए यह आयोग बना है। अगर आपको बुड्ढा ही पसंद है तो फिर क्या कह सकते हैं ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी ने आयु सीमा पर एतराज किया है और एक फिल्मी गाना भी गाया है। वह पूरब के रहने वाले है पूर्वी कहावतों को कहते । पूरब में ही कहना चाहिए एक गाना गया है । कहा गया है कि "बुढ़- बुढ़ मत कर बुढ़वा के सेवा कर बुढ़वा लगाइ बेड़ा पार हो" तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी उम्र जयादा होती है उन्हें उतना ही अनुभव होता है, उनकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा प्रखर होती है उसे व्यावहारिक बुद्धि ज्यादा होती है। उम्र का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर आपको जवान की आवश्यकता है तो आपको जवान दे दिया जायेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, कोई समय सीमा तो होनी चाहिए, उसको यह परिभाषित करें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, जो मंत्री है, इनका हमारा साथ बीस-पच्चीस साल से ज्यादा का है। मैंने इनकी जो परफारमेंस पहले देखी थी वह इस ऐज में आते-आते यह बिल्कुल कुंद हो गये हैं। पहले यह तेजतर्रार विधायक लगते थे लेकिन अब- जब यह खड़े होते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो अब वह तेजी नहीं रह गयी है। तो यह प्रमाण आपके पास है। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है। इनकी जो अस्सी के आस पास की गतिविधियां थीं और जो आज 2005 की गतिविधियां हैं, इनको तो देखकर यही लगता है कि यदि यह न आते तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि किसी व्यक्ति विशेष को बनाने के लिए इस विधान मंडल का उपयोग किया जाता है और आज यह हो भी रहा है। किसी का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया उसके लिए यह किया जा रहा है। किसी के रहने की सीमा पार हो गयी है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उसे जाने दीजिये, जिनकी उम्र 80 साल हो गयी है उसे जाने दें। मान्यवर, हमारा वर्ग ही आपने क्यों पाया ? मान्यवर, यह माननीय अम्बिका चौधरी, जी का ही इन्होंने इस हेतु वर्ग क्यों पाया है या माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का ही वर्ग क्यों पाया है ? माननीय राजाराम पाण्डेय जी का वर्ग क्यों नहीं पाया ? अब इसके द्वारा आप जिस व्यक्ति के मुंह में दांत नहीं है, पेट में आँत नहीं है, न तो ठीक से दिखाई देता है और न ही ठीक से सुनाई देता है, लेकिन आप उसे अध्यक्ष बनाये दे रहे हैं, किसी को भी अध्यक्ष बनाये दे रहे हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

वह आपके लिए दुआ तो करेगा।

श्री हुकुम सिंह--

फिर खाली इसी आयोग में क्यों संशोधन लायें, महिला आयोग में भी लायें?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

वहां तो यह सोलह साल की लायेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

जो मुझे लग रहा है, आपके कारनामों से, हो सकता है, यह भी ले आयें वहां पर भी। मान्यवर, खाली एक व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए संशोधन लाया जाय, यह अच्छी बात नहीं है लगती, यह उचित नहीं लगता है, यह अमर्यादित बात है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप इसको वापस लें, आप पहली बार मंत्री बने हैं यहां के ।

श्री महबूब अली--

माननीय सदस्य राजभर जी, जो अनुसूचित जाति के पैरोकार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पूरी बात इनकी सुनिये तो।

श्री महबूब अली--

मान्यवर, कभी इस बात पर ऐतराज नहीं किया गया, अनुसूचित जाति का आयोग भी बना है, जिसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। आज पिछड़ी जाति में इस तरह से आयु में वृद्धि की गई है तो यह उसका विरोध कर रहे हैं। आप इस तरह से तो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। आज पिछड़ी जाति को कोई भी व्यक्ति अगर वह 65 साल का है, 70 साल का है तो आप उसकी कार्य-क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि किसी योग्य व्यक्ति के आंख-कान, दिमाग के साथ-साथ हाथ-पैर भी ठीक है तो उसका भी इस्तेमाल करा लिया जाय। मान्यवर, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक व्यक्ति वह बैठे जो पैरों से चलने में असमर्थ थे, लेकिन आपने कभी उसका ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वह अगड़ी जाति के थे। मान्यवर, मैं गुजारिश करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन न किया जाय, इसको पास होने दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम।

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 4 में--

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा और द्वितीय परन्तुक में शब्द 'परन्तु यह और कि' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह कि' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारायें (1-क) और (1-ख) निकाल दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महबूब अली--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री हुकुम तथा केशरी नाथ त्रिपाठी आदि सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की जारी चर्चा का स्थगन।†

श्री अध्यक्ष--

यह स्थगित है।

---

†(दिनांक 20 जुलाई , 2005 की कार्यवाही से।)

बांदा जिले की केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री बाबू लाल कुशवाहा आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा।†

श्री अध्यक्ष--

बांदा जिले की केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ पर कुछ समय बाकी था, माननीय मंत्री जी आप बोलेंगे ?

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, बाढ़ मंत्री तो बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित है।

बाढ़ पर चर्चा हेतु 20 मिनट और समय बढ़ाने का प्रस्ताव

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं।

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण चर्चा पर डेढ़ घंटे का समय निर्धारित था और उस समय में एक घंटे 25 मिनट की चर्चा इस पर हो चुकी है पांच मिनट का समय इस पर शेष बचा था। अब निवेदन है कि इस पर आगे 20 मिनट का समय और बढ़ा दें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इससे सदन सहमत है।

बांदा जिले के केन नदी एवं प्रदेश की अन्य नदियों में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री बाबू लाल कुशवाहा आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा--(क्रमागत)

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ पर जो चर्चा है, विशेष तौर पर बांदा में जो बाढ़ आयी और उस आकस्मिक बाढ़ से जो विभिषिका उत्पन्न हुई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बांदा में केन नदी में एकाएक पानी बढ़ गया। सचमुच में उससे गंभीर स्थिति वहां थी। माननीय सदस्यगण ने उससे पूरा सरोकार रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु चर्चा में उठाये हैं। इन सब विषयों पर, जिनका जिक्र चर्चा करते समय माननीय सदस्यगण ने किया है, उनकी एक-एक बात का मैं आदर करता हूं। जो उन्होंने अपनी चर्चा में इसकी सूचनायें दी हैं, जो सुझाव दिये हैं और समस्याओं की हल की ओर जिन बातों का इशारा किया है वह हमारे लिये महत्वपूर्ण है और उपयोगी है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चित तौर पर सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। केवल इसमें औपचारिकता पूरी कर देने मात्र से काम नहीं चलने वाला, हम यहां आंकड़े दे दें कि इतना-इतना प्रबन्ध कर दिया है उससे पूरी बात होने वाली नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में अहेतुक सहायता आदि के रूप में जो शासन की ओर से प्राविधान किये गये हैं उनका जिक्र माननीय सदन के समक्ष करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यगण को उसकी जानकारी हो जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन के परिपत्र हम लोगों के पास आते रहते हैं और हम लोगों को मिलते रहते हैं लेकिन शायद हम गंभीरता से उसका अवलोकन नहीं करते। इसलिए मैं इन प्राविधानों का उल्लेख करके माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी देना चाहता हूं। इन नियमों की जानकारी के बिना, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत वितरण का काम करना है, उन पर हम ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और जिस कारण इन प्राविधानों का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर इसकी जानकारी हम सबको हो जाय तो इनके अनुपालन में बड़ी सुविधा होगी।

हम सब लोग मान्यवर जानते हैं कि अगर इसकी दैवीय आपदा से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवारजन को 50 हजार रु0 की अहेतुक सहायता दी जाती है। कोई अंग अगर बेकार हो जाय तो 25 हजार रु0 की सहायता राशि उस व्यक्ति को दी जाती है। अगर किसी को गंभीर चोट लग जाये और उसे एक सप्ताह से ज्यादा अस्पताल में रहना पड़ जाय तो उसे पांच हजार रु0 की सहायता राशि दी जाती है। इसमें अगर माननीय सदस्यों को कहीं कोई चूक मालूम होगी तो उससे वह हमें अवगत करायेंगे। इसके बाद बाढ़ से प्रभावित के सम्बन्ध में जो उल्लेख है उसे बता दूं कि वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता इसमें है कि प्रति व्यस्यक 20 रु0 और प्रति बच्चा 10 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से सहायता राशि दी जाती है। जो लोग दैवीय आपदा से प्रभावित हैं जितना रु0 उनको दिया जाना है अगर वह नहीं दिया जाता है और उसमें हमें जहां कही से भी शिकायत मिलेगी तो पूरी गंभीरता से उसका परीक्षण करके दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का काम शासन करेगा। मान्यवर, इसी के साथ यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि जहां बाढ़ से प्रभावित जिन परिवारों के मकान बह गये हैं/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये, उन्हें बर्तन तथा कपड़े के रूप में सहायता की मद में जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत प्रति परिवार रु0 500 कपड़े हेतु तथा रु0 500 बर्तन हेतु अलग-अलग सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद है कि आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिये अहेतुक सहायता। यह सहायता 15 दिन के लिए दी जाती है। इसमें है प्रति वयस्क रु0 20 और प्रति बच्चा रु0 10 प्रति दिन केवल वस्तुओं में । ये अलग-अलग मदें हैं। अब यदि तहसील का कर्मचारी 500 रुपये एक मुश्त दे देता है तो वह नहीं है, क्योंकि वह प्रोविधान अलग-अलग है।

इसके बाद दो तीन बातों की और जानकारी देना चाहता हूं जो सूखा राहत में मिलः है वह कृषि निवेश के रूप में अगर पूरी सब फसल का नुकसान हो जायेगा तो कृषि अनुदान के रूप में असिंचित क्षेत्र हेतु एक हजार रुपया प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र हेतु रु0 2500 प्रति हेक्टेयर की दर से देने का काम करेंगे। लगातार दूसरे वर्ष, वर्षानुवर्ष गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में रुपया 1,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 2 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक देने का काम करेंगे। बहुवर्षीय फसल के लिए, बारहो महीने जो फसल खड़ी रहती है 4 हजार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। हमें यह शिकायत मिली है कि ठीक से इसका अनुपलन नहीं हो रहा है मैं दल के पक्ष और विपक्ष सभी का

सहयोग करना चाहता हूँ कि वह इसको जाकर देखें, धन का कोई अभाव नहीं है। 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर नदी की धारा परिवर्तन से अगर कटान हो जाता है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देंगे। यह हम उनकी भूमि के एवज में उनको देने का काम करेंगे, इसका अनुपालन सबसे कम हुआ है।

रोजगार सृजन करने के लिए 5 किलोग्राम अनाज प्रतिदिन और 15 रुपये प्रति व्यक्ति और 15 दिन का रोजगार कम से कम उनको देने का काम करेंगे। दुधारू, बोझा ढ़ोने वाले-अथवा जीविकोपार्जन हेतु पाले गये पशु के मर जाने पर पहले 800 रुपया दिया जाता था अब मवेशी मर जाय, बाढ़ में बह जाय तो उसका मानक बदल गया है अब जितना मूल्य होगा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोगार योजना में जो एक यूनिट का मूल्य है, प्रति यूनिट की सीमा तक जितना मूल्य है, उतना मूल्य के रूप में देने का काम करेंगे। पशु कैम्प में चारे की व्यवस्था है। मान्यवर, 18 रुपया प्रतिदिन बड़े पशु हेतु तथा 9 रुपया छोटे पशु के हिसाब से चारे का भी तय है। जहाँ उपयोगी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो उसमें भी पशुधन और दुग्ध विभाग द्वारा उसमें योजना प्रस्तुत होगी तो उस योजना के सापेक्ष हम राहत की मद में हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्च देंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कम सदस्यों की जानकारी में है। नदी के किनारे बाढ़ आने से नावें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बाढ़ में डूब जाती है तो मल्लाह तबाह हो जाता है तो नाव का एस0जी0एस0वाई0 पैटर्न के अनुसार प्रति परिवार के लिए निर्धारित अनुदान की दरों के अनुसार अनुदान देय होगा। नाव की जो अनुमानित दर है और चाहे पतली नाव हो उसके डूब जाने या बह जाने की एवज में उस नाव का जो मूल्य होता है उतना पैसा देंगे। इसके अलावा अन्य बहुत से प्राविधान हैं। मैं विस्तार में न जाकर बताना चाहूंगा कि मछली बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी में रु0 2000 प्रति हेक्टेयर देंगे। हथकरघा में आग लग गयी या घर पानी में बह गया या बाढ़ के कारण हथकरघा नष्ट हो गया तो एक हजार रुपया प्रति करघा, उस करघे के लिए, और एक हजार रुपया धागा और अन्य सामानों के लिए इस तरह से दो हजार रुपये करके देंगे। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर देखें। अभी बाढ़ बांदा में आई है दूसरी जगहों पर भी प्रदेश में आ सकती है तो एक हजार रुपया प्रति करघा और एक हजार रुपया धागा और अन्य सामानों के लिए देंगे। पक्का मकान जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो 10 हजार रुपये और कच्चा मकान के लिए 6000 रुपया देंगे। अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान में पक्का मकान को 2000 रुपया प्रति मकान तथा कच्चा मकान के लिए 1200 रुपया प्रति मकान देंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत हुई हो 800 रुपये इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएँ हैं वह तो हैं ही इसलिये मैनें जानकारी की बात रखी। मैं इसकी कापी सभी माननीय सदस्यों के पिजनहोल में रखवा दूँगा ताकि आपको सूचना मिल जाय। मैं आप सबसे इसमें सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। यदि कही भी इसका अनुपालन नहीं होता है तो आप निश्चित रूप से अवगत करायेंगे और जो दोषी होगा, हम उसको दंडित करेगें।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मैं अभी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अन्दर इसी काम से दौरे पर गया था। वहाँ मैनें देखा कि राप्ती, बूढ़ी राप्ती, घाघरा खतरे के निशान के ऊपर चली गयी है, कुआनों भी बढ़ रही है, करीब 450 गाँव पानी में डूबे हैं, हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गयी है और इस बाढ़ में 3 लोग मर गये, दो सिद्वार्थ नगर में और एक देवरिया में। लेकिन न तो अभी तक कहीं कोई नाव की

व्यवस्था हुयी है, और न बाढ़ की चौकियां ही बनाई गयी हैं। राहत देना तो दूर, राहत देने वालों की नियुक्ति भी नहीं हो पाई हैं। आप यह देख लें कि यह सारी व्यवस्था कर दी जाय।

बैंकिंग अर्थ एवं संख्या प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) श्री "दिनेश सिंह"--

मान्यवर, मैं सिद्धार्थनगर गया था जो मृतक की बात आपने कही है, मै स्वयं 50-50 हजार रुपये मरने के 24 घंटे के अन्दर देकर आया हूं। मेरे ही यहाँ का महरून गाँव का था, मैंने स्वयं दिया है और जो शिविर लगाकर दिया जाता है, वह दिया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, 2-3 बाँतें और संक्षेप में बता दूं। पैसे को लेकर कहा जाता है कि पैसा नहीं है। मैं सम्पूर्ण सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने में जब नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होता है, उसी वक्त प्रत्येक जनपद को 15 लाख पहले ही दिन दे दिया था। मेरे पास पूरी सूची है, समय लगेगा वरना पढ़ दूं। जिलेवाइज पूरी अलग-अलग सूची है। इतना धन तो उनको उसी समय दे दिया। उसके बाद दूसरी किस्त 15 लाख दे दिया और प्रत्येक जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया कि दैवी आपदा की स्थिति में बिल्कुल किसी बात की प्रतीक्षा किये पी0आर0-27 से, जितने धन की आवश्यकता है, उतना धन आप आहरित कर लें। उसके बाद जैसे ही उनसे यह जानकारी टेलीफोन या फैक्स से मिलेगी, उतनी राशि की प्रतिपूर्ति हम उनको कर देंगे। इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। हमने एक व्यवस्था और की है कि राहत के कार्य में कोई चीज सेन्ट्रलाइज नहीं की है कि अमुक चीज लखनऊ से खरीदी जायेगी तक कही जायेगी क्योंकि अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग आवश्यकतायें हैं। कही मकान गिर गये हैं तो पालीथीन की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, कही चना देना चाहें, कही चावल देना चाहें, जैसी भी आवश्यकता हो, आलू दिये जाने का भी निर्देश दे दिया है। कोल्डस्टोरेज को एलर्ट कर लें, सूखा, साफ आलू व्यवस्था करके रख लें। इसके अलावा खाद्य विभाग को भी कह दिया है, जितने भी संबंधित विभाग है जैसे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जल निगम हो, पशुपालन विभाग हो या विद्युत विभाग हो, सबके समन्वय से राहत का काम कैसे तेजी से किया जा सकता है, इसके लिये सबको एक साथ निर्देश दे दिया गया है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि बाँदा की बाढ़ में जैसा कि कहा गया कि महामारी फैल गयी। मैं बताना चाहूँगा कि जितनी तत्परता से 29 टीमें मेडिकल की लगाई गयी और एक भी शिकायत वहाँ से नहीं आई । एक भी आदमी की मृत्यु वहां नहीं हुयी है। पता नहीं हमारे माननीय सदस्य महामारी किसको समझते हैं। मान्यवर, एक कठिनाई वहाँ बहुत विषम थी वहाँ जो हेण्डपंप थे, वह हेण्डपंप पूरी तरह से डूब गये और बड़ी तादाद में हेण्डपंप ऐसे थे जो तेज बाढ़ के कारण नष्ट हो गये, उनके रि-बोर होने में समय लगेगा। जहाँ का पानी विषैला हो गया है, उसको क्लोरीनेशन करके सही किया गया है। हैण्डपंपों से लोग पानी ले रहे हैं। बाँदा में कठिनाई थी, महोबा को जाने वाली जो लाइन थी एक लाख बत्तीस हजार की, एक टॉवर ध्वस्त हो जाने के कारण बन्द हो गई थी, उसके बावजूद भी किसी को पानी का अभाव न हो सके इसलिए वहाँ पर टैंकर लगाये गये, भोजन का बन्दोबस्त किया गया। तीन तारीख को बाढ़ आई और छः तारीख को मैं वहाँ पर मदद के लिए पहुँचा, केवल सहानुभूति व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए, अधिकारियों को सचेत करने के लिए मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ राहत आयुक्त भी गये, और वहाँ की स्थिति को देख करके जितनी भी आवश्यकता थी, मैंने मदद की।

एक प्रकरण चर्चा में आया, शायद माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा था कि बाढ़ हर साल आती है और हर साल मानसून सत्र में बाढ़ का सवाल उठता है, अगर कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनेगी तो हर साल राहत की बात की जाएगी।

मुझे खुशी है कि बाढ़ के दीर्घकालीन प्रबन्ध के लिए भारत सरकार ने डिजास्टा मैनेजमेंट के लिए जो कानून बनाया है, उसी तरह से हमारे पास आपदा प्रबन्धन पर एक विधेयक है, जिसके अनुसार हमारी एक योजना है ताकि हम दीर्घकालिक उपाय कर सकें और तत्काल राहत का काम तो हम कर ही रहे हैं। सिंचाई मंत्री ने जो आपदा प्रबन्धन के लिए जिक्र किया है, उसका प्रबन्ध हो सके, योजनाएं बन सकें, इसके लिए जनपद में बाढ़ आने से पहले एक मीटिंग किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है और योजना बनाने की बात की जाती है। एक काम और, पी0ए0सी0 के अलावा राहत के लिए तत्काल हमें प्रशिक्षित गोताखोर नहीं मिल पाते हैं, स्टीमर नहीं मिल पाते हैं, इसके लिए 22 मोटरबोट उपलब्ध करा लिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त 135 ऐसे बोट जो एल्यूमिनियम के हों, क्योंकि वह जल्दी डूबते नहीं है, लेकिन यह मोटर चालित नहीं है, इसलिए यह तेज धाराओं में नहीं जा पाते हैं, इनके लिए 1 करोड़ 93 लाख रुपय स्वीकृत कर दिये गये हैं, जल्दी से जल्दी उनके इंजन खरीद लिये जाएंगे। हर बटालियन में पॉच-पॉच नावें जो मौजूद हैं, उनको मोटराइज्ड किया जाए इसके लिए धन दे दिया गया है।

*नेता विरोधी दन (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी--

क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री लाल जी टण्डन--

अच्छा बोला हुआ मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, बड़ी कृपा होगी अगर मान लें।

श्री अध्यक्ष--

20 मिनट का समय था, वह खत्म हो गया है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं इसको समाप्त करने से पहले पुन: एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में इस बाढ़ और आपदा के सवाल को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जो दुखी और पीड़ित लोग हैं उन लोगों की सेवा हम सभी लोगों को मिलजुलकर करनी चाहिए। सरकार इसके लिए तत्पर हैं, समर्थ है और सभी प्रकार के राहत उपलब्ध है, किसी चीज का अभाव नहीं है, धन का अभाव नहीं है इसलिए राहत में जहाँ कोई अनियमितता होगी वहाँ सख्ती से कार्यवाही होगी। आप सब लोगों ने चर्चा में भाग लिया और आगे भी वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन--

कुछ ऐसे भी अवसर होते है, स्थान होते हैं जो आपदा की परिभाषा में नहीं आते लेकिन वास्तव में वह तबाह हो जाते हैं। लखीमपुर में नदी के एक तरफ बाँध बन गया है, वहाँ पर थोड़ा भी पानी बढ़ता है तो दूसरी तरफ के गांव कटने लगते हैं। वह बाढ़ नहीं है, आपदा में आता नहीं है लेकिन सारा का सारा गाँव पानी के अन्दर समाता जा रहा है। उनके बर्तन, मकान, परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा है लेकिन वह आपकी परिभाषा के अन्दर नहीं आते हैं। मैं चाहूँगा कि उन्हें भी परिभाषित कीजिए और वहाँ पर बाँध बनाने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बना लीजिए। एक तरफ बाँध बन गया है। हमेशा आप इससे पीड़ितों को पैसा बाँटे इससे अच्छा है कि हिम्मत करके वह बाँध बनवा दें तो समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव उत्तम हैं। बाढ़ के कारण ही हम केवल आपदा नहीं मानते, ज्यादा बारिश हो गयी, बाँध टूट गया तो भी आपदा है, अतिवृष्टि, बिजली गिर जाए, आग लग जाए या कोई ऐसी परिस्थिति जो आपदा हो तो हम उसे भी आपदा मानते हैं, बाढ़ जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नदी की कटान में बहुधा होता है कि नदी की धारा तेज होती है और नीचे आ जाती है, घर में पानी न जाए लेकिन गांव घिर जाता है, तो क्या उसको आपदा मानते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी--

अगर सिर्फ खेत कट जाता है तो 10 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर देते हैं। नदी अपनी धारा बदल दे और धारा परिवर्तन के कारण जमीन चली जाएगी तो 10 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर देंगे। किन्तु अगर घर है, आबादी में पानी नहीं घुसा है तो बाकी चीजें नहीं देंगे। अगर घर गिर गया है तो गृह अनुदान, अहेतुक सहायता और निराश्रित होने की स्थिति में 15 दिन तक उसे मानक के अनुसार भी राहत देने का काम करेंगे। अगर मर गया है तो 50 हजार रुपये की सहायता राशि देंगे।

*कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी किन्तु यह जो आँकड़े बताये गये है, जिसका कच्चा घर गिर जाता है, उसे 800 रुपया दिया जा रहा है। अभी कटान का स्पष्टीकरण माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माँगा था। अगर किसी का खेत कटान करके वहाँ पर नदी बहने लग गयी है तो उसे केवल 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। ढ़ाई एकड़ जमीन के लिए केवल 10 हजार रुपया। गन्ने का फसल लगा है उसे 4 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर। इसमें थोड़ी सी व्यवस्था बना दें और धनराशि थोड़ी बढ़ा दें तो जिस आत्मीयता से यह कार्य किया जा रहा है वह पूर्ण हो जायेगा। मान्यवर, एक विशेष समस्या मेरे जनपद की है वहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है, कटान हो रहा है वह सब एरिया हस्तिनापुर सेंचुरी में आ गया है। वहाँ से लोगों को हटाकर पुन: बसाया जा रहा है लेकिन यह जमीन उनको देने का अधिकार जिलाधिकारी या किसी राजस्व अधिकारी को नहीं है। उन्हें किसी अन्य तहसील में बसाने का आदेश देने की कृपा करें। यह एक विशेष केस है। इसमें आपका आदेश हो जाए तो बहुत उपयोगी रहेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने बार-बार अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने 14 लाख रुपये बिजनौर में बाढ़ राहत के लिये दिया है। इससे काम पूरा होने वाला नहीं है। एक हजार रुपये का एक मी0 टन पत्थर आता है और इस धनराशि से बाढ़ राहत का काम नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप यह पूछें कि क्या यह धनराशि बढ़ायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं समझ रहा था कि माननीय सदस्य धन्यवाद देने के लिये खड़े हुये हैं। मान्यवर, जो राशि हम दे रहे हैं वह बेनामा के लिये नहीं दे रहे है। हम राहत राशि दे रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। मुआवजा देने का कांसेप्ट हमारा नहीं है और वह उचित भी नहीं है। हम सहानुभूति के तौर पर, हमदर्दी के तौर पर यह सहायता कर रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, बाढ़ के बाद बिजली विभाग, पी0डब्लू0डी0, सिंचाई विभाग अपने-अपने विभाग के कार्य करते हैं। जैसे बाढ़ से सड़क टूट गयी तो पी0डब्लू0डी0 विभाग सड़क की मरम्मत करेगा। बांध टूट गया तो सिंचाई विभाग उसको बनवायेगा। बाढ़ और दैवी आपदा से जो नुकसान होता है उसको सभी विभाग मिलकर ठीक कराते हैं। बाढ़ न आये यह शुभकामना कीजिये, तबाही की ओर क्यों ले जाना चाहते है ?

*श्री राम शंकर पाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि दीवार गिरने और मरने 50 हजार रुपया दिया जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 19-3-05 को दीवाल गिरने से 2 व्यक्तियों, पति और पत्नी की मृत्यु हो गयी लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं दिया गया है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको दैवी आपदा के अंतर्गत सहायता दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपने नियम-51 में यह प्रश्न उठाया है। यह स्वीकार हो गया है। जब आयेगा तो पूछियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, अगर बाढ़ आ जाय, कोई दैवी आपदा आ जाय तो हम सहायता देते हैं। अगर मकान की दीवार अपनी कमजोरी की वजह से गिर गयी तो आप उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा कीजिये। मान्यवर एक ऐसी योजना इस सरकार ने चालू की है जो कि हिन्दुस्तान की शायद किसी सरकार ने लागू नहीं की है। जो हमारी कृषक बीमा योजना है यदि किसी किसान के पास एक डिसमिल भूमि है, एक डिसमिल भूमि का वह कास्तकार है तो उसको इस कृषक बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब किसी को नहीं सुना जायेगा। मै अगली मद ले रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26 जुलाई, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनाएँ प्राप्त हुई :

पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में परम्पराओं के विपरीत दर्शन को विवश किए जाने के सम्बन्ध में हैं यह नियम 56 में प्राप्त हुई थी जिसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया और यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद-कनौज के एक तेली परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, यह नियम 56 में प्राप्त हुई थी जिसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया और यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री रमाशंकर पाल की जनपद उन्नाव के श्री राम भजन की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने एवं मृतक के परिजनों को सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री राम हेत भारती की जनपद सीतापुर के श्री राजेन्द्र सिंह की लाइसेंसी बन्दूक त्रिवेदी गन हाउस के कस्टडी से गायब होने एवं उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पाँचवी सूचना 51 वी रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद लखनऊ के विशेश्वरगंज, आलमबाग में सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री प्रभु दयाल बाल्मिकी की जनपद मेरठ के हस्तिनापुर में बाढ़ के प्रकोप से किसानों को बचाने हेतु गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह, बरेली की जनपद बरेली की नगर पालिका आंवला के लोगों द्वारा सुनामी प्रभावित व्यक्तियों को भेजे गए खून का ब्योरा एस0डी0एम0 द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की भूमि सुधार निगम के सहायक प्रबन्धकों को कृषि विभाग के रिक्त श्रेणी-3 के पदों में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में हैं, यह नियम 56 में प्राप्त हुई थी इसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया है और यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री राम पाल वर्मा की जनपद हरदोई के ग्राम अतरौली में स्थापित आई0टी0आई0 केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम 56 में प्राप्त हुई थी इसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया और यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री अमरजीत जनसेवक की जनपद फतेहपुर के कटरा मुहल्ले में खराब ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य प्रौद्योगिकीय उद्योगों को लगाये जाने में सरकार द्वारा भूमि क्रय हेतु स्टाम्प शुल्क से मुक्त किये जाने का आदेश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई : श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 राम बाबू हरित, डा0 अजय कुमार, डा0 पी0के0 राय, श्री मदन चौहान, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री पूर्ण मासी देहाती, श्री मोहन देव शंखवार, श्री नवाब सिंह नागर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम नरेश यादव, श्री कौशल किशोर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री रामवीर उपाध्याय, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री सतीश महाना, कुँवर भारतेन्द्र सिंह, डा0 अरुण मेहरोत्रा, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री हरि प्रताप सिंह, श्री संजीव दरियावादी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री धर्म राज निषाद, श्री सोमारू राम सरोज, श्री बैजनाथ दुबे, श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा, डा0 यशवन्त सिंह, श्री राम करन आर्य, श्री कालीचरन राजभर, श्री मिथिलेश कुमार, श्री सुखदेव राजभर, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री रवीन्द्र पुण्डीर, श्री काशी राम, श्री बीजू पटनायक, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री कपिल देव यादव, डा0 विनोद तिवारी तथा श्री राजेश कुमार।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

आज नियम 51 में कम सूचनाएं ली गई है।

श्री राम करन आर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना काफी महत्वपूर्ण थी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी सूचना देख ली है। आप उसे याचिका में दीजिए।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम-राजेपुर स्थित गाटा संख्या 132 की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट-भट्टे को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

इसे स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसे स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में लगभग 3 लाख अस्तित्व खो चुके तलाबों को भू0 जल संकट से बचाने हेतु एवं पुनः उनको अस्तित्व में लाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

प्रदेश में तालाबों और झीलों के दोहन के फलस्वरूप तालाबों के घटते भू-जल स्तर तथा .

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खॉ--

[...प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने एवं तालाबों को पाटकर उस पर कॉलोनियां या निजी आवास या कृषि योग्य भूमि में तब्दील होने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने तथा तालाबों को भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 20-7-2005 को नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस संबंध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25-7-2001 द्वारा तालाबों को आवास हेतु किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है और यह कहा गया है कि सार्वजनिक उपभोग में आने वाली तालाब/आदि का आवंटन अवैध है। तालाब के कुछ हिस्सों को पटा हुआ बताकर आबादी के लिए आवंटित करना अनुचित है। तालाबों केा तालाब के रूप में ही बनाये रखने की कार्यवाही की जानी चाहिए। यही गांव वालों के हित में है। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 8-10-2001 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को तद्नुसार कार्यवाही करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि नदियों, बंधों एवं तालाबों के किनारे अनधिकृत निर्माण कराया जा रहा है जिससे अपरोक्ष रूप से जल स्तर में गिरावट आ रही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि संबंधी कार्यों तथा पर्यावरण पर पड़ रहा है। फलत: प्रदेश के समस्त तालाबों के किनारे हुए अनधिकृत निर्माण कार्यों को तत्काल हटाये जाने के संबंध में अभियान चलाने तथा उसकी पाक्षिक सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को शासन के पत्र संख्या-1111/1-2-05-रा-2, दिनांक 14-7-05 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 में उठाये गये बिन्दुओं पर शासन पूर्ण रूप से सजग है तथा समय-समय पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।]

श्री मोहम्मद आजम खॉ--

मान्यवर, नियम-51 पर प्रश्नों की तादात इस हद तक होने लगे तो नियम-51 क्या रह गया।

श्री अध्यक्ष--

वह दिन याद करिये जब हम इधर बैठते थे। नियम-51 में काफी बड़ी संख्या में सवाल पूछे जाते थे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ--

मैं इससे सहमत हूँ। केवल इतना चाहता हूँ, कि इनकी संख्या सीमित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह तो नियम समिति से स्वीकृति लेकर किया गया है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में .....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

(श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[उच्च शिक्षा हेतु छात्रों एवं छात्राओं का प्रवेश होना सम्भव नहीं हो रहा है। बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0, एमए0, एम0एस0सी0, एम0काम0 में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र एवं छात्रा को प्रवेश मिलने के सम्बन्ध में सांध्यकालीन कक्षा ही एकमात्र विकल्प है। किन्तु यह भी बिना अतिरिक्त शुल्क के होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों से उनके अधीन कालेजों में पंजीकृत छात्र एवं छात्राओं की संख्या अन्तिम प्रवेशित छात्र/छात्रा का प्रतिशत अंक तथा पंजीकरण के अन्तिम प्रतिशत की जानकारी प्राप्त की जाय तथा कुलपति को अस्थायी आधार पर सांध्यकालीन कक्षा खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाय जिससे प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्राप्त हो सके। गत वर्ष जिस महाविद्यालय ने शासन को सीधे आवेदन किया उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन हेतु निर्देशित कर कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली गयी। निश्चित प्रतिशत तक के इच्छुक छात्र/छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सीटों में वृद्धि करने एवं सांध्यकालीन कक्षाएं बिना अतिरिक्त शुल्क के प्रारम्भ किये जाने की माँग करते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य की माँग की गयी है।

2--इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीमित सीट होने के कारण प्रवेश में आ रही कठिनाइयाँ के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या-2041/सत्तर-2-2005-2 (166)/2003, दिनांक 13 जून, 2005 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देश दिये गये हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की परिधि से भिन्न पाठ्यक्रमों में सम्बन्धित विश्वविद्यालय/राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को देखते हुए पूर्व शैक्षिक सत्र में की गयी 25 प्रतिशत सीट वृद्धि को वर्तमान शैक्षिक सत्र 2005-06 के लिए अनुमन्य करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाय।

3--उपर्युक्त के अतिरिक्त समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या-2040/सत्तर-2-2005-2 (166)/2003, दिनांक 13 जून, 2005 द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय/राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रदेश में स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर विकल्प के रूप में छात्रों को प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में भी छात्रों को पंजीकृत करने हेतु प्रेरित किया जाय। उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 13 जून, 2005 कुलसचिव, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित है कि वह जनपदवार बारहवीं कक्षा के परिणाम को देखते हुए तथा जनपद में स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता को देखते हुए बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक स्तर पर पठन-पाठन सुनिश्चित कराने के लिए राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के केन्द्रों की संख्या पुन:निर्धारित करने का कष्ट करें। आवश्यकता पड़ने पर इन केन्द्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि भी की जाये जिससे कि स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए इच्छुक सभी छात्रों को शैक्षिक सुविधा मिल सके।

4--उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में सांध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-2812/सत्तर-2-2004-वि0प0 (16)/2000, दिनांक 06-08-2004 में विहित शर्तों में ग्रामीण क्षेत्र में सांध्यकालीन कक्षाएँ संचालित किये जाने

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की अनुमति उस विकास खण्ड में स्थित सभी प्रकार के कालेजों में उपलब्ध सीटें भर जाने, नगर पंचायत एवं नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित अन्य सभी कालेजों में उपलब्ध सीटें भरने के उपरान्त ही उस क्षेत्र के किसी कालेज की सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति दिये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र में भी स्थित अन्य कालेजों की सीटें उपलब्ध न होने की स्थिति में ही नगर निगम क्षेत्र में स्थित किसी कालेज को सांध्यकालीन कक्षाएं खोलने की अनुमति दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संकाय का पैनल निरीक्षण कराकर कार्यपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त सांध्यकालीन कक्षाएँ चलाये जाने की अनुमति दिये जाने का प्राविधान है। इन जटिलताओं के कारण वर्ष 2004-05 में सांध्यकालीन कक्षाओं के प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ।

प्राय: नगरीय क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ही छात्रों द्वारा आन्दोलन किये जाते है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2004-05 में लगाये गये उपरोक्त प्रतिबन्धों को समाप्त करते हुए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा विश्वविद्यालयों को आवश्यकतानुसार शैक्षिक सत्र 2005-06 हेतु सांध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2304/सत्तर-2-2005-वि0प0 (1)/2000, दिनांक 27-06-2005 द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को अनुमति देने हेतु अधिकृत किया गया है। सांध्यकालीन कक्षाएँ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित की जायेंगी और इस निमित्त शासन द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा। चूँकि सांध्यकालीन कक्षाओं में शिक्षण कार्य मानदेय/रिटायर्ड अध्यापकों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसी स्थिति में सांध्यकालीन कक्षाओं का शुल्क स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में लिये जाने वाले शुल्क के समान होगा क्योंकि इसी शुल्क से इन कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जायेगी।

5--उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 28-06-05 को कुलसचिव गण, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-2837/सत्तर-2-2005-2 (166)/2003, दिनांक 22-07-2005 द्वारा कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को निम्नवत् निर्देश दिय गये है :--

(1) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रदेश में नये केन्द्र खोलने/केन्द्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के सम्बन्ध में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(2) कुलसचिवगण अपने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त प्राचार्यो की दिनांक 15-07-05 तक बैठक कर प्रवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी 25 प्रतिशत सीट वृद्धि से सम्बन्धित आदेश दिनांक 13 जून, 2005 एवं सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित आदेश दिनांक 27 जून, 2005 के आलोक में प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्य योजना तैयार कर समुचित दिशा-निर्देश दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में महाविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय स्तर पर सांध्यकालीन कक्षाओं को खोले जाने की अनुमति तत्काल

प्रदान की जाय जिससे कि इच्छुक महाविद्यालयों की सांध्यकालीन कक्षाएँ खोले जाने की अनुमति सुगमता से प्राप्त हो सके।

(3) छात्रों के प्रवेश में कठिनाई दृष्टिगत होने पर समस्त राज्य विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त छात्रों को स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जाय तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जाय।

(4) शासनादेश संख्या-2266/सत्तर-2-2005-2 (166)/2003, दिनांक 28-06-2005 द्वारा निर्धारित प्रारूप में जनपदवार एवं महाविद्यालयवार स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियमित तथा सांध्यकालीन कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेशित छात्रों की संख्या पाक्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

6--इस प्रकार प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र/छात्राओं के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाये गये हैं जिससे कि किसी भी दशा में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश से वंचित न रह सके।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने नियम-51 में स्नातक और स्नातकोत्तर में छात्र-छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी थी और उसमें तीन बातें उठाई थी। छात्र-छात्राओं के प्रवेश की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में मैंने विकल्प के रूप में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की भी बात की थी और यह भी आग्रह किया था कि बिना अतिरिक्त शुल्क लिये इन सांध्यकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाए। सरकार ने जो उत्तर दिया उसमें सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन के सुझाव को माना है और उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूँ। लेकिन मेरे प्रश्न के तीसरे अंश-बिना अतिरिक्त शुल्क के बढ़ाए, इस पर सरकार मौन रह गई। मैं इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, क्या इस बात पर विचार कर लेंगे कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो अनुदानित विद्यालय हैं उनमें पिछले वर्ष की भाँति जैसा कि पिछले वर्ष स्नातक कक्षाओं के लिए 800 और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये 1000 रुपये शुल्क था, उसी तरह से इस वर्ष भी क्रमशः उतना ही शुल्क लेकर सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़ाने की व्यवस्था करायेंगे ? स्ववित्त पोषित में आंशिक फीस लेकर सांध्यकालीन कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, इस पर कल भी चर्चा हुई थी। जहाँ तक सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन का सवाल है प्रदेश के विश्वविद्यालयों, प्रदेश के महाविद्यालयों में, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्ववित्त पोषित विद्यालयों में सांध्यकालीन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है। चूँकि यह अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था के अन्तर्गत आती है और इसके लिए सरकार कोई अनुदान नहीं देती है। जो भी सांध्यकालीन कक्षाएं चलाई जाती हैं इनकी सब व्यवस्था कालेज को स्वयं करनी पड़ती है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वे स्वयं सांध्यकालीन कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं। माननीय सदस्य बार बार जोर दे रहे हैं कि सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में जो सांध्यकालीन कक्षाएं चलाई जा रही हैं उनकी फीस कम हो।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कल काफी चर्चा हो गई है। एक सेकेण्ड में बता दें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

माननीय सदस्य बार बार इस पर जोर दे रहे है हम इसको दिखवा लेते है कि कितनी मदद कर सकते हैं।

जनपद गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर के अन्तर्गत अरहेडिया, धुनाकोली को जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री मदन चौहान माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-7-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन में यह सूचना दी गयी कि क्षेत्र .....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों के लोग जो अरहेडिया, धुना कोली के नाम से जाने जाते हैं लेकिन तहसीलदार एस0 डी0 एम0 उनके जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इन जातियों के लोग सरकारी लाभ व अपने बच्चों को स्कूल से वंचित करते जा रहे है। गरीब व शोषित लोग सरकारी सभी अनुदानों से वंचित हैं। अत: उपर्युक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने हेतु स्पष्ट व्यवस्था की जाये।

2--प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील गढ़मुक्तेश्वर में अरहेडिया जाति के लोग कुछ ग्रामों में निवास कर रहे हैं जिनका पैतृक कार्य मुख्यतय: टोकरे, टोकरिया बुनना है। उक्त जाति शासन द्वारा जारी गजट दिनांक 15-09-2001 में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। इसी तहसील के कुछ ग्रामों में मुस्लिम घुना जाति के लोग निवास करते हैं इन्हें नद्दाफ धुनिया या मसूरी भी कभी नहीं कहा गया है इनका मुख्य कार्य रुई धुनने का रहा है। यह जाति शासन द्वारा जारी गजट दिनांक 15-09-2001 में अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार कोहली जाति के नाम से कुछ ग्रामों में लोग रहते हैं जिनका कार्य कपड़ा बुनने का है। कोहली के नाम से कोई जाति शासन द्वारा जारी गजट दिनांक 15-09-2001 में सम्मिलित नहीं है।

निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग अथवा विमुक्त जाति की सूची में अरहेडिया एवं धुना कोली जाति सम्मिलित नहीं है।

अत: उक्त वर्ग अथवा जाति के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा सकते हैं।]

(श्री मदन चौहान के बोलने के लिये खड़े होने पर)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष--

इस पर स्पष्टीकरण नहीं पूछ सकते हैं। यह केवल वक्तव्य है। वक्तव्य होता तो पूछ सकते थे।

श्री मदन चौहान--

अध्यक्ष जी, सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

नहीं सुना जा सकता है। नियम नहीं है। आपको उत्तर मिला होगा, कापी मिल गई होगी। कोई चीज से असन्तुष्ट होंगे तो प्रश्न लगा लीजियेगा। नियम नहीं है। केवल वक्तव्य में नहीं पूछ सकते है।

प्रदेश में वैट प्राविधान लागू न होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में दवाओं पर अधिक टैक्स लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, वर्तमान में बिहार और बंगाल में वैट प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश में वैट प्रणाली लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[और इसके कारण यहां कर की दर दवाओं के साथ-साथ और भी कई मामलों में वैट प्रणाली से भिन्न है। उत्तर प्रदेश में दवाओं पर कर की दर .8 व । प्रतिशत विकास कर होने के बावजूद केवल प्रथम बिक्री पर ही कर है, जबकि वैट में प्रत्येक बिक्री पर कर है। दवाओं पर समान्यत: प्रथम बिक्री व उपभेक्ता के मध्य बिक्री मूल्य में लगभग आधे से ज्यादा अन्तर होता है, अत: वैट में 4 प्रतिशत का कर एक सूत्रीय कर व्यवस्था के लगभग 8 प्रतिशत या उससे भी अधिक है।

यह प्रदेश दवाओं का उपभोक्ता राज्य है। प्रदेश में प्रान्त बाहर से बड़ी मात्रा में इनका आयात किया जाता है। वर्ष 2004-2005 में वैट लागू होने या न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अत: उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों ने दवाओं का आयात कम किया, किन्तु अब जून, 2005 तक की स्थिति के अनुसार दवाओं से प्राप्त कर में वृद्धि का रुझान है। दवाओं पर कर की दर पड़ोसी राज्यों से अधिक होने के कारण प्रान्त के राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वर्ष 2004-2005 में मई माह तक दवाओं से रु0 3148.38 लाख कर के रूप में प्राप्त हुए थे, जबकि 2005-2006 में माह मई तक दवाओं से रु0 3372.12 लाख रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर की दर अधिक होने से राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जहां तक प्राप्त बाहर से अवैध तरीके से दवाओं के आयात का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रान्त के बाहर से अवैध तरीके से माल के आयात को रोकने हेतु प्रान्त की सीमाओं पर सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनके द्वारा प्राप्त बाहर से आयात किए जा रहे माल की जांच आदि की जाती है तथा प्रान्त के अन्दर सचल दल इकाइयों द्वारा जांच की जाती है। अत: अवैध व अनैतिक दवा का आयात प्राय: संभव नहीं प्रतीत होता है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत के संविधान के अनुसार माल की बिक्री पर कर लगाने के अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है और प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों व संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कर की दरों का निर्धारण करती है, अत: अन्य राज्यों से कर की दरों की तुलना किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय दवाओं के सम्बन्ध में निर्माताओं द्वारा मार्जिन देते हुए दवाओं का फुटकर विक्रेता मूल्य निर्धारित किया जाता है, इससे किसी राज्य में कर की दर शून्य होने पर भी उक्त दवा के मूल्य में कोई कमी नहीं होती है।

प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी वैट लागू नहीं है। राजस्थान में दवाओं पर कर की दर 9 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में कर की दर 8 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत अधिभार है। अत: यह कहना कि सभी निकटवर्ती राज्यों में कर की दर 4 प्रतिशत है, सही नहीं है। दिल्ली में वैट लागू होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर पर इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, किन्तु प्रदेश के अन्य जिलों में इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। दवाओं की बड़ी कम्पनियाँ मुख्यत: महाराष्ट्र और गुजरात में है, जिनके डिपो उत्तर प्रदेश में है अत: उनके द्वारा प्रान्त के डिपो से बिक्री की जाती है और कर प्रान्त में प्राप्त होता है। अत: कतिपय पड़ोसी राज्यों में कर की दर 4 प्रतिशत होने से उत्तर प्रदेश में बहुत विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दवाओं पर प्राप्त होने वाले कर की स्थिति देखी जाए तो वर्ष 2004-2005 में उक्त से रु0 262.98 करोड़ कर प्राप्त हुआ था,यदि कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाती है तो लगभग रु0 131 करोड़ राजस्व क्षति की संभावना है। इस प्रकार दवाओं पर कर की दर को कम किया जाना राजस्व के दृष्टिकोण से कोई उचित समाधान नहीं है।]

जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में अवैध रूप से बालू के खनन के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की हो रही क्षति के सम्बन्ध में श्री उदय भान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 में मा0 सदस्य विधान सभा श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह नोटिस दी गयी है कि उनके द्वारा पिछले विधान सभा सत्र के दौरान उठाये.....

एक सदस्य--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[प्रश्न (नियम 51) के जवाब में दिनांक 12-3-2005 को सदन में यह वक्तव्य दिया गया था कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की आख्या दिनांक 23-8-04 एवं भूवैज्ञानिक की आख्या दिनांक 7-4-04 को जिलाधिकारी चित्रकूट को कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं कि दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये, परन्तु आज की तिथि तक न तो अवैध बालू का नीलाम किया गया न ही कोई कार्यवाही।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2--इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ की सम्पन्न नीलामी दिनांक 24-12-2002 के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म एवं जिलाधिकारी चित्रकूट की आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त नीलामी की कार्यवाही में कोई अनियमितता परिलक्षित नही हुई है और न ही किसी के प्रति कोई आरोप बनता है। जहां तक अवैध रूप से खनन की गयी बालू के भण्डारण विषयक प्रकरण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अवैध खनन करके भण्डारित 69,815 घनमी0 बालू को उप जिलाधिकारी, मऊ ने अपने आदेश दिनांक 29-8-2002 के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, मऊ को निर्देश दिया था कि अग्रिम आदेशों तक बालू/मौरम को सुरक्षित रखा जाय। तदोपरान्त तत्कालीन जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश क्रमश: दिनांक 30-12-02, 30-8-03 एवं 11-9-03 के अन्तर्गत 5,000 घनमी0, 10,000 घनमी0 एवं 3,500 घनमी0 अर्थात् कुल 18,500 घनमी0 बालू/मौरम के सीज्ड भण्डारण पर क्रमश: 5,000 रुपये, 1,000 रुपये एवं 5,000 रुपये अर्थात् कुल 11,000 रुपये शमन शुल्क जमा कराते हुए अवमुक्त कर दिया था। अवशेष 51,315 घनमी0 अवैध भण्डारित बालू/मौरम के अनियमित रूप से उठान करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों से शासकीय क्षति की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या शिथिलता बरतने वाले थानाध्यक्ष मऊ के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को निर्देश दिया गया है एवं सम्बन्धित दो खान अधिकारियों तथा खनिज मोहर्रिर/लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।]

जनपद शाहजहाँपुर के थाना रौजा के अन्तर्गत श्री गौतम के घर पर पड़ी भीषण डकैती के.सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-7-2005 को नियम 51 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना दी गई थी कि शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र में.....

एक सदस्य--

पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसको पढ़ा हुआ मान लेते है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[गन्ना शोध परिषद् के निकट दिनांक 11/12-6-2005 की रात्रि में 8-10 डकैतों ने काली पैंट व काली कमीज पहने फिल्मी स्टाइल में श्री गौतम के घर पर डकैती डाली, घर के सभी सदस्यों को गोली मार देने का भय दिखाकर लाखों रुपये का कीमती जेवरात, कीमती सामान एवं पिस्टल व नकदी लूट ले गये। घटना की रिपोर्ट थाना रौजा में 12 जून प्रात:काल दर्ज कराई गई, घटना से पूरे क्षेत्र में एक सन्नाटा छाया है। घर वाले आज भी भय के वातावरण में जी रहे हैं। अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ, न ही कोई माल आदि बरामद हुआ है। शाहजहांपुर में इस तरह की घटनायें बढ़ने से लोग भय व दहशत के वातावरण में जीने पर मजबूर हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचनानुसार श्री निशान्त गौतम पुत्र श्री वी0 पी0 गौतम निवासी ग्राम लौका, थाना रौजा द्वारा दिनांक 12-6-2005 को थाना रौजा पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 11-6-2005 की शाम के समय जब वह अपने घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार गये थे। शाम 10.20 बजे जब वापस आये तो देखा कि कुछ बदमाश उसके भाई विक्रान्त गौतम को जबरिया पकड़कर तमंचा रखकर नीचे ला रहे थे तथा कुछ बदमाश घर में रखे सामान की तलाशी लेकर मां व बहन के कुण्डल व सोने की चीजें उनसे छीन रहे थे। श्री गौतम द्वारा शोर मचाने पर बदमाशो ने उसे भी पकड़ लिया। इसी बीच नीचे सो रहे भुवनेश्वर दयाल के शोर मचाने पर बदमाश भाग गये। उक्त घटना की सूचना पर थाना रौजा पर मु0 अ0 सं0-192/905 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान श्री गौतम द्वारा लूटे गये समान की सूची दी गयी, जिसमें 32 बोर पिस्टल भी लूटा जाना दर्शाया गया है। अब तक की विवेचना के दौरान अभिलिखित किये गये कथन, मौके के निरीक्षण से घटना की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत हुई हैं। फिर भी घटना की गहनता से छानबीन कर अनावरण हेतु टीम गठित कर दी गई है।]

प्रदेश में कैंसर और ह्रदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराये जाने की कोई योजना बनाये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा तथा श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष--

आधे घंटे की चर्चा है इसमें मंत्री जी को भी जवाब देना है इसलिए आप संक्षेप में कहें जिससे आधे घंटे में हो जाए।

* सुरेश कुमार खन्ना--

नियम-49 के तहत चर्चा हो रही है। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख लोग कैंसर से मरते है यह डब्लू0 एच0 ओ0 की रिपोर्ट है। कैंसर से मरने वालों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो सन् 2020 में पौने दो करोड़ लोग इससे मरेंगे। यह प्रश्न आपके संज्ञान में विधान सभा में आया था लेकिन इसका समुचित उत्तर नहीं मिल पाया। प्रश्न का आशय यह था कि गरीबों को सरकारी अस्पतालों में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और कैंसर तथा हृदय रोग से पीड़ित है उनका सरकारी खर्चे पर इलाज किया जाना है। अगर 2005-2006 की जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका है उसमें देखें तो एक मरीज पर आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक मरीज पर आप आयुर्वेद में 130 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। बजट में मात्र दो करोड़ रुपया दवाओं के लिए दिया गया है। एक मरीज पर 16 पैसे खर्चा हो रहा है। कानपुर कैंसर इंस्टीट्यूट और जे0 के0 इंस्टीट्यूट जो हृदय और कैंसर रोगियों के इंस्टीट्यूट हैं। इसमें जे0 के0 इंस्टीट्यूट पर पिछले दो वर्षों में 2 हजार 22 सौ रुपये खर्चा हुए हैं। मैं उन अस्पतालों की बात कर रहा हूं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं जो 4,5 हजार कैंसर और हृदय रोगियों का इलाज करते हैं उन इंस्टीट्यूट में सरकार यह नहीं कर पाती है कि वहां भर्ती हुए लोगों का इलाज कर सकें। फिर बाकी अस्पतालों में क्या स्थिति होगी। मेरी जानकारी है मेडिकल कालेज और पी0 जी0 आई0 को छोड़ दें तो और किसी अस्पताल में कैंसर हृदय के रोगी इलाज नहीं करा सकते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे के लोग इलाज नहीं करा सकते हैं। छोटी-छोटी

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीजों के लिए डाक्टर पर्चा लिखते हैं। इस प्रश्न को रखने का आशय यह था कि हर व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध नहीं है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हृदय और कैंसर के रोग से मरने न दिया जाए ऐसी व्यवस्था की जाए।

आपने अस्पताल का पर्चे का मूल्य घटाकर एक रुपया कर दिया इसका हमने स्वागत किया उस वक्त भी स्वागत किया था आपने जो अस्पतालों के मेंटीनेंस के मद में कमी की, वह अपने आप में आलोचना का विषय बनी। जो रोगी जाते हैं जो गरीब लोग हैं वह साइकिल स्टैन्ड पर साइकिल खड़ी करते हैं तो उनको तीन रुपया देना पड़ता है। एक रुपया पर्चे का कर दिया लेकिन साइकिल स्टैन्ड पर तीन रुपया देना पड़ता है। 50-60 रुपया जो रोज कमाता है इसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह जीवन यापन कर सकें। सरकारी अस्पतालों में हृदय या कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं वह सरकारी खर्चे पर इलाज नहीं करा सकते हैं। आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस आशय से आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा रोगी कैंसर और हार्ट के प्रतिवर्ष होते हैं और उनमें प्रदेश के जो 6 मेडिकल कालेज है, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 है या कानपुर का हार्ट इन्स्टीट्यूट है या जे0 के0 इन्स्टीट्यूट है, वहां जाना पड़ता है और कोई भी चिकित्सा एक लाख से नीचे नही होती है। हम लोग सभी इसी उत्तर प्रदेश के वासी है, अच्छी तरह जानते है कि एक-डेढ़ लाख से कम इस पर खर्चा नहीं आता है।क्या एक सामान्य आदमी उसे वहन करने की स्थिति में है ? हमारे एक साथी ने कहा था कि चर्चा स्थगित करवा दें। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी भी नहीं बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं। अब आप समाप्त करें, बाकी बातें और लोग कह देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, प्रथम अनुपूरक आ रहा है, मेरा जिस बात पर जोर है, जब तक इसके लिए बजट का प्राविधान नहीं किया जाएगा, तब तक बिलों पावर्टी लाइन के कैंसर रोगियों का नि:शुल्क इलाज नहीं किया जा सकता है। मेरा आग्रह है कि यह सरकार भी संवेदनशीलता का दावा करती है, वह प्रथम अनुपूरक में इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करे। मान्यवर, प्रथम अनुपूरक में यह व्यवस्था कर दी जाए कि जहाँ-जहाँ पर कैंसर और हार्ट के रोगियों का उपचार होता है, वहां बिलो पावर्टी लाइन के कैंसर और हार्ट के रोगियों के इलाज की सरकारी खर्चे पर व्यवस्था की जायेगी ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के इलाज के सम्बन्ध में जब प्रश्न हो रहा था तब मंत्री जी ने बताया था कि कुछ इन्स्टीट्यूट में व्यवस्था है। खन्ना जी ने विस्तार से कहा है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, कोई प्रदेश हो या केन्द्र हो, हर सरकार का दायित्व है कि कोई गरीब हो या अमीर हो, उसके स्वास्थ्य की चिन्ता करे। अमीर व्यक्ति या आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति कही न कहीं अपने स्वास्थ्य की चिन्ता कर सकता है। बड़ी या छोटी बीमारी हो, मान्यवर, जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार को उनकी चिन्ता करनी चाहिए। आज प्रदेश के अन्दर जितने सरकारी चिकित्सालय या मेडिकल कालेज है या कानपुर में कैंसर इन्स्टीट्यूट है या इलाहाबाद में जो कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट है, इनमें कहीं भी ऐसे रोगियों के लिए नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी को हो जाए तो दूसरे प्रदेशों में उपचार के लिए जाना पड़ता है।

मान्यवर, मैं भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हूँ, कानपुर या इलाहाबाद में जो इन्स्टीट्यूट हैं, वह मार्डन इन्स्टीट्यूट नहीं है, अगर किसी ऐसे रोगी को जान बचानी है तो उसे बाम्बे और दिल्ली जाना पड़ेगा, यह अमीर व्यक्ति के लिए तो हो सकता है लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कैंसर इन्स्टीट्यूट हैं, उनको मार्डनाइज किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश में ही इसकी व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही साथ हृदय रोग है, जब यह हो जाता है तो एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 और मेडिकल कालेज जाना पड़ता है, इलाहाबाद में भी मेडिकल कालेज है, लेकिन वहां भी जो सुविधाएं हैं, वह पूरी तरह नहीं है, वेल इक्यूब्ड भी नहीं है और दवाओं का बहुत अभाव है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज अच्छे बने जिससे जितने हृदय रोगी वहां इलाज के लिए जायें, उन्हें सारी सुविधा नि:शुल्क मिल सकें। रोगियों को इसके अभाव में कभी-कभी प्राइवेट हास्पिटल में जाना पड़ता है। इलाहाबाद में कई प्राइवेट हास्पिटल हैं एक दिन के लिए 10 हजार रुपये खर्च होता है यदि 10-15 दिन किसी मरीज को लग गया तो एक-डेढ़ लाख रुपया लग जायेगा और हृदय रोगी के लिए एक लाख रुपया तो आपरेशन के लिए ही लग जायेगा। मान्यवर, सरकार ने उस दिन जो बात कही थी कि सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मेडिकल कालेज हैं, जो सरकारी अस्पताल है उनका आर्थिक अनुदान बढ़ाया जाये जिससे गरीब तबके के लोगों को वहां पर सभी सुविधाएं मिल सकें। साथ ही यह भी कहना है कि जो प्राइवेट अस्पताल है अगर वहां पर कोई गरीब तबके का व्यक्ति जाता है तो उसको कुछ कन्शेशन पर उपचार एवं दवायें उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था किये जाने की मैं मांग करता हूँ।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

मान्यवर, मैं अपने से पूर्व सदस्यों जिन्होंने इस सम्बंध में अपनी बात कही है उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि कैंसर की स्थिति को देखते हुए डब्ल्यू0 एच0 ओ0 के मानक के अनुसार हमारे प्रदेश में 16 सेंटर होने चाहिए लेकिन निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर कुल 11 सेंटर कार्य कर रहे हैं और मानक के अनुसार इनमें से कोई भी कैंसर इ-स्टीट्यूट अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहां तक कि एस0जी0पी0 जी0आई0 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। कैंसर की पूरी सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है। अगर क्षेत्रों में देखें तो गोरखपुर मेडिकल कालेज में न तो कैंसर के इलाज की सुविधा है और न ही हृदय रोग के इलाज की सुविधा है। झांसी, बुन्देलखण्ड में भी कैंसर और हृदय रोग के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब मेडिकल कालेज में ही सुविधा उपलब्ध नहीं है तो जिला अस्पताल में क्या सुविधा उपलब्ध होगी ? कही सर्जिकल आकोलोजी नहीं तो कही मेडिकल आकोलोजी नहीं।

आगरा तथा जे0 के0 कैंसर इस्टीट्यूट कानपुर में धन के अभाव में रेडियोथेरेपी की मशीनें खराब हैं। कैंसर 2/3 मरीज में प्रीवेंटेबिल अवस्था में रोका जा सकता है। सिर्फ 1/3 मरीज का जीवन बचाना संभव नहीं होता है जिन्हें पैलियोटिव इलाज दिया जाता है। 2/3 मरीजों को हम बचा सकते हैं लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण हम उन्हें मौत के मुँह में जाने देते हैं। यह सच है कि इस सबके पीछे सरकारों की उदासीनता तथा कुप्रबंधन जिम्मेदार है। भारत सरकार के नेशनल कैंसर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अनुसार स्टेट कैंसर बोर्ड का गठन होता है इसमें जे0 डी0 स्तर की नियुक्ति हैं। जब स्व0 गोपीनाथ दीक्षित स्वास्थ्य मंत्री थे तो इसकी एक बैठक हुयी थी। इसके प्रभावी कार्य हेतु के0जी0एम0सी0 लखनऊ के प्रो0 एम0 सी0 पंत जिन्हें हाल में बी0 सी0 राय

सम्मान मिला है ने कार्य योजना प्रस्तुत की थी जिससे गरीबों को, ग्रामीणों को सुदूर क्षेत्र में राहत मिल सके परन्तु सरकारी उदासीनता के चलते दुर्भाग्य से वह योजना ठण्डे बस्ते में चली गयी। के0 जी0 एम0 सी0 ने जनपद के चिकित्सकों को कैंसर विभाग के प्रो0 पंत के माध्यम से लखनऊ में डाक्टरों की ट्रेनिंग के लिए योजना प्रस्तुत की थी पर उसकी फाइल भी धूल खा रही है। एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में किसी भी मरीज के लिए नि:शुल्क इलाज की सुविधा नहीं है और मरीजों से ली जाने वाली राशि इतनी अधिक है कि सामान्य मरीज की पहुँच से बाहर है। इनकी राशि स्वयं सेवी क्षेत्र में स्थापित लखनऊ कैंसर इस्टीट्यूट जहां नो प्राफिट नो लास पर इलाज है से भी ज्यादा है। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ में रेडियोथेरेपी यदि ठीक है तो नि:शुल्क उपलब्ध है पर कैंसर कीमोथेरेपी में मरीज को 15 हजार से 3 लाख तक खर्च करना होता है। अगर मशीन खराब हो जाये तो सरकारी उदासीनता के कारण सालों तक ठीक नहीं करायी जाती है।

हाल में एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में सेन्ट्रल ग्रान्ट से लीनियर एक्सीलेरेटर आ गया है किन्तु प्रदेश के 100 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित के0 जी0 एम0 सी0 में कैंसर विभाग के लिए प्रदेश सरकार 12 करोड़ रुपये इसके लिए उपलब्ध नहीं करा पायी है। जबकि इससे ज्यादा रुपये पार्क बनाने में लगा दिये गये हैं। सरकार के पास पार्क बनाने के लिए तो पैसा है परन्तु इसके लिए नहीं है। हृदय रोग का एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में भुगतान के आधार पर इलाज किया जाता है। कार्डियोलाजी संस्थान, कानपुर, बी0 एच0 यू0 तथा के0 जी0 एम0 सी0 में व्यवस्थां है। हालत यह है कि कार्डियोलाजी संस्थान, कानपुर में प्राप्त 28 लाख रुपये से एक भी नि:शुल्क बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं की है। जांच करके इलाज हेतु एंजियोग्राफी की आवश्यकता होती है। इस हेतु इन विभागों को कोई रिकरिंग ग्रांट नही है। अत: एंजियोग्राफी पैसे से होगी। एंजियोप्लास्टी का खर्च 50 हजार से 2 लाख तक होता है, गरीब आदमी कहाँ जाये, यह खर्च तो मध्यम वर्ग तक नहीं उठा सकता और हालत यह है कि गोरखपुर तथा झांसी मेडिकल कालेज में न तो हृदय रोगियों के इलाज की व्यवस्था है और न ही कैंसर रोगियों के इलाज की। कानपुर कार्डियक सर्जरी विभाग में नियुक्त सर्जन भी एम0 सी0 आई0 मानकों के अनुरूप एम0 सी0 एच0 नहीं है। मेडिकल की भाषा में इन्हें झोला छाप ही कहा जाएगा1 जब हमारे मेडिकल कालेज की यह स्थिति है तो कोई वहाँ क्यों सर्जरी कराएगा ? मेडिकल कालेज जहां नि:शुल्क व्यवस्था होनी चाहिये वहां तक तो विभाग नहीं है या पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जबकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिला अस्पतालों में शल्य चिकित्सा की व्यवस्था है, तो मैं यह चाहता हूँ कि यदि यह सरकार संवेदनशील है तो इसके लिए जो कुप्रबन्धन है, जो प्रशासनिक लापरवाही है इसको देखें और जो विलासिता की मद है उसे जनहित में खर्च करें। महोत्सव, नाच-गाने के स्थान पर गरीबों के लिए मशीनें उपलब्ध करा दें।

श्री राम इकबाल सिंह--

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह मेरा प्रश्न था जिस पर आपने चर्चा स्वीकर की थी। महोदय चूंकि मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और हम लोगों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करना मेडिकल कालेज में बहुत बड़ा काम था पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। हम यह कह सकते हैं कि एक लाख लोगों की दवा हम स्वयं कराये होंगे इसलिए इस समस्या से कभी-कभी मन बहुत भावुक हो जाता है। हमने 58 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है।

श्री अध्यक्ष--

विषय पर बोलिये समय बहुत कम है।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, विषय पर ही आ रहा हूँ। जहां आप कह देंगे मैं समाप्त कर दूँगा। हमारी आजादी को 58 वर्ष हो गये हैं और संभवत: हम लोग महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन उन 31 प्रतिशत लोगों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको छोड़कर कैसे हम महाशक्ति बन सकते हैं, जिनके पास बाई पास सर्जरी और कैंसर का इलाज कराने के लिए धन नहीं है ऐसी पिरस्थितियों में सुपर पावर बनने का सपना हम सोच रहे हैं। यह कभी-कभी हास्यास्पद सा लगता है। हमारे देश में नेतृतव करने वालों ने क्या दिया है। हम दूसरे बिन्दु पर नहीं जाना चाहते है, लेकिन स्वास्थ्य यह एक बहुत ही गम्भीर विषय मनुष्य जाति के लिए है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल यह कह देने से कि पर्चा का दाम आठ रुपये से घटाकर एक रुपया कर दिया है और यह एक क्रान्तिकारी कदम है, यह सभ्य और लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता है। श्रीमन् 31 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए मुफ्त में दवा होनी चाहिए थी। आज बनारस मेडिकल कालेज में इनके लिए मुफ्त सुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि फलां-फलां जगह पर हमने इसकी मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, तो जितनी जानकारी उनकी थी, उस हिसाब से उन्होंने कहा। जिलों से डाक्टर रिफर कर देते हैं। अस्पतालों में जब तक समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक कैसे उनका इलाज होगा। आज सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे है और आप लोग कड़ाई से कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं। गरीब लोगों को दवा नही मिलती है और वह कहते हैं कि सब भगवान भरोसे है। आज इस प्रदेश में 6 से 18 हजार तक का खर्चा कीमोथिरेपी में आता है। बनारस में दो जगह पर है। एक तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में और एक रेलवे इंस्टीट्यूट में है जहां पर डाक्टर हैं। बाई पास सर्जरी एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में होती है और उसका खर्चा कम से कम डेढ़ लाख का आता है तो यह गरीब आदमी कहां से इलाज करा पायेगा ? आज यह 31 परसेंट लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं वह मर रहे हैं और उनके प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है। इतना बड़ा राज्य, अमेरिका की आबादी के बराबर और गरीबों की जिन्दगी बचाने के लिए दवाएं नहीं मिल रही है। हम बड़े-बड़े उद्योपति ले आये, क्या करेंगे ? क्या वे गरीब लोगों के दिल की दवा करेंगे ? उनके कैंसर की दवा करेंगे ? वह बड़े लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। वे लोग बड़े-बड़े शहरों में हाई टेक सिटी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार गरीबों के प्रति हृदयहीन है, संवेदनहीन हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह गरीबों के प्रति समर्पित होकर के काम करें और उनको यह सभी इलाज की सुविधायें मुफ्त उपलब्ध कराई जायें। डा0 लोहिया साहब ने कहा था कि पूँजीपति वर्ग के लिए नारा न लगायें। हम आगाह कर रहे है आप थोड़ा सा सावधान रहें और गरीबों के प्रति समर्पित हों।

श्री विद्या सागर गुप्ता--

मान्यवर, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण में पूछ लीजिएगा, अब रहने दें। यह कोई जनरल चर्चा नहीं है, माननीय सदस्यों ने अपनी बात कह ली है, अब माननीय मंत्री जी कहने जा रहे हैं, उनको सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है, इसमें प्रश्न से सम्बन्धित बात होनी चाहिए। यह कोई जनरल चर्चा नहीं है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)--

मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत हुई चर्चा में मैंने माननीय सुरेश कुमार खन्ना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और श्री राम इकबाल सिंह जी आदि को सुना। मान्यवर, यह सारा सदन और पूरा प्रदेश जानता है कि आदरणीय डा0 लोहिया जी के नारों पर, उनके आदर्शों पर चलने वाली यह सरकार है। जैसा माननीय राम इकबाल सिंह जी कह रहे थे। जहां दवा, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा सस्ता हो, उस नीति पर चलने वाली यह सरकार है। प्रदेश के सारे अस्पतालों में पहले आठ रुपये का पर्चा बनता था, जिसको हमारी सरकार ने घटाकर एक रुपया करने का काम किया है, उसके लिए हम सब माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने केवल नारा नहीं दिया, केवल घोषणा नहीं की, बल्कि उस पर अमल किया। दवा के लिए उत्तर प्रदेश में जो 65 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान था, उस समय की वर्तमान सरकार में, उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये करने का काम किया है, साथ ही साथ यू0 पी0 एच0 एस0 डी0 पी0 के लिए 18 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्राविधान किया है। इस प्रकार से कुल 123 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान हमारी सरकार ने इसके लिए किया है। जो बी0पी0एल0 के लोग है उनको चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है और हमारी सरकार गरीबों के प्रति पूरी तरह से सजग है, संवेदनशील है। जहां तक आपने जो बिन्दु उठायें हैं हृदय रोगियों और कैन्सर रोगियों के सम्बन्ध में, तो मैं आपको बता दूँ, हृदय रोग संस्थान, कानपुर, में हम पूरी तरह से जो कन्ज्यूमरेबिल आईटम हैं, उनको बी0 पी एल0 रोगियों के लिए उपलब्ध करा रहे है। जो भी बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं उनके लिए वहां बाई-पास सर्जरी की व्यवस्था है। ओपेन हार्ट सर्जरी के एक आपरेशन में लगभग एक लाख रुपये का डिस्पोजेबुल आईटम प्रयोग होता है, जिसका लगभग 50 प्रतिशत खर्च शासन वहन करता है। मान्यवर, वर्ष 2002-2003 में कुल हार्ट आपरेशन 461 किए गए हैं। मान्यवर, 2003-04 में 550 केस किये गये हैं आपरेशन के, 2004-05 में 609 आपरेशन के केस करके हमने यह साबित किया हे कि हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ गरीबों को नि:शुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा मुहैय्या कराई है और उनके इलाज में सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है और संवेदनशील है। मान्यवर, इसके साथ ही यह बताना चाहूँगा और आपको मालूम है कि जो हमारे जिला चिकित्सालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको उच्चीकृत करने और उनमें आधुनिकतम मशीनें लगाने का काम हम करेंगे और उसमें हार्ट के केसेस् में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की बात है। मान्यवर, हार्ट के इलाज के लिए इसी वित्तीय वर्ष में यू0 पी0 एच0 एस0 डी0 पी0 के द्वारा आधुनिकतम मशीनें लगाने का काम किया गया है और इसके अलावा विभागीय व्यय से जिला चिकित्सालयों में कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन और डी0 सी0 एम0 के रूप में विशेषज्ञ पोस्ट किये हैं और आधुनिकतम मशीनों की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, हमें सिविल अस्पताल के लिए यहां एक करोड़ 11 लाख के कार्डियोलॉजी के उपकरण लिए हैं और लखनऊ के लिए 27 लाख 79 हजार रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए 37 लाख 86 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसके अलावा हमारी सरकार ने प्रदेश में 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्रों की स्थापना करके उनमें कार्डियोलॉजी और कैंसर के उपकरण उपलब्ध कराये हैं और विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति करने का काम किया है। जहां तक कैंसर की बात है हम लोगों ने एक लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की व्यवस्था मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराई है ताकि गरीब लोगों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सकें। मान्यवर, इसी तरह से जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में हमारी सरकार पूरी तरह से जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग है, उनके नि:शुल्क उपचार के लिए व्यवस्था कर रही है।

मान्यवर, जहां तक-प्राथमिक उपचार की बात है फर्स्ट पेज में जब कैंसर की बीमारी हो जाती या हार्ट की बीमारी होती है तो उसके लिए हम प्रत्येक जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा इलाज की व्यवस्था कर रहे है और ओपेन हार्ट सर्जरी, बाई पास सर्जरी की सुविधा की जहां तक बात है तो जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेंटर है, अलग केन्द्र हैं, वहां रेफर करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, हम लोग पूरी तरह से सजग है कि जो गरीब लोग है, गरीब मरीज है उनको चिकित्सा उपचार देने में कोई कोताही नहीं कर रहे है। इसके अलावा बजट प्राविधान में कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे मेडिकल कालेज हैं उसमें हार्ट और कैंसर के इलाज के लिए समुचित सुविधाएं हैं। झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेज की बात कही गई है, जहां के लिए इसी वित्तीय वर्ष में बजट देने का काम किया है और इसी साल से वहाँ के लागों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जायेंगी। मान्यवर, जो खराब मशीनों की बात की गई हैं हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किये है कि मरीजों के प्रयोगार्थ जो मशीनें हैं वह हर हालत में चालू रहनी चाहिए। अगर कोई ऐसी मशीन है जो चालू नहीं हो सकती है तो उसको निष्प्रयोज्य घोषित करके उसके स्थान पर नई मशीन ले ली जाए और कोई भी डाक्टर बाहर से परीक्षण के लिए स्लिप न जारी करे और यह भी निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में गरीब व्यक्ति को हर हालत में सभी दवाएं सरकारी अस्पताल से उपलब्ध कराई जाएं। मान्यवर, आपने देखा होगा कि लखनऊ के एक डाक्टर ने एक मरीज को बाहर से दवा लाने की स्लिप दी तो उसके विरुद्ध सरकार ने कठोर कार्यवाही की है। मान्यवर, इसी तरह से जो यहां पर अभी डाक्टरों की अनुपस्थिति और सरकारी अस्पतालों के स्थान पर प्राइवेट नर्सिग होम्स की तरक्की की बात की गई है उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। आपके समय में भले ही यह सब बातें रही हों। मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्देश दिये है कि जो भी ओ0 पी0 डी0 रजिस्टर है वह संबंधित फिजीशियन की हैण्ड राइटिंग में ही भरा जायेगा ताकि उसकी उपस्थिति भी सुनिश्चित हो जाए और समुचित उपचार मिलना भी सुनिश्चित हो जाए। इससे आपका जो दावा है कि इलाज नहीं होता है, वह निश्चित रूप से खोखला साबित होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूँछना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मेडिकल कालेज जो कैंसर और हार्ट के है, कितने रोगी आते हैं ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में 600 रोगी की बात मानी है एक वर्ष में। हम मान लेते हैं, लेकिन जितने रोगी आते हैं टोटल

उनकी संख्या क्या है, जो भी जवाब आये क्योंकि 600 रोगी तो होते नही है। एक अनुमान के अनुसार 25 से 30 हजार कैंसर के रोगी होते हैं और 40 से 50 हजार रोगी हार्ट के होते हैं तो कुल मिलाकर 70-80 हजार से एक लाख तक रोगी होते हैं जो यहां से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता आदि जगहों पर जाते हैं। तो मैं अनुपूरक के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हार्ट और कैंसर के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करायेंगे ?

*डा0 राम बाबू हरित--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूँछना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपने प्रदेश के अन्दर जितने भी हमारे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को चालू करेगी यदि करेगी तो कब तक ? इसके अलावा जो उनसे ऊपर के लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी, कुछ अनुदान दिलाया जायेगा क्योंकि कुछ वह स्वयं वहन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल चल रहे हैं उन पर नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था करेंगे ताकि उसका प्रबन्धतंत्र जो है वह एक निश्चित तरीके से चार्ज ले और जो लूटपाट चल रही है] वह बन्द हो ?

श्री विद्यासागर गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितनी कोबाल्ट यूनिट और लीनियर इंसीलेटर लगे है ? मेरी जानकारी के अनुसार 5 ऐसी यूनिट लगी हैं जिनसे रेडियोथेरेपी का इलाज होता है। मान्यवर, 18 से 20 करोड़ की आबादी में कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 ऐसी मशीने लगनी चाहिए जिससे 10 हजार मरीज जो रेडियोथेरेपी न मिलने के कारण मर जाते हैं उनको बचाया जा सके। लखनऊ मेडिकल कालेज में 2 मशीनें हैं जिसमें एक खराब रहती है। अगर कोई मरीज जाता है तो उसको 30 दिन के बाद का समय मिलता है डाक्टर उससे कहते हैं कि 30 दिन के बाद आपका नम्बर लगेगा, जब थर्ड डिग्री तक आदमी बीमार हो जाता है और उसके बाद आदमी मर जाता है तो कम से कम यहां 25 मशीने लगाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष--

गरीबी रेखा के नीचे कैंसर और हृदय रोग के लिए क्या व्यवस्था है, उसकी बात है। आप सामान्य के लिए बात कर रहे हैं।

श्री विद्यासागर गुप्त--

मान्यवर, यहाँ 25 नई मशीनें लगनी चाहिए।

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूँछा था कि संख्या बतायें, मैंने जो संख्या 600 की बताई थी...

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैंने मुफ्त इलाज की बात करी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

उसी समय आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। इसमें यह है कि नियम 49 की माननीय सदस्य नोटिस देंगे वह पूरे विषय को व्यवस्थापित करेंगे, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे फिर एक दो माननीय सदस्य बोल लेंगे फिर माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण की बात नहीं है वह अभी बोल रहे हैं।

श्री जयवीर सिंह--

जहां तक मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने हृदय के रोगियों की संख्या के बारे में जानना चाहा था तो मान्यवर, खन्ना जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में वर्ष 2004-2005 में कुल हार्ट आपरेशनों की संख्या 609 थी और पेसमेकर जिनको लगाये गये, उनकी संख्या 72 थी। जहां तक कैंसर का संबंध है तो जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में आने वाले मरीजों की संख्या का सवाल है, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004-2005 में अन्त: रोगी में 2377 मरीज आये और वाह्य रोगी में हमने 13799 मरीज अटैन्ड किये गये। जब हम एक इंस्टीट्यूट में इतना करा सकते हैं तो हमारे पास कई मेडिकल कालेज हैं, और तमाम जगह हैं, जहां हम समुचित रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा हमने स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया है, इस योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह योजना के साथ इसे लागू करना प्रस्तावित हैं। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने नार्सिंग होम्स के बारे में कहा कि उन पर प्रभावी अंकुश लगाने की बात है। इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और सरकार ने इस बारे में अपना प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसी अनुसार काम करेंगे। जहां तक कोबाल्ट यूनिट की बात है, यह बहुत पुरानी मशीन है, इसके स्थान पर हम लीनियर एक्सीलेटर लगा रहे हैं, जो लगभग 7 करोड़ रुपये की मशीन है और यह बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके माध्यम से कैंसर के रोगियों का प्रभावी तरीके से उपचार किया जा सकता है। यह हम उत्तर प्रदेश को पहली बार उपलब्धि देने जा रहे है। निश्चित रूप से इसके लिए विपक्ष को हमको साधुवाद देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 26 जुलाई, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर।)

दिनांक 04-11-2004 को मेरठ मण्डल की मण्डलीय समीक्षा के समय आपने पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में पानी उपलब्ध कराने हेतु इसकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था को ठीक कराए जाने के बारे में एक पत्र दिया था।

इस संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि हथिनी कुण्ड बैराज पर यमुना नदी में उपलब्ध जल में से 05 राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों के वर्ष 1994 के एम0 ओ0 यू0 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिल्ली को पेयजल हेतु कामनपूल जल को घटाकर शेष जल को उ0 प्र0 और हरियाणा के मध्य बांटा जाता है। इस आधार पर ही उ0 प्र0 के शेयर के अनुसार पूर्वी यमुना नहर को पानी मिल रहा है। यमुना नदी में गत एक वर्ष से जल उपलब्धता अत्यन्त कम है जिसके कारण पूर्वी यमुना नहर को आवश्यकता से काफी कम जल उपलब्ध हो रहा है। उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूर्वी यमुना नहर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद के कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने हेतु समानान्तर देवबन्द शाखा का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत ऊपरी गंगा नहर के किलोमीटर 34.63 से 1100 क्यूसेक की 57.20 किमी0 लम्बी फीडर चैनल का निर्माण कर टिहरी बांध के पूर्ण होने के पश्चात उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त जल में से 1000 क्यूसेक जल पूर्वी यमुना नहर के किलोमीटर 89.00 पर डाला जाएगा जिससे जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद को पूर्वी यमुना नहर के कमाण्ड क्षेत्र से पर्याप्त जल मिलता रहेगा। उक्त परियोजना के कार्य जून, 2006 तक किये जाने प्रस्तावित हैं।

पूर्वी यमुना नहर लगभग 200 वर्ष से अधिक पुरानी है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु रु0 1442.33 लाख की परियोजना ए0 आई0 वी0 पी0 से वित्त पोषण हेतु भारत सरकार में विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरांत सम्पूर्ण पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना के कार्य कराए जायेंगे। वर्तमान में सामान्य अनुरक्षण मद की धनराशि से नहरों की सिल्ट सफाई के अतिरिक्त आवश्यक कार्य कराकर नहरों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 180 विधान सभा (313)--20-10-2005-813 (कम्प्यूटर)।